खण्ड-283, अंक-2
शुक्रवार, 1 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(22 मई, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 283 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०५–११०
प्रश्नोत्तर	११०–१३१
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	१३१–१३३
बिक्री-कर विभाग की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	१३३
उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	१३३
उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१३३
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१३३
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१३३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१३४–१३५
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१३५–१३६
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० (पुर:स्थापित किया गया)	१३६
बांदा जिले के राजापुर कालेज के अध्यापकों व विद्यार्थियों की थानेदार द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में वक्तव्य	१३७–१३८
देहाती क्षेत्रों में डालडा व मिट्टी के तेल की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१६८–१४३
न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी, कानपुर की बन्दी से श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में वक्तव्य	१४३–१४८
पिथौरागढ़–धारचूला रोड पर रोडवेज की बस खड्ड में गिरने से १७ व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य	१४८–१५०
जिला अल्मोड़ा में नरभक्षी बाघ के आतंक के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१५०–१५१
श्री शिवदास के निलम्बन को समाप्त करने की मांग	१५१–१५२
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी, अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन, अनुदान संख्या १५–पुलिस, अनुदान संख्या ४०–राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते, तथा अनुदान संख्या ४५—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन (स्वीकृत)	१५३–१६७
अनुदान संख्या १३–न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	१६७–१९४
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	१९४–१९९
जिला बहराइच की पुलिस द्वारा सीतापुर के एक गांव के श्री सीताराम अहीर की बहू को पकड़ने तथा उनके भतीजे पर गोली चलाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२००–२०५
नगरपालिका कासगंज द्वारा गांधी जी की मूर्ति हटा कर उस स्थान पर चार दुकानें बनाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२०५–२१०
नत्थियां	२१०–२१६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २२ मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७४

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री

कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेडू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र नारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री

जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जय राम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)

धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महरम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री

माखन लाल, श्री
माता प्रसाद , श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुःशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री

रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालता प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
बिशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी , श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री

सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीब उल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य तथा शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २२ मई, १९७०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

रोडवेज कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय

**१ —श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ३० जनवरी, १९७० को रोडवेज बोर्ड तथा परिवहन अधिकारियों, राज्य परिहवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के बीच रोडवेज कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो उक्त समझौते के आधार पर रोडवेज कर्मचारियों को कौन-कौन सुविधायें प्रदान करने का वचन दिया गया तथा उन्हें अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा सका और कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राम जी लाल सहायक)—

रोडवेज बोर्ड की ३० जनवरी, १९७० की बैठक में रोडवेज कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश में वृद्धि किये जाने तथा चिकित्सा अवकाश प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर विचार हुआ

था। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय पर मंत्रि परिषद की स्वीकृति लेना आवश्यक है जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ३० जनवरी १९७० को जो बैठक हुयी, उसमें रोडवेज कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या थीं और उनमें से किन किनको स्वीकार किया गया है तथा ३० जनवरी को जो निर्णय हुए, इतने दिन बीत जाने के उपरान्त भी इसमें क्यों विलम्ब किया जा रहा है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

श्री मन, इनकी छुट्टियों का मसला सामने था और उस पर निर्णय लिया गया लेकिन उस पर भी मंत्रि परिषद् का निर्णय लेना जरूरी है। इसलिये वह कार्यवाही की जा रही है। विभाग वाले नोट बनाकर कैबिनेट के पास भेज रहे हैं, जैसे ही स्वीकृत हो जायगा, आदेश हो जायेंगे।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

श्रीमन्, मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा था कि रोडवेज कर्मचारियों की क्या क्या मांगें थीं ? उनमें से कौन-कौन सी मांगों पर निर्णय ले लिया गया है और किन किन पर अभी तक निर्णय नहीं लिये गये हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक---

श्रीमन्, एक छुट्टी की मांग थी, एक वर्दी की मांग थी, एक स्थायीकरण की मांग थी, और बोनस इत्यादि की भी मांग थी, लेकिन उनमें से २ मांगों पर जो छुट्टियों से सम्बन्धित थीं निर्णय हो गया है। कुछ और बातों पर बाद में निर्णय होगा जिनका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

हाल ही में रोडवेज कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल आप से मिला था और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि विभाग का कोई मैनुअल नहीं है और इसलिये कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है ? यदि हां तो विभागीय मैनुअल कब तक बन जायेंगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी हां, ऐसी बात भी हमारे सामने आयी थी। और मैंने कहा था कि इस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं और जल्द ही इसको बना सकेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बातचीत के दौरान यह भी बात आयी कि १९६० की जो सेवा शर्तें हैं, उनको समाप्त किया जाय ? कृपया उनको बता दिया जाय कि उन पर कब तक निर्णय होगा ?

श्री रामजी लाल सहायक (जिला ---टिहरी गढ़वाल)---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्द सिंह--(जिला टिहरी गढ़वाल)

माननीय मंत्री जी को अस्थायी लोगों को स्थायी करने में क्या दिक्कत है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

उसके नियम बने हुये हैं कि कितनी अवधि के बाद हम यह करेंगे और इतनी अवधि के बाद हम यह करेंगे । उन नियम के अनुसार ही किया जायेगा ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

३० जनवरी को जो निर्णय लिये गये थे उस पर परिषद् की स्वीकृत कब तक मिल जायेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक--

निश्चित तिथि नहीं दे सकता हूं । लेकिन उम्मीद है कि शीघ्र ही हो जायेगा ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज के रनिंग कर्मचारी जो दिन रात लगे रहते हैं उनके लिये छुट्टी की व्यवस्था, या छुट्टी के बदले जो काम करते हैं, उनके ओवर टाइम की व्यवस्था क्या है ?

श्री राम जी लाल सहायक--

ओवर टाइम की व्यवस्था है । मेडिकल लीव और अनुग्रह लीव को हम तय कर रहे हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज के कर्मचारियों में कितने प्रतिशत लोग मुस्तकिल हैं ।

श्री रामजी लाल सहायक--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई निश्चित अवधि है कि इतनी अवधि के बाद जितने अस्थायी कर्मचारी हैं, वे स्थायी हो सकते हैं ?

श्री राम जी लाल सहायक--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

कपड़े पर बिक्री-कर लगाने के सम्बन्ध में जानकारी

**२--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कपड़े पर उत्पादन शुल्क के स्थान पर पुनः बिक्री-कर लगाने का विचार कर रही है एवं क्या उत्तर प्रदेशीय वस्त्र व्यवसाइयों ने पुनः

बिक्री-कर लागू करने के विरोध स्वरूप २२ मई, १९७० को प्रदेश भर में पूर्ण हड़ताल का निश्चय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

कपड़ा चीनी तथा तम्बाकू पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के स्थान पर पुनः बिक्री-कर लगाये जाने के प्रश्न पर पंचम वित्त आयोग ने कुछ सम्तुतियां की हैं। उनके प्रतिवदन से सम्बन्धित उद्धरण सलग्न हैं। यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश वस्त्र व्यवसाइयों द्वारा २२ मई, १९७० को प्रदेश भर में पूर्ण हड़ताल किये जाने के बारे में शासन के पास कोई सूचना नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट २१० पर)

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय वित्त मंत्री बतायेंगे कि १९५७ में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने कपड़े पर बिकी कर प्रणाली को हटाकर उसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की व्यवस्था इस आधार पर की थी कपड़े पर लगने वाले बिक्री-कर से चोरी व छिपाव के अवसर समाप्त हों। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने कपड़े की बिक्री-कर समाप्त करके अतिरिक्त शुल्क लगाने की जो संस्तुति की और उसका यह परिणाम निकला कि १९५७ से पहले जो बिक्री-कर प्राप्त होता था, उसके बाद अतिरिक्त शुल्क से अधिक प्राप्ति हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय सदस्य की सूचना सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सन् १९५७ में इस प्रकार का निर्णय किया था। जहां तक आमदनी बढ़ने का प्रश्न है, अगर मैं उनके प्रश्न को ठीक समझ पाया तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आमदनी सन् १९५८-५९ में ६ करोड़ ७८ लाख थी और १९६९-७० में ७ करोड़ ४९ लाख है। अगर औसत लगाया जाय तो साढ़े छः करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आता है एक्साइज ड्यूटी से जो कि सन् १९५८-५९ के एक्चुवल्स हैं ६ करोड़ ७८ लाख उससे कम पड़ता है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय वित्त मंत्री बतायेंगे कि यदि अब की आय में कमी हुई तो केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिये कह सकते हैं कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की दरें बढ़ा दी जायं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री नित्या नन्द स्वामी---

क्या वित्त मंत्री एक आश्वासन दे देंगे कि बिक्री-कर वाले प्रश्न पर विचार करने से पहले प्रदेश के कपड़ा विक्रेताओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे भी परामर्श का मौका देंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय वित्त मंत्री बतायेंगे कि यदि मसला केन्द्र के विचाराधीन है तो आपकी सरकार ने केन्द्र को क्या सुझाव दिये हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, अभी यह प्रश्न राष्ट्रीय विकास परिषद् की सूची में नहीं आया है। इसलिये इस पर पंचम वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उस पर अन्तिम निर्णय लेने का प्रश्न विचाराधीन है। जहां तक पचम वित्त आयोग के सामने सुझाव रखने थे उसमें अवश्य पंचम वित्त आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया था। इस मद में कोई आमदनी नहीं बढ़ी इसलिये इस ओर पंचम आयोग का ध्यान दिलाया था ताकि आमदनी बढ़ाई जा सके।

श्री कृष्ण स्वरूप---

यदि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से आय घटी है तो क्या आप केन्द्रीय सरकार से मांग करेंगे कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को दरों को बढ़ा दिया जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

पंचम वित्त आयोग ने जो दूसरी सिफारिश की है मैं उसे पढ़े देता हूं ---

"while the arrangements are continued, the rates of duties may be made advalorem as for as possible and may be revised periodically so as to secure reasonable incidence having regard to the prevailing prices and the general levy of sales taxes on similar items levied by the States.

यह पंचम वित्त आयोग ने अपना सुझाव स्वयं दिया है कि इसको एडवेलरम कर दिया जाय। जो माननीय सदस्य का सुझाव है वही पंचम वित्त आयोग का भी है, इसलिये इस पर तो अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

चूंकि केन्द्रीय सरकर इस पर विचार कर रही है, इस समय प्रदेशीय सरकार की क्या राय है इस प्रश्न पर ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय तो राष्ट्रीय विकास परिषद् लेगी। वैसे इस दूसरी सिफारिश को अगर केन्द्र मान लेता है तो इससे मामला हल हो जायेगा।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन् मैं भी कपड़े का व्यापारी हूं। मुझे मालूम है कि आज प्रदेश भर के व्यापारी हड़ताल करने जा रहे हैं। तो क्या सरकार आल इंडिया स्तर पर जो कमेटी बनी है उसमें यह सुझाव रखने जा रही है कि यहां पर बिक्री-कर लागू न किया जाय तथा आय के लिये दूसरे साधनों पर विचार किया जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

हड़ताल के सम्बन्ध में जो सूचना माननीय सदस्य ने दी अगर कोई ऐसी हड़ताल हो रही है तो सरकार को उसके लिये बड़ा खेद है कि बिना किसी निर्णय के घोषित हुये कपड़ा व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं। हमारी यह इच्छा कतई नहीं है कि व्यापारियों को कष्ट मिले। अगर बिना व्यापारियों को कष्ट बढ़ाये राज्य को आमदनी सुनिश्चित हो जाय तो सरकार के लिये बड़ी प्रसन्नता की बात होगी।

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)---

क्या पिछले अनुभवों को देखते हुये उत्तर प्रदेश की सरकार यह संस्तुति करेगी कि बिकी-कर कपड़े पर न लगाया जाय और उत्पादन शुल्क को ही बढ़ा दिया जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

पंचम वित्त आयोग ने स्वयं कहा है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में मिलकर विचार करना चाहिये क्योंकि प्रदेश की सरकार को पूरक आय नहीं मिल रही है। उनका सुझाव अभी मैंने बताया है, उस पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन उसको विकास परिषद् या केन्द्र नहीं मानता है तब दूसरी बात है।

प्रातःकालीन कचेहरी करने का आदेश

**३---श्री सूरज लाल गुप्ता (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री कृष्ण स्वरूप---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रातःकालीन कचेहरी करने का आदेश शासन द्वारा अप्रैल या मई, १९७० में भेजा गया ? उन जिलों में से किन-किन जिलों में कचेहरी का समय प्रातःकालीन हो गया है और चालू है ?

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

शासन द्वारा हमीरपुर बांदा, झांसी, जालौन, मैनपुरी, फतेहपुर तथा इटावा में प्रातःकालीन न्यायालय के आदेश ५ मई, १९७० को भेजे गये। फतेहपुर को छोड़ कर उक्त सभी जिलों में न्यायालयों का समय प्रातःकालीन हो गया है और चालू है।

श्री कृष्ण स्वरूप---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन जिलों के अतिरिक्त और भी जिलों के जिला वकील संघों या जिलाधीशों ने इस बात की संस्तुति की है कि उनके यहां भी प्रातः कालीन न्यायालय कर दिया जाय ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

जी हां, यह सच बात है। कुछ और बार एसोसिएशन ने भी चाहा था। कुछ और लोगों ने भी चाहा था।

श्री कृष्णा नन्द राय---

क्या मुख्य मंत्रीजी को यह जानकारी है कि गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर और देवरिया-इन पांच जिलों में पिछले २०-३० साल से लगातार प्रातःकालीन अदालतें होती रही हैं, किन्तु इस बार यह आदेश नहीं भेजा गया है, जिसके फलस्वरूप इन जिलों के वकील संघों ने एक आंशिक बहिष्कार आन्दोलन सा चला रखा है। इसको देखते हुये क्या आप इन पांच जिलों में भी प्रातःकालीन कोर्ट्स करने के आदेश देंगे ?

श्री चरण सिंह---

जौनपुर और बलिया में कभी भी प्रातः की अदालतें नहीं हुयीं हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---

सिर्फ जौनपुर का मैंने नाम लिया है बलिया का नहीं।

श्री चरण सिंह---

ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट प्रातःकालीन अदालतें इन जिलों में करने को तैयार नहीं है क्योंकि इससे लेटीगेंट्स-गांव वालों को तकलीफ होती है। यह ठीक है कि वकीलों को और

बड़े अधिकारियों को इसमें आराम है कि ६ बजे आए और १२ बजे किसी गाड़ी में चले गये। लेकिन छोटे कर्मचारियों को जिन्हे १ बजे तक रहना पड़ेगा, पूरी दोपहर में अपने घरों में जाने में दिक्कत होगी। गांव वालों को छोटे कर्मचारियों के बनिस्बत हमें ज्यादा देखना है, उनकी तकलीफों का ध्यान रखना है। गांव वाले जो कि अदालतों में आते हैं, इससे उनको एक रोज पहले आना पड़ेगा। गवाहों का खर्च उनका दुगना हो जायगा, तो हम ने आम जनता की सुविधाओं की दृष्टि से ऐसा किया है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी को तकलीफ हो, लेकिन मजबूरी है, यदि वकील गण इस तरह की बात सोच रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---

सरकार ने जो आधार बताया है उसको सुनकर मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि झांसी और इलाहाबाद डिवीजन के ७ जिलों में मार्निग कोर्ट कर दिये गये हैं, तो इसे देखते हुये इन ५ जिलों में आंशिक बहिष्कार आन्दोलन को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इन जिलों में भी करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं तो क्या इन ७ जिलों में जनता की तकलीफों को ध्यान में रखकर फिर समय बदलने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह---

अच्छा होता कि इन ७ जिलों में भी न होता। हम उनकी परेशानियों को जानते हैं। लेकिन वे बुद्ध जीवी लोग हैं, आर्गनाईज्ड-वे में हमारे पास आते रहते हैं लेकिन वे किसान, गरीब लोग नहीं आ सकते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा इससे गांव वालों को कठिनाई है--उन्हें एक रोज पहले आना पड़ता है आदि, तो क्या प्रातःकालीन जो अदालतें हैं, उनको बन्द कराने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री चरण सिंह---

६ में हैं इस समय, लेकिन मैंने ७ में स्वीकार कर लिया था। लेकिन फतेहपुर के जिले के एम० एल० ए० ने हमको खत लिखा कि सबेरे का न किया जाय इससे मासेज को कठिनाई है। फतेहपुर मैनपुरी और इटावा जिले के लिये मैंने किया था जो कि बुन्देल खण्ड से मिले हुये हैं और जहां टेम्परेचर ज्यादा रहता है। अब यह जो कुछ आपने कहा है, वह मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक बार आर्डर जो हो जाय और उसको चेंज किया जाय। शुरू में हम कहीं नहीं चाहते थे। जब एक बार हो गया है, फिर उसको बदलना मैं मुनासिब नहीं समझता। मेरी अपनी राय यह है कि कहीं भी नहीं होना चाहिये। गवर्नमेंट अगले साल इस पर फिर विचार करेगी।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

अभी आपने बताया कि फतेहपुर के कुछ लोगों ने शिकायत लिखी जिसके आधार पर उस जिले में सुबह का कोर्ट आपने बन्द कर दिया, तो जिन जिलों का जिक्र किया गया है गाजीपुर या मिर्जापुर वहां के लोग भी लिखें, जिनकी वजह से आपने बन्द किया ?

श्री अध्यक्ष---

बन्द नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की ऐसी नीति है कि अगर किसी जिले के एम० एल० ए० सुबह की कोर्ट करने के लिये सरकार को लिख दें तो क्या सरकार उस पर राजी हो जायगी ?

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब है, नेगी साहब की तरफ से इस तरह का प्रश्न हुआ । वह जो फतेहपुर की बात उन्होंने उठाई, यहां से आर्डर हो गया था कि सुबह को हो जाय, लेकिन वह लागू नहीं हुआ था, तो रिप्रेजेंटेटिव्ज के कहने पर लागू नहीं किया, और जैसे दोपहर को चल रही थी वैसे चलती रही। फिर दूसरों का क्या सवाल उठता है।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

व्यवस्था का प्रश्न है। हमेशा पूर्व उत्तर प्रदेश में लू चलती है और दोपहर की कचेहरी कभी नहीं चल सकती है और हमेशा मार्निग कोर्ट हुआ करती थी। तो क्या इसी साल दिक्कत आकर पड़ गयी है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की परम्परा रही है बीसों सालों से मार्निंग कोर्ट चलती थी और आज बन्द की जा रही है, क्या यह सुविधा पिछले वर्षों में नहीं रही ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ही है।

श्री चरण सिंह--

जहां तक लू का सम्बन्ध है पश्चिमी जिलों में ज्यादा चलती है। एटा, मथुरा के लोग कहते रहे हैं कि हमारे यहां प्रातःकालीन हो जैसे पहले होता था। इसमें भी पूर्व, पश्चिम आपको दिखा, यह मुबारक है आपको ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि पूर्वी जिलों में मुअक्किलों को तकलीफ होती है सुबह आने में .....

चरण सिंह--

मैंने यह नहीं कहा, पूर्व और पश्चिम ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वहां के कर्मचारियों और वकीलों को तकलीफ होती है इसलिये दिन में कर दिया लेकिन चूंकि बुन्देलखंड के जिलों में गरमी ज्यादा पड़ती है इसलिये सुबह की कचहरी कर दी गयी है, तो क्या वहां के वकीलों और वहां के कर्मचारियों को सुबह की कचहरी होने से, दिन में एक बजे जाना पड़ेगा, क्या तकलीफ नहीं होगी ? क्या पूर्वी जिलों के लिए दूसरा क्राइटेरियन होगा और पश्चिमी जिलों के लिये दूसरा क्राइटेरियन होगा मार्निग कोर्ट करने के लिए ?

श्री चरण सिंह--

पहली बात तो मेरे दोस्त को यह मालूम होना चाहिये कि बुन्देलखंड पश्चिम नहीं है, दक्खिन है। इसमें पूर्व और पश्चिम न देखें । गरमी सब जगह पड़ती है, लेकिन अपेक्षतया बुन्देलखंड में ज्यादा पड़ती है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष जी, आप देख रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी जनता के हित में एक आधार पेश कर रहे हैं और इसी आधार के खिलाफ प्रदेश के सात जिलों में यह सरकार एक काम करती है और दूसरे जिलों में कुछ और काम करती है तो जो यह उसकी भावना है वह बेईमानी की भावना है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

अध्यक्ष महोदय, यहां जो बेईमानी का सवाल आया उसके बारे में तय हो जाना चाहिये, यह असंसदीय शब्द है ।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि ये दोनों शब्द कांट्रडिक्टरी मालूम पड़ते हैं । उन्होंने बेईमानी कहा है, बेईमान नहीं कहा है। अध्यक्ष जी, मैं साबित कर सकता हूं कि बेईमानी शब्द अनपार्लियामेंटी नहीं है, पार्लियामेंट्री है ।

श्री अध्यक्ष--

"यह बेईमानी है" यह अन-पार्लियामेंट्री है। मैं समझता हूं कि माननीय एक्स मंत्री जी इस बात को समझेंगे और अपना शब्द वापस लेंगे । उन्होंने कई दफे वापस लिया है ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष जी, आपने एक बात कही थी कि बदतमीजी संसदीय है और बदतमीज संसदीय नहीं है। बेईमान नहीं कहा गया है । यह कह दिया गया है गैर इंसाफी हुई है। बेईमानी कहा है ।

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता के मन में यह भावना पैदा हो रही है कि यह मुख्य मंत्री जी की सरकार हमारे साथ बेईमानी कर रही है ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, यह शब्द नहीं कहे थे। यह शब्द कहे थे कि यह बेईमानी है। इसे आप वापस लें । यह साबित हो जाना चाहिये । आप मेरे कमरे में आकर साबित कर दें । मैं उसे देख लूंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय--

अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आपक निर्णय चाहता हूं और आप का जो आदेश होगा उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन, श्रीमन्, हमको भी संसदीय पद्धति का थोड़ा ज्ञान है। यदि आप हमको अवसर दें तो मैं आपको रूलिंग भी बता सकता हूं । मैंने किसी भी व्यक्ति को बेईमान नहीं कहा है, मैंने माननीय मुख्य मंत्री को बेईमान नहीं कहा और न ऐसा करने की मेरी भावना ही थी । लेकिन मैंने उनके किसी कृत्य को बेईमानी कहा और ऐसा मेरा विश्वास है संसदीय प्रथा के अनुसार है और वह हमारी बात सत्य है । आप इसको देख लें, वैसे आपकी जो आज्ञा होगी, उसको हम मान लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मेरा कहना है आप इसको वापस ले लें । अगर आप मेरे कमरे में आकर इसको सिद्ध कर देंगे तो मैं उसको देख लूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय--

आपकी आज्ञा से मैं इसको वापस लेता हूं ।

बसों के किराये में वृद्धि

**४--श्री सियाराम (जिला एटा)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९७० में राजकीय बसों के किराये में वृद्धि कर दी गई है ? यदि हां, तो वृद्धि की दर क्या है तथा वृद्धि किस तिथि से हुई है ? वृद्धि की स्वीकृति शासन से कब ली गई थी तथा उसकी विज्ञप्ति कब हुई ?

श्री रामजी लाल सहायक--

बसों के किराये की दरें जो विज्ञप्ति संख्या ४१७१/३०-क-१-जी-६७, दिनांक १५ जुलाई, १९६८ में निर्धारित की गई थी और जो दिनांक ९ अगस्त, १९६८ से लागू हैं उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। किन्तु रेलवे के समानान्तर मार्गों पर कहीं-कहीं द्वितीय श्रेणी का किराया निर्धारित उच्चतम सीमा से कम लिया जा रहा था उसे निर्धारित सीमा जो ३.३० पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री है के अन्दर तक ही दिनांक १६ अप्रैल, १९७० से बढ़ाया गया है। चूंकि बढ़ा हुआ किराया विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्दर ही था, अतः इसके लिए शासन की स्वीकृति अथवा किसी और विज्ञप्ति के जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री सियाराम--

जो किराये में कमी रही, उससे शासन को कितनी आर्थिक हानि हुई ?

श्री रामजीलाल सहायक--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सियाराम--

जो किराया कम लिया जा रहा था, क्या उसके लिए शासन के कुछ आदेश थे ? अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही से कम लिया जा रहा था तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, किराया एक मिनिमम होता है और एक मैक्सीमम होता है। उसके बीच में किराये की व्यवस्था होती है। इसमें किसी अधिकारी की लापरवाही की बात नहीं है। जब कुछ घाटे की बात आयी तो बढ़ा दिया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह जानते हुए कि रेलवे के तीसरे दर्जे के किराये नहीं बढ़ाये गये हैं, मंत्री जी भी तीसरे दर्जे के किराये नहीं बढ़ायेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक---

यह तो आगे विचारने की बात है। विचार करेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री-

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यह जो किराया बढ़ाया गया है उसके कारण भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है?

श्री रामजीलाल सहायक-

ऐसी सूचना शासन को तो नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य बतायेंगे तो छानबीन कर ली जायगी।

श्री हिम्मत सिंह---

क्या जब जब घाटा होता है तभी किराया बढ़ाया जाता है ?

श्री रामजीलाल सहायक-

घाटे को पूरा करने के लिए तो किराया बढ़ेगा ही। यह तो सभी करते हैं।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय-

रोडवेज के थर्ड क्लास के किराये, रेल के थर्ड क्लास के किराये से अधिक हैं। क्या मंत्री जी उनको बराबर करने के लिये कोई निर्णय लेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक-

यह तो देखने की बात होगी।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बढ़े हुए किराये से पूरे घाटे में से कितना घाटा मंत्री जी पूरा कर पायेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक--

यह तो हिसाब किताब की बात है आगे इसे देख कर बता देंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बालिका इण्टरमीडिएट कालेज, बांदा, के विरुद्ध जांच

*१—श्री महीरजध्वज सिंह (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रादेशिक बालिका विद्यालय निरीक्षिका, चतुर्थ मंडल, इलाहाबाद में प्राप्त भ्रष्टाचार तथा गबन आदि के संबंध में प्रश्नकर्ता के आरोप-पत्र पर प्रधानाचार्य व सहायक लिपिक वीरेंद्र कुमार बालिका इंटरमीडिएट कालेज, बांदा के विरुद्ध की गई जांच की आख्या अर्धशासकीय पत्रांक ९५४/९/२४/६९-७०, दिनांक ५ नवम्बर, १९६९ को शिक्षा निदेशक को भेज दी गई थी ? यदि हां, तो उसमें २५ अप्रैल, १९७० तक क्या कार्यवाही की गई ?

*२—क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रादेशिका बालिक विद्यालय निरीक्षिका, चतुर्थ मंडल, इलाहाबाद, द्वारा प्रधानाचार्या व सहायक लिपिक बालिका विद्यालय इंटर कालेज, बांदा, के विरुद्ध ८ मार्च, १९७० को प्रश्नकर्ता के आरोप-पत्र पर पुनः जांच की गई ? यदि हां, तो उस जांच में क्या पाया गया ? क्या सरकार उस जांच आख्या को सदन के पटल पर रखने की कष्ट करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री महीरजध्वज सिंह—

शिक्षा निदेशक कार्यालय, लखनऊ में होने के बाद भी इतना समय क्यों लग रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इसका सम्बन्ध बांदा, इलाहाबाद, लखनऊ कई कार्यालयों से है। इसलिये देर लग रही है ।

श्री महीरजध्वज सिंह—

क्या यह सही है कि इसकी आख्या ५-११-६९ को आ चुकी है और वह बदली जा रही है और क्या उसकी रक्षा करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इसकी आख्या ५ नवम्बर, १९६९ को आ चुकी है और इसके बाद माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि २५ अप्रैल, १९७० तक क्या कार्यवाही की गई । तो यह विभिन्न स्थानों में है और सब की सूचना एकत्र कर रहे हैं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मंत्री जी ने कहा है कि ५ नवम्बर, १९६९ को आख्या के लिये भेजी गयी । तो ५ नवम्बर से २५ अप्रैल तक काफी समय होता है । इस बीच और अगर अधिकारियों ने आख्या नहीं भेजी तो उनके विरुद्ध माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करने की सोच रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

शायद माननीय सदस्य ने उत्तर को सुना नहीं होगा क्योंकि अगर सुना होता तो समझते ही । मेरा उत्तर यह था कि ५ नवम्बर, १९६९ को आख्या आ चुकी और पूछा गया था कि २५ अप्रैल, १९७० तक क्या कार्यवाही की गयी । तो स्पष्ट है कि उसको जानने के लिये हम सूचना एकत्र करेंगे ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

अध्यक्ष जी, ५ महीने से क्या सूचना एकत्र कर रहे हैं इसका जवाब दिलाइये ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

ललितपुर तहसील में प्रधानाचार्यों के विरुद्ध मामले

*१—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले की ललितपुर तहसील के किन-किन गैर सरकारी हाई स्कूलों के प्रधानाचार्यों के विरुद्ध गबन तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच आज कल शिक्षा निदेशालय के विचाराधीन है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ऐसा कोई मामला इस समय शिक्षा निदेशालय के विचाराधीन नहीं है ।

डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बांसी के प्रिन्सिपल के खिलाफ जो गबन का आरोप चल रहा है डेढ़ साल से उसके बारे में क्या सूचना है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न १ का उत्तर मैंने दिया है कि ललितपुर में इस समय कोई ऐसा मामला शिक्षा निदेशालय में विचारधीन नहीं है । क्या आपका प्रश्न किसी दूसरे से सम्बन्धित है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी माननीय सदस्य की सूचना को सही मानते हुये कि बांसी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अन्दर प्रधानाचार्य के द्वारा बहुत गबन हुआ है, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

ललितपुर तहसील की बात कह रहे हैं ? मैं समझा कि बांसी बस्ती वाला है ।

श्री श्रीपति मिश्र—

बांसी के सम्बन्ध में गबन की तो कोई बात विचाराधीन निदेशालय में है नहीं, लेकिन कोई शिकायत थी, उसके आधार पर हम स्पेशल आडिट उसका करा रहे हैं । उसके बाद अगर कोई ऐसी बात सामने आयेगी तो जरूर उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री हिम्मत सिंह—

मंत्री जी बताने की कृपा करें कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न आने के बाद जितने भी और केसेज थे वह तय हो गये—क्या यह सही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नकर्ता का प्रश्न जो कुछ है, इसके अलावा क्या केसेस हैं यह तो मालूम नहीं है । सूचना हो तो पता लगा सकते हैं ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो स्पेशल आडिट कर रहे हैं वह किन शिकायतों की बिना पर करा रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पूरी शिकायत तो मेरे समक्ष नहीं है, लेकिन एक शिकायत में यह था कि गबन हुआ है । तो उसके सिलसिले में जो जांच हुई उसमें कुछ कागजात भी पुलिस के हवाले किये गये और कोई

गबन दिखलाई नहीं पड़ता है। इसलिए स्पेशल आडिट बैठाया गया है कि वास्तविकता क्या है ?

श्री विश्वनाथ कपूर—

आपने एक बार कहा कि कोई गबन की शिकायत नहीं है और यह भी कहा कि गबन की शिकायत हुई है, तो दोनों में कौन सा उत्तर शिक्षा मंत्री जी का सही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में है।

श्री हिम्मत सिंह—

मेरे प्रश्न को मंत्री जी ने समझा नहीं। मैंने प्रश्न यह किया था कि प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न दिया उसके दौरान में जवाब देने के जितने और केसेज थे वह सब तय कर दिये गये और जवाब यह दिया जा रहा है कि कोई झगड़ा बाकी नहीं है, तो कितने केसेज तय किये उस दौरान में ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ललितपुर में दो कालेज हैं, एक मदन सिंह इंटर कालेज, झांसी। दूसरा है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बांसी। जो प्रश्न था तो शिक्षा निदेशालय में कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है। एक मामला जो ताल-बेहटा, झांसी का था वह अदालत में चला गया और दूसरे मामले में कुछ कागजात पुलिस क हवाले हैं और स्पेशल आडिट के बाद कार्यवाही की जायगी। और कोई केसेज का मालूम नहीं है।

पब्लिक इण्टरमीडिएट कालेज, मोतिहा, इलाहाबाद के अध्यापकों को वेतन वृद्धि न मिलना

*२—श्री श्यामसूरत उपाध्याय तथा श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पब्लिक इण्टरमीडिएट कालेज, मोतिहा, इलाहाबाद में किन-किन अध्यापकों को सन् १९५१-५२ से सन् १९६५-६६ तक की वार्षिक वेतन-वृद्धि नहीं मिली है तथा इसे कब तक अध्यापकों को दिला दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पब्लिक इंटरमीडिएट कालेज, मोतिहा, इलाहाबाद के निम्नांकित अध्यापकों को प्रत्येक के सम्मुख अंकित वर्षों की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिली है —

क्र० स०	अध्यापक का नाम	वर्ष जब की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिली है	
१	२	३	४
१—	श्री आर० पी० यादव	१९५६-५७	१९५७-५८
२—	श्री मन्साराम सिंह	१९५४-५५	१९५५-५६
		१९५६-५७	१९५७-५८
३—	श्री ओंकारनाथ पांडेय	१९५३-५४	१९५४-५५
		१९५५-५६	१९५६-५७
		१९५७-५८	..
४—	श्री हरी शंकर सिंह	१९५५-५६	१९५६-५७
		१९५७-५८	..

क्रम-संख्या	अध्यापक का नाम	वर्ष जबकि वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिली हैं	
१	२	३	
५—श्री बैजनाथ सिन्हा		१९५३-५४	१९५४-५५
		१९५५-५६	१९५६-५७
		१९५७-५८	
६—श्री सत्यप्रसाद श्रीवास्तव		१९५३-५४	१९५४-५५
		१९५५-५६	१९५६-५७
		१९५७-५८	
७— श्री विश्राम सिंह		१९५४-५५	१९५५-५६
		१९५६-५७	१९५७-५८
८—श्री रघुनाथ सिंह		१९५१-५२	१९५३-५४
		१९५४-५५	१९५५-५६
		१९५७-५८	
९—श्री गया प्रसाद पटेल		१९५१-५२	१९५२-५३
		१९५३-५४	१९५४-५५
		१९५५-५६	१९५६-५७
		१९५७-५८	

प्रबन्धक ने धनाभाव के कारण इन वार्षिक वेतन-वृद्धियों का भुगतान करने में असमर्थता प्रकट की है। १९५८-५९ के पूर्व विद्यालय असहायिक था। अतः शासन द्वारा इन वार्षिक वेतन-वृद्धियों के भुगतान हेतु संस्था को बाध्य नहीं किया जा सका।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

आपके माध्यम से मंत्री जी को सूचना देना चाहूंगा कि यह जो जवाब आपने दिया है यह अपूर्ण और गलत है। तो अगर सूचना आप चाहते हों तो टाइम ले लें...

श्री अध्यक्ष—

कौन सी चीज गलत है, आप लिखकर भेज दें। सवाल पूछें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि १९५८-५९ के बाद उक्त विद्यालय के सभी अध्यापकों को बराबर प्रति वर्ष वार्षिक वेतन-वृद्धि मिली है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जब से यह विद्यालय ग्रान्ट-इन-एड की लिस्ट में आया है तब से उनको वेतन वृद्धि मिल रही है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि श्री गया प्रसाद पटेल के सम्बन्ध में उनको जानकारी है कि उनको १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ की वेतन-वृद्धि का एक पैसा नहीं मिला है और अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है और उन्हें कब तक दिलवायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय सदस्य से इसकी जानकारी हो रही है। इसको देखेंगे, अगर नहीं मिला है तो उनको दिलाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अध्यापकों को वेतन-वृद्धि नहीं मिली है उनको दिलाने के पक्ष में हैं और यदि हैं तो क्या उस संस्था को अतिरिक्त धनराशि देने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिन अध्यापकों को वेतन-वृद्धि नहीं मिली है अगर हम उनको कानून से दिला सकते हैं तो अवश्य दिलायेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस काल में अध्यापकों को वेतन-वृद्धि नहीं मिली है उस काल में यह संस्था मान्यता प्राप्त थी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह संस्था ग्रान्ट-इन-एड की लिस्ट पर नहीं थी और उस काल में यह सस्था मान्यता प्राप्त थी या नहीं इसकी जानकारी कराने के लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ग्रान्ट-इन-एड जिस वर्ष से मिल रही है उससे पहले जो उनको वेतन-वृद्धि नहीं मिली तो क्या आगे ग्रान्ट-इन-एड के साथ यह शर्त लगा देंगे कि पिछला बकाया भी अध्यापकों को दे दिया जाय ?

श्री श्रीपति मिश्र—

आपने विचार व्यक्त किया है, हम देखेंगे कि कहां तक इसे करना सम्भव है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि धनाभाव के कारण प्रबन्धक ने भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की है लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि २० अप्रैल, १९६६ को प्रबन्धक और वहां के प्रिंसिपल ने शिक्षा निदेशक से अनुमति मांगी थी कि श्री गया प्रसाद पटेल को रु० २,६१८.०० १९५८-५९ के पहले का बकाया वेतन-वृद्धि का है उसके देने के लिये अनुमति दे दें । तो क्या उस पत्र के मुताबिक प्रबन्धक और प्रधानाचार्य को रु० २,६१८.०० गया प्रसाद पटेल को भुगतान करने की अनुमति दी गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अगर प्रबन्धक देना चाहते हैं तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं होगा ।

इण्टर परीक्षा में ग्रंथ-शिल्प विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परीक्षाफल

*३—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत १९६८-६९ की बोर्ड की इन्टर परीक्षा में ग्रंथ-शिल्प विषय में अनुत्तीर्ण ७ अंकों तक वाले परीक्षार्थियों की कापियां पुनः जांचने का आदेश बोर्ड द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अभी तक उक्त परीक्षार्थियों को उनकी पुनः जांच का परिणाम नहीं ज्ञात हो सका, जिसके कारण इस वर्ष १९६९-७० की परीक्षा में वे विद्यार्थी बैठने से वंचित रह गये ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

मिर्जापुर जिले में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को वेतन न मिलना

*४—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में पशुपालन विभाग में किन-किन तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन सन् १९६८-६९ व १९६९-७० का बाकी है और किस कारण से अब तक उसका भुगतान न हो सका ? इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सरकार कब तक करायेगी ?

पशुपालन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री राम प्यारे—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रश्न ३-३-७० को सरकार को प्राप्त हो गया था । कर्मचारियों का वेतन एक साल से नहीं मिला है । तो इसकी सूचना एकत्र करने में क्या कई वर्ष लेंगे ?

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, यह सही बात है कि इसमें देर हुई है । इसके सम्बन्ध में शासन की ओर से ४ मई को, १३ मई को और २१ मई को सूचना मंगाने के लिये कहा गया है ।

इसमें कार्यवाही की जा रही है उन अधिकारियों के विरुद्ध जिन अधिकारियों ने सूचना नहीं भेजी है ।

श्री राम प्यारे—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था चाहता हूं । सरकार की तरफ से प्रश्नों के उत्तर इस तरह से दिये जाते हैं यह सरकार का निकम्मापन और तानाशाही है और इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । आप इस प्रश्न को दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दें ?

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी यह सूचना ग्रहण करके कि इन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन काफी समय से बकाया है शीघ्र दिलाने की कृपा करेंगे ।

श्री गुलाब सिंह—

अगर बकाया होगा तो जरूर दिलाया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह—

चार मई को यहां से चिट्ठी चली गई, तीन रिमाइन्डर चले गये तो क्या मंत्री जी इसकी गम्भीरता को समझते हुए जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सिंह—

मैं तो पहले कह चुका हूं कि उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।

श्री राम कुमार शास्त्री—

क्या मंत्री जी कृपा कर बतावेंगे कि यह बकाये की रकम कुल कितनी है ?

श्री गुलाब सिंह—

श्रीमन्, अभी सूचना एकत्रित की जा रही हैं इसलिए रकम कितनी है यह बताना सम्भव नहीं है ।

टांडा नगरपालिका अध्यापक के सेवाकाल में वृद्धि

*५--श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका टांडा (फैजाबाद) द्वारा १९६९ तथा १९७० में नगरपालिका के कितने अध्यापकों को ६० वर्ष की आयु के उपरान्त सेवा में वृद्धि दी गई तथा किस आधार पर ऐसा किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र---

१ जनवरी, १९६९ से १६ अप्रैल, १९७० तक प्राथमिक पाठशाला के एक प्रधानाध्यापक के सेवा काल में ६० वर्ष की आयु के उपरान्त केवल एक वर्ष की वृद्धि विज्ञप्ति संख्या डी० १/१२८२/१५---२३७/६२, दिनांक १७ मार्च, १९६४ के आधार पर की गयी ।

(सम्बन्धित सदस्य नाम पुकारे जाने पर खड़े नहीं हुए)

श्री जगदम्बा प्रसाद---

इस प्रश्न में श्रीमन्, मुझे दिलचस्पी है ।

श्री अध्यक्ष---

आपको दिलचस्पी है तो बाद में ले लेंगे ।

श्री इम्तियाज हुसैन---

अध्यक्ष महोदय, में इस प्रश्न को वापस लेता हूं ।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह---

श्रीमन्, जब प्रश्न सदन के सम्मुख उपस्थित हो गया है तो वह वापस नहीं हो सकता है । हम लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

वापस तो नहीं हो सकता है यह बात ठीक है । लेकिन जब उनका नाम पुकारा गया तो वह सदन में उठे नहीं । ...व्यवधान...आप कृपा कर बैठें । व्यवस्था यह है कि जब कोई नाम पुकारा जाय और उस वक्त वह न उठे और आपने कहा कि हमें दिलचस्पी है और हमने कहा कि बाद में इसको लेंगे उसके बाद उठकर उन्होंने कहा कि हम प्रश्न को वापस लेते हैं । चूंकि लोग पूछ रहे हैं और वह नहीं पूछ रहे हैं इसलिए इसको बाद में लेंगे ।

श्री रामकुमार शास्त्री---

यह प्रथम बार ऐसी स्थिति इस सदन में उपस्थित हुई है । ऐसा मालूम हुआ कि वह सदन में नहीं हैं इसलिए दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने आपसे निवेदन किया और जैसे ही उन लोगों ने निवेदन किया वह खड़े हो गये । तो अब यह प्रश्न उठता नहीं कि वह पीछे लिया जायगा जब वह मौजूद है । ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा कर बैठे मैंने व्यवस्था दे दी है ।

*५---श्री इम्तियाज हुसैन---

[मा० सदस्य के खड़े न होने पर प्रश्न न लिया जा सका ।]

[२२ मई, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–श्री इन्द्र लाल––

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२–३––श्री शिवानन्द नौटियाल––

[९ वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*४–श्री राम गोपाल सैंड

[९ वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

वन विभाग द्वारा दिया गया लीसा

*५–श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)––

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों या सहकारी समितियों को टरपनटाइन फैक्टरी लगाने का लाइसेंस दिया गया है उनको कितना-कितना लीसा किस रेट पर वन विभाग द्वारा १९६९–७० में दिया गया है ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)––

लीसा उद्योग के लिये कोई लाइसेंस नहीं है वर्ष १९६९–७० में जिन व्यक्तियों या सहकारी समितियों को जितना लीसा जिस रेट पर वन विभाग द्वारा दिया गया, उसका ब्योरा संलग्न सूची में दर्शाया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २११ पर)

श्री डूंगरसिंह बिष्ट––

क्या वन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी० कोआपरेटिव फेडरेशन और टरपनटाइन फैक्ट्री को इसी रेट से लीसा दिया जाता है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह––

कौन से रेट से आपके कहने का मतलब है ?

श्री डूंगरसिंह बिष्ट––

जो रेट आपने इसमें दिया है । मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस रेट से बरेली टरपन-टाइन फैक्ट्री को दिया जाता है उसी रेट से कोआपरेटिव फेडरेशन को भी दिया जाता है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह––

जी नहीं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)––

यह लीसा बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है । श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि लीसा के बारे में माननीय मंत्री जी निश्चित अपनी पालिसी बता दें जिससे हम लोग भी आश्वस्त हो जायें कि उसमें कोई नुकसान नहीं है । उसमें बराबर नुक्सान होता चला जा रहा है । निश्चित पालिसी के माने यह हैं कि उसका रेट और डिस्ट्रीब्यूशन आदि ।

श्री अजीत प्रताप सिंह––

उसके बारे में कई दफे प्रश्न किया जा चुका है और वह बता दिया गया है कि लीसे का वितरण कैसे होता है । माननीय सदस्य यदि किसी खास चीज को जानना चाहेंगे तो हम उनको बता देंगे ।

श्री डूंगरसिंह विष्ट—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि टरपनटाइन फैक्ट्री और कोग्रापरेटिव फेडरेशन को एक ही रेट से नहीं दिया जाता है। इसका क्या कारण है क्या उसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

आई० टी० आर० गवर्नमेंट की फैक्ट्री है इसलिये उसको हम कन्सेशनल रेट्स पर लीसा देते हैं और दूसरों को नहीं।

श्री गोविन्दसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्तिगत रूप से विभिन्न संस्थानों को जो लीसा दिया जाता है उसका रेट आदि में जो अन्तर होता है उसका आधार क्या है और यह रेट किस प्रकार से फिक्स किया जाता है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जो लीसा आई० टी० आर० और यू० पी० कोग्रापरेटिव फेडरेशन को देने से बच जाता है उसका आक्शन किया जाता है और उसी में उसका रेट डिसाइड होता है।

श्री हिम्मत सिंह—

सहकारी समिति और आई० टी० आर० के रेट्स में क्या अन्तर है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मैंने पहले ही उत्तर दिया कि आई० टी० आर० और कोग्रापरेटिव फेडरेशन को कान्सेशनल रेट पर लीसा दिया जाता है। टरपनटाइन फैक्टरी या जो सहकारी समिति है उनको ९४ रुपया प्रति क्विन्टल पर लीसा दिया जाता है। इसमें उनको २ रुपया ६८ पैसा और पर क्विन्टल देना पड़ता है। इसके अलावा जो पब्लिक आक्शन होता है उसमें १४७ रुपया ७३ पैसा प्रति क्विन्टल आता है।

श्री डूंगरसिंह विष्ट—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि टरपनटाइन फैक्टरी तो गवर्नमेंट की है किन्तु यू० पी० कोग्रापरेटिव फेडरेशन गवर्नमेंट का नहीं है तो उसको उसी रेट पर दिया जाता है और १४७ के रेट से नहीं दिया जाता है तो इसका क्या कारण है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

यू० पी० कोग्रापरेटिव फेडरेशन को जो उसी रेट पर लीसा दिया जाता है वह इस कारण से देते हैं कि उनको कुछ प्रोत्साहन मिले और फायदा हो।

बदायूं विधान सभा क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

*६—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के बदायूं विधान सभा क्षेत्र में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने का सरकार का विचार है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री श्रीपति मिश्र—

यदायूं विधान सभा क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है।

*७—श्री कृष्ण स्वरूप—

[६वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*८-९—श्री सजीवन लाल—

[६वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*१०-११—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[६वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*१२—श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

[६वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*१३—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[६वें शुक्रवार के प्र० सं० २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नार्थ खीरी वन विभाग के मुख्य लिपिक के विरुद्ध जांच

*१४—श्री रामरतन (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नार्थ खीरी वन विभाग के मुख्य लिपिक कौन हैं और कितने दिनों से खीरी में हैं तथा आडिट के समय जो धनराशि की कमी लेखाधिकारी ने पाई उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

नार्थ खीरी वन प्रभाग के मुख्य लिपिक श्री राधेश्याम हैं। ये साढ़े पांच साल से खीरी में हैं। आडिट के समय लेखाधिकारी ने रु० .१३-३१ की कमी इनके रोकड़ में पाई। इस रु० १३.३१ पैसे का वाउचर मुख्य लिपिक द्वारा बांट दिया गया था। परन्तु पारित न होने के कारण लेखे में नहीं लिया गया था। इस पर अभी जांच की जा रही है।

*१५— श्री रामरतन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डी०एफ० ओ० प्लान्टेशन कौन हैं तथा कितने वर्षों से जिला खीरी में हैं। क्या इनके विरुद्ध कोई चल रही विभागीय जांच रिपोर्ट क्या सरकार को मिल गई? यदि हां तो क्या उन पर लगाये गये आरोपों की सत्यता सिद्ध हुई कि नहीं तथा उस पर सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय लिया?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

डी० एफ० ओ० प्लान्टेशन डिवीजन, खीरी, श्री गया प्रसाद सिंह हैं। श्री सिंह दिनांक १० दिसम्बर, १९६४, लगभग साढ़े पांच वर्ष से, जिला खीरी में हैं। इसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच रिपोर्ट न प्राप्त हुई है और न कोई जांच की जा रही है। अतः आरोपों की सत्यता सिद्ध होने तथा उस पर अंतिम निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१६—श्री कल्यान सिंह—

[६वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*१७—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन—(गोरखपुर)

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१८—श्री कल्यान सिंह—

[६वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*१९—श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

[६वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

माध्यमिक विद्यालयों में व्याज फण्ड का अंकेक्षण तथा उत्तर प्रदेश विद्यालय कर्मचारी संघ की मांगें

*२०—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय में रखे जाने वाले व्याज फंड का भी अंकेक्षण कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में रखे जाने वाले व्याज फंड के अंकेक्षण की व्यवस्था है।

*२१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को उत्तर प्रदेश विद्यालय कर्मचारी संघ का दिनांक ६ अगस्त, १९६९ का मांग-पत्र प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

कथित मांग-पत्र में गैर शिक्षक कर्मचारियों के सेवा नियम बनाने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित करने एवं इनको लाभत्रयी योजना की सुविधा देने तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा कार्य का पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग की गई थी। इन मांगों पर पहले से ही विचार किया जा रहा है।

बी० ए० कोर्स में "भारतीय संविधान" नामक कथित पुस्तक

*२२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि गर्ग पब्लिसिंग हाउस रेलवे रोड, गाजियाबाद द्वारा प्रकाशित तथा मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा बी०ए० के लिये स्वीकृत पुस्तक "भारतीय संविधान' जिनके लेखक श्री आर०के० शर्मा हैं, में आकाली दल के वर्तमान नेता "करतार सिंह" हिन्दू सभा के नेता "श्री गोलवलकर" लिखे गये हैं ! द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को मद्रास विधान सभा में ५० सीट तथा लोक सभा में ७ सीट मिली बताई गई है तथा जनसंघ को "साम्प्रदायिकता का घर" कहा गया और "सभी दंगों में जनसंघ का हाथ होना" बताकर बिलकुल असत्य तथ्यों से परे वर्णन से भरपूर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पुस्तक को बी० ए० की विषय सूची से हटायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा बी० ए० के लिये यह पुस्तक न तो राजनीति विज्ञान में और न भारतीय संविधान विषय के लिये स्वीकृत है। अतः विषय सूची से इस पुस्तक को हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम समाप्त करने का निर्णय

*२१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में प्रति वर्ष प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या घटती जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है। और सरकार उसके निराकरण के लिये क्या कर रही है?

कारागार मंत्री (श्री बिशन लाल)—

यह सही है कि इन विद्यालयों में प्रवेश संख्या घटती जा रही है जिसका मुख्य कारण इस पाठ्यक्रम को नेशनल अप्रेंटिसशिप ऐक्ट के अन्तर्गत मान्यता नहीं प्राप्त कर पाना है। इस अभाव के कारण पास किये विद्यार्थियों को उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं कार्य मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

यह पाठ्यक्रम मैट्रीकुलेशन के समकक्ष भी नहीं मान्य है तथा न्यूनतम योग्यता के छात्र होने के कारण इस में फ़ेल होने वाले छात्रों की संख्या भी बहुत रहती है।

इन पाठ्यक्रमों की अनुपयोगिता को देखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि आगामी जुलाई से प्रथम वर्ष की कक्षायें नहीं चलाई जायं और धीरे-धीरे इस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाय ।

अतारांकित प्रश्न

सीतापुर जिले में शिक्षा संस्थाओं को सहायता

१—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर में कुल कितनी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षण संस्थायें ऐसी हैं जिनको वित्तीय वर्ष सन् १९६८-६९ व १९६९-७० में आवर्तक या अनावर्तक सहायता दी गई है, तथा किस संस्था को कितनी-कितनी मात्रा में सहायता दी गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

†सूचना संलग्न है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियमों की ओर दिलाना चाहता हूं । यहां पर जो मंत्री जी यह कह देते हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है इससे संबंधित ३८ का पार्ट (२) है । इसमें साफ दिया हुआ है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर न आ सका हो तो उसकी परिस्थिति क्या है यह मंत्री जी बतायेंगे कि इस परिस्थिति के कारण इसका उत्तर नहीं आया । आप फिर यह तय करेंगे अपने विवेक से कि कितना समय इनको दिया जाय इस प्रश्न का उत्तर आने के लिये । आप तिथि निश्चित करेंगे कि इस तिथि तक उत्तर आना चाहिये ।

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें यह है कि किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिये वह सूचीबद्ध किया गया हो । यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुये उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिए कोई तिथि नियत करेंगे । तो उसके लिये उत्तर की तिथि वे देते हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

यह मंत्री के लिये आवश्यक हो गया है कि उत्तर न देने की स्थिति को वह बतायेंगे कि क्या कारण है । दूसरे आपको पूरा अधिकार हो गया उनकी बात को सुनकर कि तारीख निश्चित करें ताकि वह उत्तर दे सकें । इस पर आप व्यवस्था दें ?

श्री अध्यक्ष—

आप उसके बाद प्रश्न करते हैं कि किस वजह से यह उत्तर नहीं आया । उसका जवाब वह देते हैं कि इस वजह से यह बात हुई । यदि किसी प्रश्न में यह कहा जाय कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो इस उत्तर देने का आशय यह समझा जायगा कि सरकार उस प्रश्न को स्थगित करना चाहती है । इसलिये उसका स्थगन दो सप्ताह के लिये होगा और वह अंतिम माना जायगा । उस प्रश्न का उत्तर उस अवधि में देना चाहिये । यह आर्डर हमारे यहां से हो चुका है और उसी हिसाब से दूसरी तिथि रखी जाती है ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा निवेदन इतना है कि यह जो नियमावली बनी हुई है इसमें सदन के सारे काम को चलाने के लिये हिदायत दी हुई है । जो मंत्री जी कारण बताते हैं वह आपको मालूम न होकर सदन को मालूम हो जाय । प्रश्नकर्ता को भी मालूम नहीं हो पाता कि कारण क्या है । तो वह कारण हमको भी मालूम हो जाय और सदन को भी मालूम हो जाय कि यह कारण है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस बात को जरूर कहूंगा मंत्री महोदयों से कि यह लिख दिया करें कि किस कारण से देना संभव नहीं है, क्यों इतनी देर लग रही है ?

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, दो सप्ताह पूर्व मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम में अधिकतम कठोर तप करने वाले सेनानी वीर सावरकर की जयंती २८ मई को राज्य स्तर पर मनायेगी क्योंकि केंद्रीय सरकार भी उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी कर रही है । वह प्रश्न आपके कार्यालय से स्वीकृत हो गया । लेकिन बार-बार यह उत्तर मिल रहा है कि सूचना मंत्री जी जिनको कि उत्तर देना है, वह लखनऊ से बाहर है। तो पहले तो विधान सभा के दिनों में मंत्री महोदय को लखनऊ में ही रहना चाहिये । फिर सूचना विभाग का यही एक प्रश्न आया है । तो मुख्य मंत्री जी से इसका जवाब दिलवाने की कृपा करे । बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और केवल २६ तारीख को ही विधान सभा है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं जांच कर लूंगा और कोई दिन मुकर्रर कर दूंगा ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं सदन के अवसान की सूचना देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

बाद में दीजियेगा ।

बिक्री-कर विभाग की विज्ञप्ति*

बिक्री-कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क और ४ के अधीन जारी की गयी वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस-टी-३०८५/१०-९००(१२)-६७, दिनांक २ मई, १९७० को उक्त ऐक्ट की धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ २१२-२१३ पर)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४९ के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा १ मई, १९७० को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २१ मई, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५३ के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा ४ मई, १९७० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २१ मई, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी यात्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा ४ मई, १९७० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २१ मई, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है ।

---

*छापी नहीं गयी ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न मेरे सामने आया था । वह सदन की कार्यवाही से संबंधित है । मुझे सदन की कार्यवाही पढ़नी पड़ेगी । उसके बारे में मैं कल फैसला दूंगा । माननीय सदस्य, जो सूचना दे रहे थे वह कृपा कर मेरे पास भेज दें । उनकी नोटिस तो मिल गयी ।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

लिखित भेज दूंगा । जबानी तो अभी दे देता हूं । यह मंत्री महोदय के विरुद्ध है । श्री उदित नारायण शर्मा जी ने बजट की आलोचना की है और इस सदन में जो उन्होंने बजट में बोलते हुये आलोचना की है उसके संबंध में बी०के०डी० उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही कर रही है और यह सदन का अवमान है । अगर उन के खिलाफ कार्यवाही होती है ।

श्री अध्यक्ष—

वह चीज मेरे पास नहीं आई है जब आयेगी तब देखेंगे ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, अभी यहां एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया और उस में एक निश्चित चीज है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं एक पत्र एग्जिक्यूटिव को लिखा है कि श्री उदित नारायण शर्मा को पार्टी से निकाल दिया जाय क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में विरोध किया है। ऐसी बात पर यदि सदन के नेता किसी सदन के माननीय सदस्य को अपने विचार सदन में प्रकट करने पर निष्कासन की धमकी दें तो इससे ज्यादा अवमान का विषय और क्या हो सकता है। आप उन से कृपा करके अभी पूछ लें कि उन्होंने ऐसा लिखा है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया है, आ जायगा तब देखेंगे । अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति ने जो सूचना दी है वह सुनाता हूं ।

(व्यवधान)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, यह शर्मा जी वाला मामला बहुत गम्भीर मामला है आप इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य करा दें ।

श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, इस तरह से जनतंत्र की हत्या हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, ऐसे नहीं आप लिखकर भेज दें ।

श्री इन्द्रजीत —

चौधरी साहब जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक उनकी पार्टी के अन्दर के मसले हैं हमें उनसे ज्यादा मतलब नहीं है, हमें तो केवल एक बात से मतलब है कि अगर सदन के कोई सम्मानित सदस्य सदन में अपना भाषण दें और उन पर अनुचित दबाव उस भाषण के संबंध में डाला जाय तो क्या वह माननीय सदस्य पर दबाव नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

यह सब लिखकर आयेगा, तब देख लेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर उनका अपमान इस तरह से होता है तो वह सदन का अपमान होता है। आप की जो व्यवस्था होगी वह हम मान लेंगे कभी ऐसा हुआ है कि आप की व्यवस्था हमने न मानी हो। हम जानना चाहते हैं कि.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, जब उन का मेरे पास आयेगा तो विचार होगा, मैंने उनसे कहा वह बैठ गये। आप बैठें।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक २१ मई, १९७० की बैठक में सदन के कार्य-क्रम में संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं—

(१) २७ मई, १९७० को सायंकाल ५ बजे के बाद १ घंटे में उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार तथा उसका पारण होगा।

(२) २८ मई, १९७० को सायंकाल ५ बजे के बाद १ घंटे में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार तथा संशोधित विधेयक का पारण होगा। (व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक २१ मई, १९७० की बैठक में सदन के कार्यक्रम के संबंध में की गयी निम्नलिखित सिफारिशों से सहमत है?

(१) २७ मई, १९७० को सायंकाल ५ बजे के बाद १ घंटे में उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार तथा उसका पारण होगा।

(२) २८ मई, १९७० को सायंकाल ५ बजे के बाद १ घंटे में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार तथा संशोधित विधेयक का पारण होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन श्री महीलाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैंने आपके पास एक पत्र बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के संबंध में लिखा था, उसका क्या हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको कार्य-मंत्रणा समिति में चूंकि वह विरोध में थे, इसलिये यह उचित समझा कि नेता विरोधी दल और नेता सदन दोनों इस पर पहले विचार कर लें उसके बाद भेज दिया जायेगा । (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की बात भी तो सुन लिया करें । जब आप खड़े होते हैं तो हम लोग बैठ जाते हैं, इसी तरह से जब हम लोग खड़े हों तो आपको भी बैठ जाना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन का अपमान किया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आगे का कार्यक्रम लेता हूं । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, कल मैंने स्थायी समितियों के चुनाव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो आपने उस पर आज निर्णय देने के लिये कहा था । उस पर आपको निर्णय दे देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

उस पर मैंने निर्णय कर लिया है । वह मैं आपको बाद में सुना दूंगा ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७०

राजस्व उपमंत्री (श्री रामकिंकर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामकिंकर—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये सत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २१४–२१६ पर)

बांदा जिले के राजापुर कालेज के अध्यापकों व विद्यार्थियों की थानेदार द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब बांदा जिले के राजापुर कालेज के अध्यापकों व विद्यार्थियों को थानेदार द्वारा मारे जाने के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा।

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १२-४-७० को साढ़े सात बजे सायंकाल श्री कालिका प्रसाद, निवासी ग्राम खटवारा, थाना राजापुर, अध्यापक, तुलसी इण्टर कालेज, राजापुर ने एक लिखित रिपोर्ट थाने पर दी कि उनके मकान में १०-४-७० की शाम को ४-३० व ५—०० बजे के बीच चोरी हुई जिसमें जेवरात व नकदी कीमत ३,४१७ रुपया चोरी गया। इस रिपोर्ट पर अभियोग कायम करके थानाध्यक्ष तुरन्त मौके पर तफतीश के लिए गये। वादी थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही तफतीश से सन्तुष्ट न था और दिनांक १६-४-७० को श्री देवी चरण पाठक, सहायक कालिका प्रसाद की सहानुभूति में थाने के सामने भूख हड़ताल करने बैठ गये। वादी तथा उनके आदमियों का यह कहना था कि पुलिस अभियुक्तों से मिल गयी है इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तथा चोरी गये माल का कुछ हिस्सा थानाध्यक्ष ने अभियुक्त से ले लिया है।

श्री देवी चरण ने एक तार जिला मजिस्ट्रेट व एस० पी० को भेजा कि थानाध्यक्ष राजापुर के विरुद्ध थाने के सामने अनशन चालू करेंगे। अतः सर्किल अफसर को मामले में जांच के लिए भेजा गया। सर्किल अफिसर ने जांच के बाद २०—४—७० को संस्तुति की कि मुकदमें की तफतीश सर्किल इन्सपेक्टर कर्वी को सौंप दी जाय क्योंकि वादी थानाध्यक्ष राजापुर से संतुष्ट नहीं है। अतः जांच सर्किल इन्सपेक्टर को २२-४-७० को दे दी गई।

दिनांक २०-४-७० को ही सायंकाल उपरोक्त अनशन करने वालों के विरुद्ध ग्राम खटवारा के कुछ लोग अनशन करने बैठे। दोनों दलों में नारेवाजी और गाली गलौज हुई तथा अन्त में मार पीट भी हो गई। इस पर थानाध्यक्ष राजापुर ने धारा १५१ व १०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत देव नारायण शास्त्री, देवी चरण पाठक, लक्ष्मी प्रसाद वर्मा अध्यापक एवं विद्यार्थी हनुमान प्रसाद कोएक पार्टी से तथा बसंत लाल, नारायण दास व बाबूलाल को दूसरी पार्टी से रात में ९.०० बज गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान अध्यापक देवी नारायण व विद्यार्थी हनुमान प्रसाद को चोटें आईं। उपरोक्त पकड़े गये व्यक्ति २१-४-७० को एस० डी० एम० कर्वी के न्यायालय में पेश किए गये और उसी दिन जेल भेज दिए गए।

यह सही नहीं है कि अध्यापक गण थाने २०-४-७० को कोई रिपोर्ट लिखाने गये थे। यह भी सही नहीं है कि थानाध्याक्ष, राजापुर ने उनको गालियां दीं और मारा और उनकी सहानुभूति में थाने पर गये श्री देवी नारायण शास्त्री को मारा। अध्यापकों और विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज किए जाने की बात भी सही नहीं है। इस समय वहां पर पूर्ण शान्ति है।

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्टीकरण के लिए एक आध प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राम चरण (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, जो बयान अभी माननीय मंत्री जी ने दिया वह केवल उन्होंने अपने अधिकारियों की रिपोर्ट पर ही दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी राजापुर में २३ तारीख को गये थे। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि वे ही बता दें। उनसे वहां पर एक डेप्यूटेशन भी मिला था और उनको पूरी जानकारी है। क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो झगड़ा हुआ वह थाने से कितनी दूर पर हुआ और उस झगड़े में दूसरी पार्टी के लोगों को कितनी चोटें आयी हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

यह झगड़ा थाने के पास ही हुआ था । एक पार्टी में देव नारायण शास्त्री अनशन कर रहे थे और १६ तारीख से दूसरी पार्टी ने जिसमें देवी चरण पाठक थे अनशन आरम्भ किया । उनमें नारे बाजी हुयी, गाली गलौज हुयी और २ व्यक्तियों को चोटें आयीं ।

श्री रामचरण--

क्या यह सही है कि जो चोटें आयीं वे एक ही पार्टी वालों को, जिनमें अध्यापक और विद्यार्थी शामिल थे, आयीं और जो दूसरी पार्टी वाले उस दिन अनशन पर बैठे थे उन्हें बिल्कुल नहीं आयीं जो पुलिस की हमदर्दी में अनशन कर रहे थे ? अगर इन अध्यापकों को चोटें आयीं तो क्या उनकी डाक्टरी रिपोर्ट आपके पास है । अगर है तो उसमें क्या विवरण दिया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मैंने अभी बताया कि २ व्यक्तियों को चोटें आयी हैं, एक हैं देव नारायण शास्त्री और हनुमान प्रसाद (विद्यार्थी) । इनका मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ है और जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि--

" All the injuries are simple in nature. Injury No.1, 2, 5 & 6 are caused by the blunt weapon and rest by friction against hard substance. Duration about 2/3 days old."

श्री राम चरण--

राजापुर की पूरी जनता का वहां की पुलिस पर विश्वास नहीं रहा है तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी किसी मैजिस्ट्रेट या सी० आई० डी० द्वारा इसकी जांच करवायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

इसमें सर्किल इन्सपेक्टर जांच कर रहे हैं । डाक्टर की रिपोर्ट है कि सिम्पुल इन्जरीज हैं । इसके लिये मैजिटीरियल इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है ।

देहाती क्षेत्रों में डालडा व मिट्टी के तेल की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य

(श्री भगौती सिंह, उप मंत्री, खाद्य तथा रसद विभाग के वक्तव्य का कुछ भाग पढ़ने पर)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था यह है कि माननीय मंत्री जी नर्वस हो रहे हैं । इस वक्तव्य को कोई अन्य मंत्री पढ़ते जिससे हम सुन सकते । ये कांप रहे हैं ।

(कई सदस्यों द्वारा सुनाई न देने की आपत्ति करने पर)

श्री अध्यक्ष--

जिस माइक्रोफोन पर आप बोल रहे हैं वह ठीक नहीं मालूम होता । आप दूसरे माइक्रोफोन पर हो जायं ।

(उपमंत्री दूसरे माइक्रोफोन पर पढ़ने का उपक्रम करते हुए)

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को बैठकर पढ़ने की आज्ञा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री महोदय बैठकर पढ़ सकते हैं ।

(मंत्री जी वक्तव्य पढ़ते रहे और कई सदस्य खड़े होकर व्यवधान करते रहे)

एक सदस्य—

जब यह बीमार हैं तो इन्हें मंत्रिमंडल में क्यों लिया गया है ।

श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

मंत्री जी कांप रहे हैं, वे कहते हैं कि वे बीमार हैं । जब बीमार हैं तो इन्हें मंत्री क्यों बना दिया गया । किसी दूसरे मंत्री से वक्तव्य पढ़वा दें ।

(श्री बल्देव सिंह आर्य द्वारा वक्तव्य पढ़ने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया शान्त रहें, अब दूसरे मंत्री जी उसे पढ़े दे रहे हैं ।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष —

क्या है ।

श्री मंजूर अहमद—

पहले मंत्री जी तो बैठें । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या मंत्रि मंडल में कोई बीमार आदमी को भी मंत्री बनाया जा सकता है । इस मंत्रि मंडल में कई बुजुर्ग हैं जिन पर बड़ा रहम आता है । उनको मंत्रिमंडल से हटा कर मंदिर की माला दे दें.....' (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप कृपया बैठें ।

खाद्य मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्तव्य को पुनः शुरू से पढ़ता हूं ।

(इस समय १२ बज कर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए ।)

वनस्पति लाइसेन्सिंग आदेश इस उद्देश्य से जारी किया गया है कि वनस्पति की उपलब्धता को देखते हुए उसका विवरण जनता में इस प्रकार सुनिश्चित किया जाय कि अधिक से अधिक जनता को निर्धारित मूल्य पर मिल सके । इस लाइसेन्सिंग का यह उद्देश्य नहीं है कि वनस्पति के उत्पादन को शासन अपने हाथ में लेकर निर्धारित दुकानों के माध्यम से बिकवाये । मार्च के पूर्वार्द्ध में प्रायः सभी मिलों ने उत्पादन में कमी कर दी थी । कुछ ऐसी भी मिलें थीं जिन्होंने उत्पादन बिल्कुल बन्द कर दिया था ।

२—१८ मार्च, १९७० को भारत सरकार द्वारा वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि के पश्चात् वनस्पति का उत्पादन मिलों ने मार्च के पूर्वार्द्ध की अपेक्षा बढ़ा दिया एवं उन दो—

१—गणेश फ्लावर मिल, कानपुर २—अमृत वनस्पति, गाजियाबाद, मिलों ने जो इस प्रदेश में स्थित हैं तथा जिन्होंने उत्पादन बिल्कुल बन्द कर दिया था फिर से वनस्पति का उत्पादन आरम्भ कर दिया । परिणाम यह हुआ कि वनस्पति की सप्लाई प्रदेश के जिलों में क्रमशः बढ़ने लगी परन्तु तब भी वनस्पति मिलों ने अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन कार्य नहीं किया जिसके फलस्वरूप पहले की भांति वनस्पति की सप्लाई जिलों में नहीं हो सकी और जिलों से कमी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होती रही ।

३—इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने समस्त जिलाधीश को दिनांक ६ अप्रैल, १९७० के पत्र द्वारा यह आदेश प्रसारित किये कि वनस्पति के वितरण पर अनावश्यक प्रतिबन्ध न लगाये जायं और न अनावश्यक आरक्षण ही किया जाय । इसके पश्चात् भारत सरकार को दिनांक

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

९ अप्रैल, १९७० को वनस्पति की सप्लाई की कमी की स्थिति से अवगत कराया गया तथा अनुरोध किया गया कि वह ऐसा कदम उठाये कि वनस्पति निर्माता पूरी क्षमता से उत्पादन करने लगें ताकि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वनस्पति उपलब्ध हो सके। इसी आशय का एक पत्र दिल्ली स्थित वनस्पति निर्माताओं के एसोसिएशन के सेक्रेटरी को भी दिनांक ९ अप्रैल, १९७० को भेजा गया।

४—वनस्पति में जखीरेबाजी के विरुद्ध भी शासन ने कड़ा कदम उठाया। समस्त जिलाधीशों को यह आदेश दिये गये कि वे शीघ्र ही रेड करके वनस्पति के छिपे माल को पकड़े तथा दोषी व्यापारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें। इसके फलस्वरूप १९ जिलों में ४१,७१८.९५ किलो वनस्पति पकड़ा गया तथा सम्बन्धित डीलरों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई।

५—प्रदेश के देहाती क्षेत्रों के लिये सरकार ने वनस्पति सप्लाई की कोई अलग से व्यवस्था नहीं की है। शहरी क्षेत्रों की भांति जो व्यापारी वनस्पति का व्यापार वनस्पति लाइसेंसिंग आदेश जारी करने के ठीक पहले कर रहे थे उनको लाइसेन्स प्राप्त करके वनस्पति बिक्री करने की देहाती क्षेत्रों में भी स्वतंत्रता है।

६—५ मई, १९७० के सेविग्राम द्वारा समस्त जिलाधीशों को ये आदेश दे दिये गये हैं कि वे ऐसे व्यापारियों को जो जान-बूझ कर स्टाक निर्माताओं से न मगायें चेतावनी देकर उनका लाइसेन्स निरस्त कर दें तथा संबंधित निर्माताओं से आग्रह करें कि उनके स्थान पर अन्य व्यापारी की नियुक्ति कर दें। निर्माताओं को भी दिनांक ५ मई, १९७० के पत्र द्वारा यह बतला दिया गया है कि वे उन व्यापारियों के स्थान पर जिनका लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया है नये व्यापारी नियुक्त कर दें।

७—राज्य सरकार वनस्पति की कमी की समस्या की ओर पूरी जागरूक है तथा समय-समय पर उचित कदम उठा रही है। भारत सरकार और वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स ऐसोशियेशन नार्दर्न जोन दिल्ली से लिखा पढ़ी चल रही है और निकट भविष्य में स्थिति में सुधार हो जाने की आशा है।

८—प्रदेश में जहां तक मिट्टी के तेल का कमी का प्रश्न है तेल की कमी नहीं है। यदि सरकार को यह सूचना मिले कि किस जिले में मिट्टी के तेल की कमी है तो उसकी समुचित व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जायगी।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में लिखा है कि देहाती क्षेत्रों के लिए सरकार ने अलग से वनस्पति सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं की है, किन्तु मेरी अपनी जानकारी है कि हर तहसीलदार को कलेक्टर्स ने आदेश दिये हैं कि ग्रामीणों को परमिट दिये जा सकते हैं। लेकिन मान्यवर दुख यह है कि परमिट तो दे देते हैं, लेकिन ग्रामीण आदमियों को एक टिन डालडा भी नहीं मिलता है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, मने निवेदन किया कि जो पहले से वनस्पति बेंचते थे उन्हीं को लाइसेंस दिये गये हैं और उनको इस बात की भी स्वतन्त्रता है कि देहात से जो लोग उनसे खरीदने के लिए आएं उनको भी वे बराबर डालडा दें। जो दुकानें पहले से देहातों में मिल वालों ने दे रखी हैं या एजेन्ट मुकर्रर कर रखे हैं, उनके पास जो जाते हैं उनको भी वे बेचा करते हैं। जिनको लाइसेंस दिया गया है, उसको वह ठीक से वितरित कर सकें इसलिए जिलाधीश ने अपनी व्यवस्था जिलों में की है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

आपने बताया कि जो लाइसेंस की दुकानें हैं, वहां पर देहाती क्षेत्र के लोग भी डालडा खरीद सकते हैं, लेकिन जब वे जाते हैं तो उनको मिलता नहीं है। मेरे जिले इलाहाबाद की बात यह है कि एक एक टिन पर ३०/४० रुपया ब्लैक है, तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

दूसरा सवाल यह है कि इस समय देहातों में शादियों का जोर है और डालडा की सख्त जरूरत है, तो शादियों के लिए घी सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्रीमन् डालडा पर कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ डालडा के विक्रेताओं को लाइसेंस देने की व्यवस्था है। जो स्टाक उनके पास रहता है उसी के वितरण की व्यवस्था है। जिलाधीश और जिलाधीश के मातहत अधिकारी परमिट्स गांव वालों को भी दिलाते हैं, और शहर वालों को भी दिलाते हैं। कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है कि सिर्फ शहर वालों को डालडा मिले और देहात वालों को न मिले। सबके लिए देने की व्यवस्था है। जो व्यक्ति दरख्वास्त देता है डालडा के लिए, उसकी जरूरत के मुताबिक या जो स्टाक उपलब्ध होता है उसके मुताबिक डालडा दिया जाता है। हो सकता है कि कुछ ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत हो, जैसी माननीय मित्र कर रहे हैं, अगर उनके सामने कोई ऐसी शिकायत आयी हो या उनकी याददाश्त में हो वह हमें दें, तो कार्यवाही की जायगी। जहां कहीं भी जिला अधिकारियों के सामने ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं वह तुरन्त उन पर कार्यवाही करते हैं।

श्री रामचरण—

क्या खाद्य मंत्री को पता है कि पूरे प्रदेश में डालडा का ब्लैक हो रहा है, पूरे प्रदेश में १२५ रुपये १३० रुपये का टिन बिक रहा है, इसके बाद मान्यवर, खाद्य मंत्री कहते हैं कि उनको सूचना दी जाय, देहात और शहर में १३० रुपये का टिन बिक रहा है, लखनऊ, राजधानी में उनकी नाक के नीचे ब्लैक हो रहा है, तो हम लोगों के जानकारी कराने से लाभ नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह यह आश्वासन दें कि भविष्य में उसका ब्लैक नहीं होगा और क्या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वह डालदा उपलब्ध कराने जा रहे हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कीमत मुकर्रर है, उससे अधिक कीमत लाइसेंस की दूकानें हैं, वे नहीं वसूल कर सकती हैं। सरकार ने छिपे हुए वनस्पति को, उन दूकानों पर जिन्होंने छिपा रखा था, आम जनता के फायदे के लिए छापा मार कर बाहर निकाला। मैंने अपने वक्तव्य में निवेदन किया है कि ४१ हजार ७ सौ १८ किलो उनसे निकाल कर आम जनता, उपभोक्ताओं को दिलाया है। यह कहना कि ब्लैक से बिक रहा है, उसकी कोई स्पेसिफिक शिकायत होनी चाहिए। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि वनस्पति घी की कमी का कारण यह भी है कि जो रा मैटीरियल है जिससे घी बनता है उसकी कमी है। चूंकि उससे हमारे मिलों की कैपेसिटी पूरी नहीं हो पाती है इसलिए डालडा पूरी तरह से मिल नहीं रहा है। अब भारत सरकार को लिखा गया है और जो वनस्पति निर्माताओं का एसोशिएशन है उसको भी लिखा गया है कि अपनी क्षमता को बढ़ाएं जिससे प्रदेश में काफी मात्रा में वनस्पति आ सके और लोगों की आम शिकायत है वह दूर हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) अब आगे चलिए। मैं समझ गया। समस्या विकराल है। आपने ध्यान आकृष्ट कर दिया। अब आगे चलते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं इस सदन में

[श्री कृष्णानन्द राय]

आपने देखा है कि दो बिलकुल अस्पष्ट तथ्य आये हैं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं ब्लैक नहीं हो रहा है और इस सदन के सभी सदस्य यह सूचना देने के लिये तैयार हैं कि डालडा खुले आम १२० और १२५ रु० टिन बिक रहा है जब कि उसका दाम ९४ रु० फिक्स कर दिया गया है। तो श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी यह आदेश दे दें कि इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करा ली जाय ताकि इस सदन के सदस्यों की गरिमा रह जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन की जो भावनायें हैं, वह व्यक्त हो गई हैं और उस पर कार्यवाही हो जायेगी। जैसा खाद्य मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ कमी के कारण हैं चोर-बाजारी भी होती होगी। तो इस प्रश्न को करने से सदस्यों का समाधान नहीं होगा।

(व्यवधान)

(माननीय कल्पनाथ सिंह जी की ओर इशारा करते हुये)

आप व्यवस्था का प्रश्न कर रहे थे ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

आपने मेरा नाम क्या लिया ?

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय कल्पनाथ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरे नाम के आगे सिंह भी लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मेरे नाम के आगे सिंह न जोड़ें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इधर के बैठने वाले लोग डाक्टरों, वकीलों मास्टरों, विद्यार्थियों, कन्ज्यूमरों और किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उधर के जो लोग बैठे हैं वे डालडा के ठेकेदारों, व्यापारियों, थोक-विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें विरोधाभास है। इस सम्बन्ध में जनता के प्रतिनिधियों की हैसियत से हम लोग यह चाहते हैं कि आज इस सदन में इस विषय पर बहस करा दें ताकि इस सरकार की नकाब खुल जाय और जनता के सामने यह बात जाय कि यह सरकार खुद ब्लैक मार्केटिंग कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर आप बोलना चाहें बोल सकते हैं और ध्यान आकृष्ट करा सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अगर हम बोलेंगे तो वे जवाब नहीं देंगे। इसलिये इस पर बहस के लिये आप दिन मुकर्रर कर दें। इसी पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता था। नियम ५२ के अन्तर्गत आप इसे स्वीकार कर लें और इस पर ढाई घंटे की बहस करा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

इस प्रश्न से यह सवाल नहीं उठता है। अगर किसी प्रकार की व्यवस्था आप इसमें चाहते हैं तो जो नियम है उसी के अनुसार चलना होगा और उसी के अनुसार उस पर बहस का अवसर दिया जायेगा। मैंने इस समय इस पर तीन चार सवाल करने की अनुमति दे दी। अब हम आगे चलते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, आप बड़े उदार हैं, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यहां पर एक ऐसी बात कही गई है जो कि यदि रिकार्ड में चली गई तो बड़ा गड़बड़ हो जायेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, उन्होंने तो यह कह दिया कि सरकार का इस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। मैं उनसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जिन वस्तुओं के वितरण पर सरकार का कन्ट्रोल है, उनमें डालडा शामिल है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे रहे है।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

अगर आप अनुमति दें तो मैं यह कह सकता हूं मैंने यह कहा कि जितने विक्रय करने वालों को हमने लाइसेंस दिये हुये हैं, उनके पास जो स्टाक है, उसको वितरण करने की व्यवस्था जिलाधिकारी करते हैं। सप्लाई और प्रोडक्शन पर इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

(व्यवधान)

न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी कानपुर, की बन्दी से श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

न्यू विक्टोरिया मिल्स कं०, लि०कानपुर, में ५६,१८० स्पिन्डिल्स और १,२७७ लूम हैं। इसके बन्द होने के समय अक्तूबर १९६७ में इसमें ४,९८५ श्रमिक काम करते थे। इस मिल की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई थी और इसको चलाने के लिये मिल मालिक अपने साधनों से धन नहीं लगा पा रहे थे। १९६५ में इस मिल ने राज्य सरकार से मिल को सुचारु रूप से चलाने के लिये ५० लाख रु० के ऋण की प्रार्थना की। भारत सरकार ने श्री एस० के० चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन दिनांक ३-१-१९६६ को किया जिसने मिल की वित्तीय और टेकनिकल स्थिति की जांच की। इस समिति की यह राय थी कि मिल की दशा इतनी शोचनीय है कि उसके पास ऋण की जमानत देने के लिये कोई सम्पत्ति नहीं है। इस समिति ने यह राय दी कि इस मिल को "वाइन्ड अप" कर देना चाहिये। २९ जनवरी, १९६६ में भारत सरकार ने श्री ईश्वरन की अध्यक्षता में इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐन्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१, के अन्तर्गत इस मिल की जांच करने के लिये एक और समिति का गठन किया। इस समिति की भी यही राय थी कि मिल की हालत को देखते हुए उसका लिक्वीडेशन हो जाने देना चाहिये। मिल के डाइरेक्टरों ने इस जांच को नहीं माना और मांग की कि इस मिल की फिर जांच होनी चाहिये। इसलिये ८ मई, १९६७ को भारत सरकार ने एक और समिति उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, की अध्यक्षता में गठित की ताकि वह मिल की स्थिति की पूरी जांच करके एक स्पष्ट राय दे। इस समिति की यह राय थी कि यदि इस मिल के आधुनिकीकरण में ४१.५ लाख रु० का व्यय किया जाय और सरकारी दायित्वों को कुछ देर के लिए रोक दिया जाय व अन्य दायित्वों को "फ्रीज" कर दिया जाय तो इस मिल के अपने पैरों पर खड़े होने की सम्भावना हो सकती है। इस समिति की यह भी राय थी कि मिल के मैनेजमेंट को बदल कर किसी स्वतंत्र एजेन्सी को दे दिया जाय।

२--पेश्तर इसके कि इन समितियों की संस्तुतियों पर कुछ कार्यवाही की जा सके, न्यू विक्टोरिया मिल्स कं० २ अक्तूबर, १९६७ को बन्द हो गई।

[श्री बेनी सिंह]

३--१३ दिसम्बर, १९६४ में श्री कोचर की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक और समिति का गटन किया और उसका भी यही सुझाव था कि इस मिल को लिक्वीडेट होने देना चाहिए ।

४--उधर भारत सरकार ने काटन टेक्सटाइल कम्पनीज (मैनेजमेन्ट आफ अंडरटेकिंग एन्ड लिक्वीडेशन आर रिकांस्ट्रक्शन) ऐक्ट, १९६७ (The Cotton textile Cop anies (Management of Under takings and liquil dation or Reconstruction) Act 1967 लागू कर दिया । इस ऐक्ट के अंतर्गत ऐसी सूती रुग्ण मिलें जिनको अथोराइज्ड कान्ट्रोलर के अधीन लिया जा चुका हो, उनको चालू इकाई की हालत में या लिक्वीडेट करके बेचा जा सकता है या उस कम्पनी का पुनर्गठन करके चलाया जा सकता है । इस ऐक्ट के अंतर्गत उपरोक्त कार्यवाही करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन को दस करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ गठन किया क्योंकि इस नये ऐक्ट के अंतर्गत मिल का नवीकरण या लिक्वीडेशन चालू इकाई के रूप में सम्भव था इसलिए भारत सरकार ने न्यू विक्टोरिया मिल्स के सम्बन्ध में अपने विशेषज्ञों द्वारा पुनः विश्लेषण करवाया और राज्य सरकार को यह सुझाव दिया कि वे न्यू विक्टोरिया मिल्स को अथोराइज्ड कन्ट्रोलर के अंतर्गत लेने के सवाल पर फिर विचार कर सकते हैं। सुझाव यह भी था कि इस मिल के भागों को दुबारा न चलाया जाय जो पुराने और अनइकोनामिक हो गये है ; साथ ही यह भी सुझाव था कि मिल के दायित्वों को यू० पी० इन्डस्ट्रियल अंडरटेकिंग (स्पेशल प्राविजन्स फार प्रिवेन्शन आफ अनएम्पलायमेन्ट) १९६६, ऐक्ट U. P. Industrial under takings (Special Provisions for unemployment Act (1966) के अन्तर्गत फ्रीज कर दिया जाय और फैक्ट्री के कुछ हिस्सों के बन्द होने से श्रमिकों की छटनी स्वीकार कर ली जाय । भारत सरकार का यह भी सुझाव था कि राज्य में एक स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन भी स्थापित कर दिया जाय ।

५--भारत सरकार के सुझाव सलाहकार परिषद् के सामने १३-८-१९६८ को प्रस्तुत किये गये । मिल को वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग की यह राय थी कि चूंकि भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई सभी समितियों की रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि मिल में कार्य पूंजी के अतिरिक्त आधुनिकीकरण तथा अभिनवीकरण में बहुत बड़ी मात्रा में धन लगाना होगा और उस धन की सुरक्षा जोखिम से खाली न होगी क्योंकि मिल के पास कोई भी पर्याप्त परि-सम्पत्ति जमानत के रूप में देने को नहीं है । अतः सलाहकार परिषद् ने इन प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार नहीं किया ।

६--उपरोक्त निर्णय से भारत सरकार को अवगत करा दिया गया । मगर उन्होंने अगस्त, १९६८ में एक योजना इस मिल को दुबारा चलाने (आंशिक रुप में) के लिये फिर भेजी इस योजना का मूल उद्देश्य यह था कि बजाय ५६,१८० स्पिंडिल्स के केवल ३२,१४२ स्पिंडिल्स और १,२७७ लूम्स के बजाय ७५० लूम्स चलाये जायं । उन्होंने राज्य सरकार पर फिर जोर दिया कि स्टेट टेक्सटाइल्स कारपोरेशन भी बनाया जाय । इस योजना के अन्तर्गत मिल को चलाने के लिये (१) ५४ लाख रु० नकद की आवश्यकता थी और (२) यह सुझाव था कि सरकारी देय व दूसरे देय शुरू में एक वर्ष के लिये रोक दिये जायें ।

७--भारत सरकार की संस्तुति (सुझाव सलाहकार परिषद्) के समक्ष २८-९-६८ को प्रस्तुत किये गये जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

(१) राज्य में स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है सिर्फ इस मिल के लिये अथोराइज्ड कन्ट्रोलर की नियुक्ति की जाना चाहिये ।

(२) श्रमिकों के साथ छटनी के बारे में एक समझौता हो जाना चाहिये ।

(३) राज्य सरकार भारत सरकार के साथ बैंक को ५४ लाख रु० की गारन्टी देने को तैयार हैं ।

८--ये निर्णय भारत सरकार को बता दिये गये और यह सुझाव दिया गया कि श्री एस० के० चौधरी, आई० ए० एस०, को इस मिल का अथोराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त कर दिया जाय।

९--इसके उपरान्त भारत सरकार, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन और राज्य सरकार के अधिकारियों में विचार विनिमय हुआ भारत सरकार को यह स्पष्ट बता दिया गया कि यदि यह सुनिश्चित न किया गया कि दुबारा चालू की गई मिल एक इकोनामिकली बायबिल यूनिट (economic lly viable unit) के रूप में काम कर सकेगी तो राज्य सरकार इसको चलाने के पक्ष में न होगी।

१०--इसके बाद जनवरी, १९६९ में नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा एक विस्तृत विश्लेषण के साथ भारत सरकार से निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए--

(१) राज्य सरकार को स्टेट टेक्सटाइल्स कारपोरेशन की स्थापना के लिये यथा-शीघ्र कार्यवाही करना चाहिये और इस बीच अंतरिम व्यवस्था के रूप में एक अथाराइज्ड कन्ट्रोलर, जो कि नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन को मान्य हो, नियुक्त कर देना चाहिये।

(२) मिल को पूरी क्षमता से वेस्ट प्लांट (west plant) को छोड़ कर जहां कहीं दूसरे सेक्शनों में आवश्यकता हो, कम से कम राशनेलाइजेशन करके पूरी क्षमता से काम करना चाहिए।

(३) मिल को दुबारा शुरू करने और चलाने के लिये अथोराइज्ड कन्ट्रोल को ७० लाख रुपये उपलब्ध होना चाहिये।

(४) उक्त ७० लाख रु० में नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन और राज्य सरकार को ५१:४९ के अनुपात में भागीदार होना चाहिए।

(५) मिल के दुबारा खुलने से पहले अथोराइज्ड कन्ट्रोलर को--

(क) प्रविडेन्ट फंड कमिश्नर, ई० एस० आई० कारपोरेशन इत्यादि से उनके देय के क्रमिक भुगतान के बारे में और

(ख) श्रमिकों के साथ, राज्य सरकार की सहमति और सहायता से, मिल के खुलने पर छटनी किये जाने वाले लगभग ७०० श्रमिकों को छटनी के मुआवजे क क्रमिक भुगतान के संबंध में एक एग्रीमेन्ट कर लेना चाहिये।

(६) राज्य सरकार को न्यू विक्टोरिया मिल्स पर उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स स्पेशल प्राविजन फार प्रिवेन्शन आफ अनएम्प्लायमेन्ट ऐक्ट, १९६६, लागू कर देना चाहिए।

११--भारत सरकार के उपरोक्त सुझाव सलाहकार परिषद् के समक्ष २३-१-१९६९ को प्रस्तुत किये गये परन्तु सलाहकार परिषद् ने उन पर कोई निर्णय नहीं लिया और मामला कुछ ही दिनों में स्थापित होने वाली लोकप्रिय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति दी।

१२--लोकप्रिय सरकार के स्थापित होने के पश्चात् न्यू विक्टोरिया मिल्स कं० लि० का मामला उनको ८-४-६९ को हुई मंत्रि परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया गया। मंत्रि परिषद् ने एक विशेष उप समिति का इस सम्बन्ध में गठन किया जिसके सदस्य मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री, उद्योग मंत्री वित्त मंत्री तथा श्रम मंत्री थे। उप समिति ने इस मामले पर १७-४-१९६९ को विचार किया। भारत सरकार से सबसे आखीर में एक पत्र आया जिसके अनुसार भारत सरकार इस मिल को अथोराइज्ड कन्ट्रोलर के नियंत्रण में निम्नलिखित शर्तों पर लेने को तैयार थी:

(१) राज्य सरकार इस बात का पक्का बायदा करें कि मिल को चलाने में जो भी धन आवश्यक होगा, मय आधुनिकीकरण के लिये और रिजर्व प्राइस के भुगतान या काटन टेक्सटाइल कम्पनीज मैनेजमेंट आफ अन्डरटेकिंग एन्ड लिक्वीडेशन आर रिकांस्ट्रक्शन ऐक्ट की धारा

[श्री बेनी सिंह]

५ या ६, जो भी आवश्यक हो, के अन्तर्गत रिकांस्ट्रक्शन का व्यय, उसका ४९ प्रतिशत भार वहन करेगी। शेष ५१ प्रतिशत भारत सरकार वहन करेगी।

(२) मौजूदा कानूनी देय और दूसरे रोक दिये जायेंगे और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन को उन्हें सीधा भुगतान नहीं करना होगा।

(३) श्रमिकों को राशनलाइजेशन स्वीकार करने के लिये राजी किया जाय।

१३—मंत्रि परिषद् ने इन शर्तों पर न्यू विक्टोरिया मिल्स को अथोराइज्ड कन्ट्रोलर के नियंत्रण में लेना स्वीकार किया और भारत सरकार को उसकी सूचना दे दी गई। जिस समय मंत्रि परिषद् ने यह स्वीकृति प्रदान की, उस समय भारत सरकार के अन्तिम विश्लेषण और अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार को निम्नलिखित वित्तीय भार का ४९ प्रतिशत वहन करना था:

(१) न्यू विक्टोरिया मिल्स कं० लि० को ५८ लाख रु० की नकद धनराशि आधुनिकीकरण से पहले तथा ७३ लाख रुपये आधुनिकीकरण के बाद।

(२) कार्य पूंजी के लिये ११६ लाख रु० की आधुनिकीकरण से पहले तथा १३८ लाख रुपये की बैंक गारंटी आधुनिकीकरण के बाद।

(३) दो चरणों में आधुनिकीकरण के लिये १२० लाख रु०।

(४) यदि काटन टैक्सटाइल कम्पनी ऐक्ट की धारा ५ के अन्तर्गत मिल को लिक्वीडेट किया जाता है और सरकार को रिजर्व प्राइस पर मिल खरीदना पड़ता है तब वह कीमत भी देनी होगी।

१४. उपरोक्त निर्णयों के अन्तर्गत भारत सरकार ने श्री एस० के० चौधरी को १ सितम्बर, १९६९ से न्यू विक्टोरिया मिल्स कं०लि०, कानपुर, का अथाराइज्ड कन्ट्रोलर इंडस्ट्रीज (डेवलप-मेन्ट एन्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत नियुक्त कर दिया। दिनांक ८-१२-१९६९ को उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स (स्पेशल प्राविजंस फार प्रिवेजंन आफ अनएम्पलायमेन्ट ऐक्ट) Uttar Pradesh Industrial Undertakings (Special Provisions of Unemployment) Act) के अन्तर्गत कम्पनी के दायित्व रोक दिये गये व राज्य सरकार की गारंटी पर य०पी० एफ० सी० ने ४.९ लाख रु० अथोराइज्ड कन्ट्रोलर को उपलब्ध कर दिये। राष्ट्रीय सूची निगम ने भी ५१ प्रतिकृत के अनुपात में ५.१० लाख रुपये अथोराइज्ड कन्ट्रोलर को उपलब्ध कर दिये। अथाराइज्ड कन्ट्रोलर ने इस मिल की सफाई इत्यादि करवा कर कुछ हिस्सों में ट्रायल (trial) के तौर पर थोड़ा बहुत उत्पादन शुरू कर दिया जिसमें तकरीवन ५००,६०० श्रमिक अस्थाई रूप से काम कर रहे हैं।

१५. अथोराइज्ड कन्ट्रोलर ने राज्य सरकार से यह प्रार्थना की है कि उनको इस मिल को भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार चलाने के लिये आधुनिकीकरण से पहले जो कुल ५८ लाख रु० नकद और ११६ लाख रु० की बैंक सुविधा की आवश्यकता है उसका ४९ प्रतिशत का राज्य सरकार प्रबन्ध कर दे। यह सुझाव मंत्रि परिषद् के समक्ष ३ अप्रैल, १९७० को प्रस्तुत किया गया। मंत्रि परिषद् ने इन प्रस्तावों पर पूर्णतया विचार किया और खासतौर पर निम्नलिखित बातों को देखते हुये यह निर्णय लिया कि इस मिल को चलाने के लिये राज्य सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकती :

(१) मिल के ऊपर २४१.९७ लाख रुपये के दायित्व है जिनके विरूद्ध मिल के पास केवल २९.८१ लाख रुपये के पुस्तक मूल्य की अचल परिसम्पत्ति है और उस पर भी एन० आई० टी० सी० का पहला चार्ज तथा चार्टर्ड बैंक का दूसरा चार्ज है और मिल के पास और कोई ए सी जायदाद नहीं है जिससे सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित धनराशियों की सुरक्षा हो सके।

(२) भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई ४ समितियों में से तीन ने साफ तौर पर यह संस्तुति की है कि मिल का परिसमापन होना ही वर्तमान परिस्थितियों में सबसे उचित रास्ता होगा

और चौथी अर्थात् चार्लू समिति ने ही सिर्फ यह राय दी थी कि काफी धन लगाने और दायित्वों को रोक देने तथा मिल के मैनेजमेन्ट को बदलने से इस मिल के अपने पैरों पर खड़ा होने की सम्भावना हो सकती है ।

(३) भारत सरकार के विश्लेषण एवं अनुमानों के अनुसार मिल का पूर्णतया पुनर्वास करने के लिये बहुत ज्यादा धन लगाना पड़ेगा जिसका ४९ प्रतिशत भाग राज्य सरकार के सीमित साधनों से देना संभव न होगा ।

(४) इस मिल में इतना अधिक रुपया लगाने के बाद भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मिल लाभ कमा भी सकेगी अथवा नहीं। जो लाभ के अनुमान भारत सरकार के विशेषज्ञों ने आधुनिकीकरण से पहले तथा उसके बाद के लगाये हैं उनमें काफी अन्तर होने की संभावना है ।

१६—राज्य सरकार के उक्त निर्णय से भारत सरकार को दिनांक ९ अप्रैल, १९७० को अवगत करा दिया गया है और इस सम्बन्ध में उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, लोक महत्व के प्रश्न नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार करते हैं और जब वह स्वीकार हो जाता है तो माननीय मंत्री महोदय, छोटा मोटा वक्तव्य उस पर दे देते हैं । मान्यवर, में आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ५१ (३) की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । इसमें लिखा हुआ है कि....

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी जानकारी आपको है कि यह किस नियम के अन्तर्गत लिया गया है ?

श्री चेतराम गंगवार—

यह प्रक्रिया नियमावली के नियम ५१ के अन्तर्गत है । इसके खंड (३) में लिखा है कि ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा परन्तु अध्यक्ष, यदि उचित समझें तो, सूचनांकित विषय संबंधी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिये प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे । तो श्रीमन् जब आपने अनुमति दी तो मैंने एक प्रश्न आपकी आज्ञा से किया कि देहातों में डालडा उपलब्ध नहीं हो रहा है । मान्यवर, देहातों के लिये तहसील से कोटा मिलता है । मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि क्या वह कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये परमिट की व्यवस्था हो जाय । एक टीन आधा टीन जो भी संभव हो उसकी व्यवस्था हो जाय । नियम में यह है कि हम स्पष्टीकरण ले सकते, हैं । तो श्रीमन् इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । कार्यसूची की संख्या १९ में लिखा हुआ है " नियम ५१ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करने की सूचनायें" इसमें आप पूछ सकते हैं । आपने जो प्रश्न किया है उस पर अध्यक्ष ने वक्तव्य मात्र के लिये अनुमति दी है । यह नहीं है कि नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार नहीं है । जो प्रश्न अध्यक्ष नियम ५१ के योग्य न समझें लेकिन यह समझें कि मंत्री इस पर अपना वक्तव्य दे दें तो केवल वक्तव्य मात्र के लिये अनुमति दी जाती है और उनका बयान आ जाता है । यह भी है कि जो प्रश्नकर्ता है वह एक आध प्रश्न भी कर ले । इसलिये माननीय शम्भूनाथ चौधरी प्रश्न करें ।

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था.....

श्री उपाध्यक्ष —

वह अध्यक्ष के पास है, उसको देख कर निर्णय लेंगे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जो मिल करीब ३३ महीने बन्द रहा, सरकार ने उसके ऊपर १० लाख रुपया खर्च करके अपने संरक्षण में लिया है और तब से मिल चल रहा है ? यदि हां, तो फिर उतना ही रुपया खर्च करके इस मिल को चलाने में क्या दिक्कत है ? अगर मिल नहीं चलेगा तो ५००० मजदूरों का भविष्य अन्धकार में पड़ जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो आप प्रश्न कर रहे हैं, यह सब इसमें दिया हुआ है । आपका पूरा जवाब इसमें दिया हुआ है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या उद्योग मंत्री जी यह बतावेंगे कि जो स्थिति उन्होंने अपने वक्तव्य में बताई है विक्टोरिया मिल की उसको देखते हुये उन्होंने क्या निर्णय लिया है या क्या अन्तिम निर्णय लेने जा रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह--

हम इसको चलाने में असमर्थ हैं यह तो हमने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है । हमारा निर्णय स्पष्ट है ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार को यह विदित है कि विक्टोरिया मिल के संबंध में जितने उद्योग मंत्री रहे हैं वह निरन्तर यह आश्वासन देते रहे हैं कि निकट भविष्य में यह मिल चल जायगी और क्या वर्तमान उद्योग मंत्री भी ऐसी आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि यह मिल शीघ्र चल जायगी ?

श्री बेनी सिंह--

यह आश्वासन कैसे दे सकते हैं । यह तो केन्द्र पर मुनहसिर है । हमने तो कह दिया कि हम नहीं चला सकते ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से संबंधित । यह विक्टोरिया मिल जो इतनी ख्याति प्राप्त थी इस दशा में पहुंचने के मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री बेनी सिंह--

अब इसका कारण तो यह हो सकता है कि यह प्राइवेट आदमियों के हाथ में थी और वह लोग नहीं चला पाये तो सरकार के पास आई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यदि यह मिल बन्द हो गई और ५००० मजदूर बेकार हो जायेंगे तो क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यदि मजदूर सहकारी समिति बनाकर इसको चलाना चाहें तो केन्द्रीय अथवा प्रदेशीय सरकार की सहायता से यह चल सके ?

श्री बेनी सिंह—

इस संबंध में अभी कोई विचार नहीं हुआ है ।

पिथौरागढ़-धारचूला रोड पर रोडवेज की बस खड्ड में गिरने से १७ व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

परिवहन मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

यह सत्य है कि पिथौरागढ़-धारचूला मार्ग पर एक रोडवेज की बस संख्या यू० एस० आर० ३८५५, १३-५-७० की शाम को लगभग साढे चार बजे (न कि १४-५-७० को) खड्ड में गिर गई और उसमें १७ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और २२ व्यक्ति घायल हो गये ।

दुर्गम पर्वतों के संकरे एवं टेढ़े-मेढ़े मार्गों पर इस प्रकार की दुर्घटना खेद का विषय तो है किन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि आये दिन इसी प्रकार की दुर्घटना हो रही हैं। तात्कालिक विभागीय प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप कहा जा सकता है कि जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है वह अच्छी दशा में थी। इस दुर्घटना को पुरानी व छकड़ा गाड़ियों के साथ मिलाना तो ठीक न होगा। घटनास्थल की जांच रिपोर्ट और वर्कशाप के अन्य रिकार्डों से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि इस गाड़ी की ब्रेक व अन्य मैकेनिकल दशा बढ़िया थी।

मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र की गाड़ियां अधिक नई हैं और उन गाड़ियों की मैदानी क्षेत्रों की उपेक्षा पहाड़ों पर कम माइलेज करने पर ही बदलने का प्रयास किया जाता है। टनकपुर क्षेत्र में गाड़ियां ५ साल से ज्यादा पुरानी नहीं है और लगभग सभी गाड़ियां २,००,००० किलोमीटर के अन्दर चली हैं। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी केवल १,३८,००० किलोमीटर ही चली हुई थी।

पर्वतीय क्षेत्र की गाड़ियां आफ सीजन में खाली रहती हैं और सीजन में भी मैदानी गाड़ियों की अपेक्षा कम किलोमीटर चलती हैं। गाड़ी का घिसाव बहुत कुछ उसके किलोमीटर चलने पर ही निर्भर हैं। गाड़ियों की चेकिंग रोडवेज वर्कशाप में की जाती है।

शासन ने दुर्घटना की सूचना के प्राप्त होते ही एक विभागीय अधिकारी जांच के लिये भेज दिया था तथा वहां के जिलाधीश तथा अन्य अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके स्थिति की जानकारी हासिल की थी।

तुरन्त ही शासन ने यह आदेश भी दे दिये थे कि प्रत्येक मृतक के परिवार को एक-एक हजार रुपया अन्तरिम सहायता के रूप में दे दिया जाय। अन्य घायल लोगों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। अभी मैजिस्टेरियल जांच जारी है जिसके आधार पर आगामी आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई वह किस सन् में बनी थी और उसकी पिछले मर्तबा कब रिपेयरिंग, ओवरहालिंग आदि हुई थीं ?

श्री रामजी लाल सहायक---

उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

उस गाड़ी की दशा खराब थी, वह पुरानी थी और पुराने माडल की थी। मान्यवर, जो गाड़ियां वहां पर चल रही हैं उनकी दशा ऐसी ही है। १७ आदमियों को एक एक हजार रुपया दिया गया और जो आदमी उसमें घायल हुये हैं उनको और उनके परिवारों को क्या सहायता दी जा रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जो घायल हुये हैं उनका इलाज करवाया जा रहा है। उसकी जो इन्क्वायरी हो रही है उसकी रिपोर्ट आ जाने पर हम निश्चय करेंगे कि क्या करना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मान्यवर, इन पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा के मौसम में प्रतिवर्ष एक या दो बस दुर्घटना हो जाती है। इस संबंध में मैंने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। इसके लिये तीन बातें आवश्यक हैं। पहली सड़कों की व्यवस्था, दूसरी मोटरों की सही स्थिति और तीसरी उसकी रफ्तार। क्या इन चीजो के ऊपर सरकार ध्यान देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

केवल ये ही चीजें नहीं वरन् जन जीवन के लिये और भी जो आवश्यक बातें हैं उन पर सरकार पूरा ध्यान देगी और उसको किया जायगा ।

जिला अलमोड़ा में नर भक्षी बाघ के आतंक के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)

अल्मोड़ा जिले के पट्टी बिचला दानपुर तथा मल्ला दानपुर क्षेत्र में एक नर भक्षी बाघ माह जुलाई, १९६७ से व्याप्त हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार इस बाघ द्वारा जिले के अन्तर्गत अभी तक २७ व्यक्तियों को मार डाला गया हैं ।

२—उक्त क्षेत्र में नर भक्षी को नष्ट करने के लिये निरंतर प्रयत्न किये जा रहें हैं। दिनांक २५-१२-६९ को एक स्थानीय शिकारी द्वारा एक नर भक्षी बाघ को मारा गया था। परन्तु उसक पश्चात् भी नर भक्षण चलता रहा। अल्मोड़ा तथा रानीखेत से २ प्रसिद्ध शिकारी उस क्षेत्र में दो-दो बार अपने प्रयत्न कर चुके हैं। इनमें से रानीखेत के शिकारी श्री कृपाल दत्त उपाध्याय ने ९-२-७० को एक बाघ मारा परन्तु जांच करने पर उसे नर भक्षी नहीं पाया गया। इसकी पुष्टि इस बात से भी हो गई कि उस क्षेत्र में नर भक्षी द्वारा पुनः मनुष्यों की जानें ली गई ।

३—इस क्षेत्र में उत्पात कर रहे बाघ को नर भक्षी घोषित कर दिया गया था और जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा द्वारा उसके मारने पर २५० रु० पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गई थी परन्तु उसको मारने में कोई सफल नहीं हो सका। तब शासन ने निर्णय किया उक्त बाघ को मारने पर पुरस्कार की धनराशि बढ़ा कर २,००० रु० कर दी जावे ताकि प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर के विभिन्न शिकारी उक्त नर भक्षी को मारने के लिये आकर्षित हो सकें। इस घोषणा का व्यापक रूप से प्रचार किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले, प्रान्त और देश के अन्य प्रमुख शिकारियों से भी संपर्क स्थापित किया गया है तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि वे योजना बना कर इस आदमखोर का शीघ्र अन्त करें। इसको मारने के लिये स्थानीय शिकारियों के अतिरिक्त आठ शिकारी बाहर से आ चुकें हैं ।

४—इस प्रकार उपरोक्त नर भक्षी बाघ का अन्त करने के लिये आवश्यक प्रयास जारी है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही उससे जनता को छुटकारा प्राप्त हो जायेगा ।

५—जहां तक बृद्ध जागेश्वर क्षेत्र में किसी बाघ के उपद्रव किये जाने का सम्बन्ध है, शासन को सूचना मिली है कि इस प्रकार का कोई बाघ उक्त क्षेत्र में सक्रिय नहीं हैं ।

श्री हरी सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि दानपुर में ही नहीं बल्कि तल्ला जुहार में नामिक ग्राम में भी १० दिन पूर्व बाघ ने एक महिला को मारा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ शिकारियों का प्रबन्ध कर दिया गया है तो क्या यह बताएंगे कि वे शिकारी किस स्तर में हैं, अखिल भारतीय स्तर के या प्रदेशीय स्तर के, दो-चार के नाम बता दें। श्रीमन् सन् ६७ से यह समस्या है। डी० एम० कहते हैं कि ६० आदमी मारे गए और यह कहते हैं कि २७ आदमी मारे गए ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो ब्योरे का सवाल है। अगर जानकारी हो तो बता दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, बहुत से शिकारियों से सम्पर्क किया गया है। दो तीन के नाम मैं बताए देता हूं हजारीबाग, बिहार के श्री ए० इमाम, कलकत्ते के श्री पी० जे० वायर्न तथा श्री डे। इसके अलावा प्रदेश के कुछ जिलाधीश भी शिकार के लिए जाना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, इसमें लिखा है कि २५-१२-६८ को एक नरभक्षी बाघ मारा गया। जब नर भक्षण जारी है तो कैसा मारा गया ? मेरे पास सूचना ४२ आदमियों के मारे जाने की है। तो वह फिर जांच करा लें। और जो शिकारी वहां जाएंगे उन्हें क्या रियायतें दी जाएंगी ठहरने आदि की इसकी भी घोषणा कर दें ताकि शिकारियों को प्रोत्साहन मिले।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो व्यौरे का प्रश्न है। अगर मालूम हो तो बता दें।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

श्रीमन्, इतनी तफसील की सूचना गवर्नमेन्ट से कैसे दी जाएगी। यह तो जिलाधीश से मालूम होगा कि कहां ठहराया जाएगा, हाथी मिलेगा या नहीं वगैरह-वगैरह। माननीय मित्र को दिलचस्पी है तो उन्हें पत्र लिख दें।

एक सदस्य—

श्रीमन्, इस नरभक्षी को मैं मार सकता हूं बशर्ते कि मुझे आटोमैटिक राइफल और मौके पर हाथी की सुविधा मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई माननीय सदस्य अगर उत्सुक है तो उनको सुविधा मिलेगी ही।

श्री शिवदास के निलम्बन को समाप्त करने की मांग

श्री रामचन्द विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कल माननीय शिवदास जी के सम्बन्ध में निलम्बन को रद्द करने का विषय उठाया गया था जिसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि उसकी लिखित सूचना दे दी जाय तो विचार हो जायगा। हमारी विधान सभा के इतिहास में इतना लम्बा निलम्बन अभी तक किसी का नहीं हुआ है। अभी तक जो उनको सजा दी जा चुकी है वह बहुत काफी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको पहले ही क्षमा प्रदान कर चुके हैं। उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने लिखकर दे दिया है तो मैं चाहता हूं कि आज यहां पर सब मौजूद हैं तो उस विषय में विचार किया जाय और उनको क्षमा कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। अध्यक्ष जी स्वयं इस पर निर्णय करेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल—

उन्होंने कहा था कि लिखित दे दिया जाय तो अब लिखित उनको दे दिया गया है। इधर के सब लोगों के दस्तखत से उनके पास जा चुका है। इस प्रश्न को कल यहां पर उठाया गया था तो आज इस पर निर्णय हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे इस विषय में और मालूम नहीं है सिवाय इसके कि यह विषय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है तो वह इस पर अपना निर्णय देंगे। मैं बाहर गया था अभी सीधे यहां पर आया

[श्री उपाध्यक्ष]

हूं। मुझे पता नहीं है केवल इतना मालूम है कि उनके निर्णय की बात है। वह आयेंगे यह सवाल तभी आप उठायें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य पीठासीन होते हैं उनके वही अधिकार होते हैं जो अध्यक्ष के होते हैं। यह प्रस्ताव अब सदन के समक्ष आ गया तो इस पर विचार हो जाय। आज सदन ४ दिन के लिए उठ रहा है। माननीय सदस्य इस सदन की सदस्यता से महरूम हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि नेता सदन और त्रिपाठी जी यहां पर मौजूद हैं और भी नेता यहां पर उपस्थित हैं। तो इस प्रश्न को ले लिया जाय ताकि उनका निलम्बन समाप्त हो जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यक्ष महोदय के पास वह गया है निर्णय के लिये और वह यहां पर आयेंगे। सदन अभी समाप्त नहीं हो रहा है। सदन ५ या ६ बजे तक चलेगा। अभी जो और कार्यक्रम है। उसको भी लेना है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

एक प्रश्न का जब आपके सामने आ गया तो आप उसका निस्तारण कर सकते हैं। एक लिखित प्रस्ताव आपके सम्मुख आ गया है। उस पर सभी नेताओं के दस्तखत हैं। नेता सदन इस समय सदन में बैठे हुए हैं उनकी बात भी सुनी जा सकती है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप इसका निस्तारण कर दें तो कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन के समय जब अध्यक्ष आ जायेंगे और किसी बात का उनको निर्णय करना है तो वही करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री शिवराजसिंह)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन की कार्य सूची पर एक कार्यक्रम हुआ करता है। उस सम्बन्ध में हमारी नियमावली में अध्याय ६ पर यह दिया है कि "सचिव प्रत्येक दिन के कार्य की एक सूची तैयार करेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य के प्रयोग के लिये उपलब्ध की जायेगी।" दूसरे में यह है कि "जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना किसी उपवेशन में कोई ऐसा कार्य न लिया जायगा जो उस दिन की सूची में सम्मिलित न हो।" आज की सूची में यह प्रस्ताव नहीं है। अध्यक्ष महोदय ही इस बात के लिये अधिकृत हैं कि इस प्रकार का प्रस्ताव ले सकते हैं। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न अध्यक्ष के समक्ष रखा जाना चाहिये क्योंकि यह उनके ही विचाराधीन है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

जो प्रस्ताव सदन के सामने सर्व सम्मति से आ जाय तो उसको रखा जा सकता है। अगर उनकी तरफ से यह शिवदास जी का निलम्बन समाप्त करने की बात हो इसको समाप्त किया जा सकता है। एक महीना गुजर गया और काफी टाइम हो गया है। जितनी गम्भीर उन्होंने गलती की थी उसकी उनको सजा मिल गई है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं ने अभी आप को बताया कि यह मामला अध्यक्ष जी के पास विचार के लिये है और यह सदन आज ५--६ बजे शाम तक चलेगा और उस वक्त भी उसको आप उठाते हैं तो उसका अविलम्बनीय महत्व वही रहेगा" जो अब उठाने से होता है। इसलिये अध्यक्ष जी के आने पर इसको आप उठा सकते हैं।

१९७०-७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३---राज्य आबकारी, अनुदान संख्या ५---अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या १०---सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११---आयुक्त और जिला प्रशासन, अनुदान संख्या १५---पुलिस, अनुदान संख्या ४०---राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते तथा अनुदान संख्या ४५---नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---

अब वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के आय-व्ययक पर विचार जारी होगा। श्री भानु प्रताप सिंह कल बोल रहे थे, वह अपना भाषण जारी करें।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल यह कह रहा था कि पुलिस का प्रशासन इस प्रदेश में बहुत ही निकम्मा हो गया है और उसके निकम्मेपन की एक मिसाल मैंने बरेली के थाने कैन्टूनमेंट की दी थी। इस थाने के ५० गज की दूरी पर उप प्रधान कैन्टूनमेंट बोर्ड के यहां साढ़े ७ बजे के करीब डकैती पड़ी और उसकी सूचना थाने पर ८ बजे दी गई लेकिन जब कि श्री राठौर का मकान केवल ५० मीटर की दूरी पर है तब भी पुलिस रात को ११ बजे थाने में पहुंची जांच के लिये। उन के साथ स्क्वेड डाग आता है और सूंघने के बाद वह एक झोपड़ी में जाता है और वह जिसको पकड़ता है उसको पूछताछ के लिये थाने में नहीं लाया जाता। जो थानें के इन्चार्ज श्री शाह हैं, जिन्होंने कि उसको सुपरवाइजर बना रखा है और टैक्सी चलवाते हैं। और कैन्टूनमेंट बोर्ड की ओर से जो आफिसर हैं जो आजकल मौजूदा फौज में हैं वह और कुछ रिटायर्ड कर्नल व मेजर हैं उन्होंने एक ज्ञापन भी सरकार को दिया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई उस थाने के इन्चार्ज के विरुद्ध। इस सम्बन्ध में एक डेपुटेशन भी जिलाधीश बरेली से मिलने के लिये गया। उस डेपुटेशन में भी मैं भी था। पहले तो जिलाधीश महोदय ने कहा कि ठीक है मैंने उनको बुलाया है आप इस संबंध में दो-तीन दिन बाद बात करें। दो-तीन दिन बाद जब हमने उनसे जाकर बात की तो उन्होंने कहा कि मुझसे थाना कैन्टूनमेंट के इन्चार्ज कह गये हैं कि आप चाहें तो हटवा दें। इस तरह से मैंने अपनी जानकारी की एक घटना आप को बताई। इस तरह पुलिस का जुल्म और ज्यादती चल रही है। एक ओर तो गरीब जनता को डकैतों का मुकाबला करना पड़ता है और दूसरी ओर इन लोगों का मुकाबला करना पड़ता है जो सरकार से वेतन पाते हैं। आप देखें कि इस तरह से इस प्रदेश के गरीब निवासियों पर २ प्रकार के डकैतों का हमला हो रहा है। एक वह है जो डकैत हैं ही लेकिन दूसरे वह हैं जो सरकार से वेतन पाते हैं और उनकी जब शिकायत की जाती है तो सरकार सुनती नहीं।

---

†२१ मई, १९७० की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)]

दूसरे मैं यह कह रहा था कि जो शिकायतें जनता के द्वारा की जाती हैं उन का क्रम यहां सरकार में इस तरह से चलता है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें की जाती हैं उन्हीं को वे जांच के लिये भेज दी जाती हैं। मैं आप को बताऊं कि २३ अप्रैल को एस० पी०, बरेली को एक शिकायत दी गई और जिन लोगों की वह शिकायत थी उन का बयान हलफी भी लगा है। एस०पी०, बरेली ने उस को उस क्षेत्र के डिप्टी एस० पी०, श्री श्यामलाल के पास भेजा लेकिन जांच के लिये जब से मैं घर से आया हूं तब तक नहीं भेजा गया, जहां तक मेरी जानकारी है। इस तरह की प्रथा यहां निरन्तर बढ़ रही है कि जिस थाने की शिकायत होती है वहां के सी० ओज० उन्हीं को बुलाते हैं और उन से हिस्सा बाट की बात तय करते हैं, और फिर वह उस मामले को खटाई में डाल देते हैं। इस मामले में भी केवल इस बात के ५० रुपये लिये गये, दो भाइयों का मामला था किस ने कोई चीज निकाली या नहीं निकाली वह तो दो भाई जानते हैं लेकिन यह कह देना कि तुमने चोरी की है, हम तुमको ले जाकर बन्द कर देंगे, वरना हमें ५० रुपये दो और इस तरह से उससे ५० रुपये लिये गये। उसी जगह की एक दूसरी बात है कि होली के बाद एक आदमी अपनी स्त्री को बुला कर ले आया। जिस दिन वह अपनी स्त्री को बुला लाया उसी के दूसरे दिन सुबह में उसकी स्त्री को बच्चा हो जाता है। इस पर उक्त सिपाही वहां जाता है जिसकी ड्यूटी लगी हुई है और कहता है कि तुमने अपनी स्त्री के साथ अप्राकृतिक कार्य किया है इसीलिये इतनी जल्दी उसको बच्चा पैदा हो गया है। लिहाजा हम तुमको जेल ले जायेंगे। इसके बाद वह सिपाही उससे कहता है कि इससे बचने के लिये हमें २०० रुपये दो और वह २०० रुपये उससे ले लेता है। इससे आप समझ सकते हैं कि इन पुलिस वालों द्वारा घरेलू मामलों में भी हस्तक्षेप होना किस तरह से शुरू हो गया है। ये दो मिसालें मैंने आपको पुलिस के निकम्मेपन की दीं।

तीसरी बात भी इसी से सम्बन्धित है और वह यह है कि हमारे जिले के अन्दर जो इस तरह की घटनायें बढ़ती जा रही हैं, जैसा कि हमारे साथी माननीय करन सिंह बराबर यह कहते हैं कि हमारे यहां नक्सलवादी बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं स्पष्ट सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से अराजक तत्व हमारे प्रदेश में बढ़ते जायेंगे जिस तरह से चीन, रूस या दूसरे देशों में बढ़ते जाते हैं, तो अगर माननीय मुख्य मंत्री ने उनका दमन करना चाहा तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि विरोध पक्ष का कोई भी आदमी उनकी इस कार्य में मदद करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। विरोध पक्ष का पूरा सहयोग और समर्थन मुख्य मंत्री जी को मिलेगा। लेकिन अगर सरकार कुर्सी पर बैठे रहने के लिये इस तरह के अराजक तत्वों के दमन में हमारा समर्थन नहीं लेना चाहती तो यह आपोजीशन के सोचने की बात है कि इस तरह से सरकार जनतंत्र का गला घोंट देगी, हमारा गला, घोंट देगी। इस तरह से डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चल सकेगी। जब प्रजातंत्र नहीं चलेगा तो उसकी हत्या हो जायेगी, उसका गला घुट जायेगा और यहां प्रजातंत्र समाप्त होकर रहेगा। साथ ही हमारे सरकारी पक्ष के मंत्रिगण भी जब इस तरह की कार्यवाही करेंगे तो उसका क्या असर होने वाला है, इसका आप स्वयं सोच लें। मुझे मालूम है कि इसी सरकार के एक मंत्री श्री जगन प्रसाद रावत १७-५-७० को तिलहर कटरा में इफ्तिखारउद्दीन और मकसूद बाबू के यहां गये। जिले के अधिकारी चाहते थे कि वे वहां न जायं। उन्होंने मंत्री महोदय को बतलाया कि ये आदमी बड़े ऐंटी नेशनल और अनसोशल हैं और इनके खिलाफ बहुत से मुकदमे भी चल रहे हैं जिनकी जांच यू० पी०, सी० आई० डी० के अन्दर चल रही है, एल० आई० यू० कर रही है और सी० आई० डी० कर रही है। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी मंत्री जी उनके यहां गये। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करवायें। मंत्री जी को वहां लिवा जाने का मुख्य कारण यह था कि जो मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं उन पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन का प्रभाव डाला जाय और उनकी सहायता की जाय। जब इस तरह के अराजक तत्वों की सरकार सहायता करना चाहती है जो ऐंटी नेशनल हैं तो फिर क्या कहा जाय। जब सरकार इस

तरह के कार्य करती है जो उचित नहीं हैं और जो जनहित में नहीं हैं तो उसके लिये अगर मैं यह कहूं कि इस तरह की सरकार को उठा कर फेंक दिया जाय, या हटा दिया जाय तो यह इस प्रदेश की जनता के ही हित में होगा।

थाना फतेहगंज पूर्वी के सम्बन्ध में मैंने नियम ५१ के अन्दर सवाल उठाया था और इसीलिये बार-बार विरोधी पक्ष के लोग आवेश में आ जाते हैं तो उनको समझा-बुझा कर हम शान्त करते हैं लेकिन हम उनकी भावनाओं को कहां ले जायं, आखिर हम क्या करें? उत्तर में एक तो सरकारी पक्ष की तरफ से पूरा उत्तर नहीं होता और तमाम तथ्यों को छिपाया जाता है। कल की ही बात मैं कहता हूं कि इसी सदन में मेरे जिले के उपमंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं उनके भाई श्री महेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में एक सवाल आया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया कि १.४५ बजे मुझे वायरलेस से सूचना मिली है कि दूर के उनके परिवार की कोई स्त्री उस परिवार में व्याही गयी है। वे इनके फुफेरे भाई हैं। ओम प्रकाश जी ने बड़ी कोशिश की कि लड़कों की आदत सुधरे लेकिन वह न सुधरी। यह अच्छी चीज नहीं है। मैंने इस बारे में एक प्रश्न उठाया लेकिन जो उत्तर आया वह इस तरह का उत्तर था कि उसको उचित नहीं माना जा सकता था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि अभी-अभी १ बजकर ४५ मिनट पर एक वायरलेस आया है और उसमें कहा गया है कि वे लोग ओम प्रकाश के परिवार के दूर की एक स्त्री सिरसा में महेन्द्र सिंह के खानदान में व्याही है। यह बात गलत है। नैतिकता का यह तकाजा है कि जो भी बात हो, उसको सत्य कहा जाय। क्या इस मंत्रिमंडल और इस सरकार के लोगों में जो नैतिकता की बिना पर सरकार बना कर बैठी है, इतना भी साहस नहीं है कि अगर उचित और सत्य बात है तो उसे मान लें कि जी हां, वे मेरे रिश्तेदार हैं।

एक उदाहरण, श्रीमन्, मैं फतेहगंज के दरोगा के बारे में बताना चाहता हूं कि जिसने एक लड़की को बदमाशों से गायब करवा दिया। वहां पर लोग इकट्ठा हुए और उस लड़की को छुड़ा लिया। उसी थानेदार के सम्बन्ध में मैंने एक नियम ५१ के अन्तर्गत एक प्रश्न पूछा था कि उसने १९ किलो अफीम पकड़ी और कागजों में केवल १ किलो अफीम दिखा कर शेष १८ किलो अफीम को ब्लेक मार्केट में, उन्हीं बदमाशों के जरिए से, जो लड़की उठा कर लाये थे, बिकवा दी। जब उसकी जांच वहां के एस० पी० शर्मा साहब, डी० एस० पी० ने की तो उसी थाने के दरोगा ने और एक कान्सटेबिल ने उक्त घटना को सही बताया लेकिन सत्यवीर को निलंबित नहीं किया गया क्योंकि वे एक जाति विशेष के दरोगा हैं और सरकार के परम भक्त हैं। अगर इस प्रकार से और इस तरह से हमारी सरकार जाति विशेष के व्यक्तियों को उनकी गलत बातों में भी उनको संरक्षण देगी तो यह डेमोक्रेसी कैसे चल सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस वाद-विवाद में बोलने का अवसर दिया।

(श्री अनन्तराम जायसवाल के खड़े होने पर)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, आप इन्हें ५ मिनट बोलने दीजिए। मैं अपनी बात बाद में रख दूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, मुझे बोलने का समय नहीं मिला। मुझे आशा है आप मुझे बोलने का समय दें।।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जायं। इस पर ढाई बजे वोटिंग होगी जैसा कि १२ मई की कार्य-मंत्रणा समिति में निश्चय हुआ था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, अगर इनको ५ मिनट का समय दे दें तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, ५ मिनट में मैं क्या बोलूंगा।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, कल से मेरा नाम बराबर आपके पास भेजा जा रहा है परन्तु मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठें। माननीय अनन्तराम जी ५ मिनट के लिए बोलेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, चूंकि समय कम दिया है मैं केवल प्वाइन्ट्स ही सदन के सम्मुख रखे देता हूं। फिरंगी लोग इस देश पर हुकूमत करने का एक ढांचा बना गये थे। १९४७ के बाद उनके वारिसों ने उस ढांचे को ज्यों का त्यों बरकरार ही नहीं रखा बल्कि उसका विस्तार भी किया। उस ढांचे के रहते हुये जनता का राज्य जनता के द्वारा और जनता के लिए हो ही नहीं सकता क्यों कि जनता का राज्य, और जनतंत्र के लिए आवश्यक है कि गांव, जिला, प्रान्त और देश की चारों इकाइयों में वहां की जनता द्वारा चुनी हुई पंचायतें होनी चाहिए।

लेकिन, मान्यवर, अपने संविधान ने खाली दो इकाइयों की व्यवस्था की, जिला और गांव के इकाइयों की व्यवस्था है ही नहीं। नतीजा क्या होगा? जिला का जो प्रशासन होगा वह निरंकुश रहेगा। यहां की विधान सभा का प्रभाव जिलों के छोर और गांवों के छोर तक पहुंचते-पहुंचते सूख जाता है। ऐसी दशा में वहां के जितने अधिकारी और दफ्तर हैं वे निरंकुश हैं और उनकी निरंकुशता और मनमानी का सामना जनता को करना पड़ रहा है। यह मैं माननीय मुख्य मंत्री से बहुत अदब क साथ निवेदन करूंगा। और परिवर्तन यह हो गया है कि पहले जो डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे वे बाइस सालों में बदलते-बदलते वे जिलाधीश हो गये। जिला-ईश, यानी जिले के भगवान् हो गये। नतीजा क्या होगा, आखिर, उसके पीछे आप जायेंगे। एक खास एक मन है वह काम कर रहा है।

मैं एक घटना का उदाहरण दे रहा हूं। सन् ४६ की बात है। आप परिचित होंगे। जवाहरलाल जी का ऐसा मन बन गया था कि वे कांग्रेसी कार्यकर्ता के मुकाबिले जो आई० पी० एस० आफिसर और आई० सी० एस० थे उनके वे प्रशंसक हो गये थे। उनका निश्चित मत बन गया था कि कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी काम के लायक नहीं हैं। उनके मुकाबिले आई० सी० एस० आफिसर बुद्धिमान् और अनुशासित हैं और राजकाज के मामले में उनका भरोसा किया जा सकता है। जब इस तरह का मन बन जायेगा तो उसके नतीजे क्या होंगे? अंग्रेजों के हिन्दुस्तान छोड़ने के बाद भारत सरकार के जो पहले मुख्य सचिव हुए, ब्यूरोक्रेसी के जो बादशाह हुए वह एक बाजपेयी हुए जिन्होंने अमेरिका में, वाशिंगटन में, माता कस्तूरबा के जेल में मरने को उचित ठहराया था। वह सिलसिला आज तक टूटा नहीं है। इस सिलसिले के रहते हुए जब आप यह कह रहे हैं कि यहां स्वच्छ प्रशासन होगा, उत्तरदायी प्रशासन होगा तो मैं कहना

चाहूंगा कि यह कोरा सपना है और भविष्य में भी रहेगा। मुख्य मंत्री जी अगर चाहते हैं कि यहां पर स्वच्छ प्रशासन हो तो स्वच्छ प्रशासन के लिये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने एक-एक करके गिनाये दे रहा हूं---

आज जो विलासिता के खर्चे हैं वे बन्द होने चाहिये। जब तक ये खर्चे चलते रहेंगे या ऐसे खर्चों में छूट रहेगी तो कभी स्वच्छ प्रशासन नहीं होगा। जब बड़े लोग करते हैं तो उसका असर दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। मिसाल के तौर पर, अंग्रेजों के वक्त में जो गवर्नस हाउस थे उनमें अकेले एक व्यक्ति पर इसी बजट में खाली गवर्नर की तनख्वाह में, उनके दौरों में या जो उनका स्टाफ है उन सब पर उनकी दवादारू वगैरह पर खर्चा लाखों में है। इतना बड़ा भवन, या जो दूसरा अंग नैनीताल में है, अगर इस सब को जोड़ें तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है। न मालूम कितने में पहुंच जाय। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर मुझे भी इस हालत में बिठला देंगे तो गवर्नर साहब जो कर रहे हैं वह मैं भी करने लगूंगा। कोई भी आदमी हो या तो कृष्ण जी तरह आदमी हो जो योगी हो---कछुये की तरह जब चाहे अंगों का विस्तार कर ले और जब चाहे इन्द्रियों को समेट ले। इस तरह का जितेन्द्रिय अपने को काबू में रख सकता है। मैं राजभवन की मिसाल पेश करना चाहता हूं जो खुद वहां के में कर्मचारी की लेखनी के द्वारा मिली है। ऐसा है कि मैंने जब यह सरकार गठित हुई थी तो मैंने महामहिम राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी थी। वह मुख्य मंत्री को भी गयी थी। उससे प्रोत्साहन पाकर एक कर्मचारी ने जो चिट्ठी लिखी है मुझे, वह मैं पढ़ रहा हूं---

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष---

आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं। राज्यपाल के बारे में कुछ न कहें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

नियमों के अनुसार जो भारित खर्चे हैं उन पर राय जाहिर कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

राज्यपाल महोदय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष---

सरकार के बारे में आपको कुछ कहना हो तो कहिये, मैं इस पत्र को पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। आपकी जानकारी में जो हो वह कहिये। पत्र जितना पढ़ा है उसका हवाला इसमें नहीं दिया जायेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, उसको इस सदन का हर माननीय सदस्य जानता है। इसमें लिखा है...

[* * *] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं पढ़ने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अच्छा मैं छोड़े देता हूं।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जब इस विरोध पक्ष की तरफ बैठते थे तो उन्होंने एक प्वाइन्ट उठाया था। यहां पर दो सदन हैं---एक विधान सभा और एक विधान परिषद्। दोनों के अलग-अलग सचिव हैं और उन दोनों सचिवों के ऊपर एक सचिव विधान मंडल की नियुक्ति की गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुसार वह खर्च बिना जरूरत था क्योंकि हमारे यहां तो दो सचिव पहले से ही थे।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मत्री जी से कहना चाहता हू कि जब हमारे प्रदेश में भुखमरी हो जब हमारे यहां लोगों को बिजली और पीने का पानी तक न मिलता हो, बांदा में पानी उठाने के लिये १२ इंच पाइप की जगह ३६ इंच आप न कर पा रहे हों, तो ऐसे वक्त में इतने बड़े मंत्रि-मंडल का बनाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। आपने क्यों इतना बड़ा मंत्रि-मंडल बनाया। खाली वेतन और भत्ते आदि पर जो पहले ५ लाख का खर्च आता था वह बढ़ कर दुगुने से ज्यादा इस बजट में हो गया है।

(व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

३ दिन की डिबेट में अब केवल आधा घंटा ही बाकी रह गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश का मुख्य मंत्री ऐसा हो जिस पर कि कोई आदमी जातिवाद, कुनबापरस्ती और भ्रष्टाचार आदि के आरोप न लगा सके।

(व्यवधान)

लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री ने एक ६४ वर्षीय रिटायर्ड चीफ इंजीनियर को विद्युत परिषद् का चेयरमैन बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि इनको ही आपने क्यों चेयरमैन बनाया ?

उसके बाद मैंने यहां कुछ सवाल भी किये थे जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ एतराज हुआ था। मेरी संतुष्टि के लिये उन्होंने फिर मुझे रूसी कन्सेलटेन्ट्स का एक प्रमाण-पत्र भेजा जो रस्मी तौर पर लिखा गया था। मैं मान्यवर, उससे संतुष्ट नहीं हो सका। क्यों, वह मैं कहना चाहता हूं। मैं मान्यवर, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहले यह सत्य नारायण सिंह हाइडिल के चीफ इंजीनियर थे। इनके समय में हरदुआगंज पावर स्टेशन के लिये ४ ब्वायलर्स खरीदे गये। जान टामसन फर्म से सरकार के साथ जो करार हुआ था उसके अनुसार उस कम्पनी को इन चारों ब्वायलर्स को इन्सटाल करना था और उनको रन करके दिखाना था कि वे सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो जब वह लगाये गये तभी यह साबित हो गया कि उनकी ताकत आधे से भी ज्यादा कम है। उस हालत में मुख्य अभियन्ता के नाते उन्हें लाजिमी था कि वह कमेटी की बैठक बुलाते और कम्पनी को चेतावनी देते और यदि कम्पनी चाहती तो उनको सुधार देती, अन्यथा ब्वायलर्स को रेजेक्ट करके क्रय मूल्य को कम्पनी से वापस लेते, लेकिन दोनों में से कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। इसके विपरीत किसी न किसी बहाने से फर्म को मौका दिया जाता रहा है और जब वह रिटायर हुये तब तक भी मामला निस्तारण नहीं

किया। इस सम्बन्ध में फर्म के साथ नेगोसियेशन का अधिकार भी उन्होंने अपने पास ही सुरक्षित रखा। उन्होंने किसी दूसरे को डेलीगेट नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष रूप से इन खराब ब्वायलर्स को लगाने की उन्हीं की जिम्मेदारी है। उस काम की वजह से इस प्रदेश के सरकारी खजाने को हर साल १ करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है।

इसी तरह से यह मिर्जापुर का एक थर्मल पावर स्टेशन भी इन्हीं के कार्यकाल में बनाया गया, रूसी मदद से और रूसी सामान से। उसको खड़ा करने का, कपूर इंजीनियरिंग कारपोरेशन को ठेका दिया गया। वह बहुत ही एक्सेसिव था। उसकी एक शर्त यह भी थी कि वह एक विशिष्ट प्राइवेट इंजीनियर को, निजी इंजीनियर को ६ हजार रुपये मासिक वेतन पर अपने यहां एम्प्लाय करेगी। तो इसमें स्पष्ट भ्रष्टाचार की गन्ध आती थी। इस पर सरकार ने उस कांट्रेक्ट को कुरेदना शुरू किया तो उसमें ठेकेदार ने २० लाख रुपयों की कमी कर दी। सरकार यदि न चेतती वक्त पर तो २० लाख रुपये की सरकार को चोट हो जाती। यह देखकर कि प्रदेश के खजाने को १ करोड़ रुपये सालाना का नुकसान जिस आदमी के कारण पहुंच रहा है, और जो कपूर इंजीनियरिंग कारपोरेशन थर्मल पावर स्टेशन खड़ा करने का सौदा करके, २० लाख रुपया राज्य कोष का नुकसान करने की नियत का था यह मामला तत्कालीन विद्युत मंत्री ने तत्कालीन भारत सरकार के होम मिनिस्टर श्री गुलजारीलाल नन्दा के सुपुर्द कर दिया कि विजिलेंस से इसकी जांच कराई जाए। उस वक्त के विद्युत मंत्री इस समय नेता विरोधी दल के रूप में मौजूद हैं, उनसे मुख्य मंत्री ने सिफारिश की थी कि इस मामले को दबाया जाय और इसको छोड़ दिया जाय। यह उसके एन्टीसीडेन्ट्स हैं। ऐसे एन्टीसीडेन्ट्स वाले आदमी को जब आप चेयरमैन बना देंगे उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् का तो मान्यवर, क्या उसका हश्र आगे होगा, यह आप सोचें। मुख्य मंत्री जी अपने हठ पर डटे रहें, उनको नहीं हटाया, तो उसका फल भुगतेंगे।

तो मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव माननीय आचार्य जी ने पेश किया है, उसका जोरदार समर्थन करता हूं और इस सदन के माननीय सदस्यों से मांग करता हूं--आज तक इस प्रदेश में जितनी सरकार बनी हैं--कोई भी मुख्य मंत्री रहा हो, इतनी गैर-जिम्मेदार कोई भी सरकार नहीं रही है, किसी में इतना भाई-भतीजावाद, जाति-पाति और भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है, जितना इसमें बढ़ा है, इसलिये इस सरकार को एक मिनट भी नहीं रहना चाहिये और इसको एक पैसा भी खर्च के लिये नहीं देना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, क्या माननीय मुख्य मंत्री बोल लें, फिर मैं बोलूं पांच मिनट के लिय .....

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बोल लें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य-

मान्यवर, मैं अनुगृहीत हूं, इस सदन में मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा आमतौर पर उसकी पुष्टि हुई। मान्यवर, मैंने कुछ खास बातें उठायीं थी अपने कटौती के प्रस्ताव में। मैं सोच रहा था कि सरकारी पक्ष की ओर से उनके संबंध में कुछ चर्चा होगी, कदाचित मुख्य मंत्री जी उनमें से कुछ चीजों की चर्चा करेंगे लेकिन आम तौर मुझे निराशा हुई कि उनमें से किसी चीज की चर्चा सरकारी पक्ष से नहीं हुई। इस समय एक अत्यन्त नाजुक दौर में से हमारा प्रदेश और देश

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

दोनों गुजर रहे हैं। आज बावजूद इसके कि हम बहुत सी चीजों को छिपाना चाहें वह छिपती नहीं। बहुत समय से यह कठिन प्रश्न रहा है कि जिन नीतियों का हम प्रतिपादन करें उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है या नहीं। समय-समय पर न जाने कितने कमीशन इसके बारे में मुकर्रर हुए, न जाने कितनी रिपोर्टें आयीं लेकिन यदि माननीय नेता सदन देखेंगे तो पायेंगे कि आमतौर पर कभी भी उन पर कोई कार्य नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन की चर्चा तब करें जब हम स्वयं ही इम्प्लीमेंटेशन करें। एक बहुत बड़ी चौथी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। पूर्ववर्ती सरकार ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिये निर्णय किया था। मैंने मांग की थी सरकार को इस संबंध में कुछ करना चाहिये था। तीन महीने में आज तक प्लान इम्प्लीमेंटेशन पर क्या कार्य हुआ उस पर न सदन में कोई चर्चा हुई और न बजट साहित्य में ही कोई चर्चा है।

आज सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि एक बड़ा लम्बा हमारा प्लान है। शायद वित्त मंत्री खड़े हैं यह कहने के लये उसके बारे में कुछ कार्य हुआ है, शायद बतला रहे हैं कि एक मीटिंग भी हुई है। यदि ऐसा हुआ है तो अच्छाई है। मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी के संबंध में कल ही चर्चा कर चुका हूं। वह वित्त के उस हिस्से से संबंधित हैं जिसमें इम्प्लीमेंटेशन का कार्य ही नहीं है। यह अच्छा ही है कमसे कम प्रदेश के इतिहास में एक ऐसे वित्त मंत्री हुए जिनका इम्प्लीमेंटेशन से कोई संबंध नहीं रहा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्लान इम्प्लीमेंटेशन का प्रश्न है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग बहुत बड़ी चीज है। मेरी सूचना है कि १०० करोड़ रुपया स्टेट बैंक की तरफ से उन योजनाओं के लिये स्वीकार करने की बात थी जो छोटी योजनायें सिंचाई संबंधी और कृषक संबंधी है, कम से कम इस बजट से उसका आभास नहीं होता यद्यपि वित्त मंत्री के भाषण में संस्थागत ऋण की चर्चा जरूर है। इम्प्लीमेंटेशन की बात को सरकार देखे। लेकिन एक चीज के बारे में मैं सरकार को जरूर चार्ज करता हूं। इस सरकार की नैतिक नीति नहीं है। चाहे वह कितनी ही चर्चा कर लें लेकिन नैतिकता के स्तर पर या दूसरे किसी भी स्तर पर यह सरकार स्वच्छ प्रशासन नहीं दे पायेगी। एक ही उदाहरण देता हूं। बापू ने कहा था कि जितनी हमारी छोटी स्कीमें हैं, छोटे दल हैं, उन सबको जिन्हें पिछड़ा हुआ वर्ग कहा जा सकता है देश में बार-बार हमको कुछ कानून उनके संबंध में बनाने पड़ेंगे और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने तीन महीने में क्या किया? मान्यवर, वह पिछड़ा हुआ वर्ग है जिसकी चर्चा यहां हो चुकी है। यह बेकारों और भूमिहीनों का वर्ग है। ३ महीने का समय काफी होता है। यदि इस बीच कोई कार्य नहीं हो पाया है तो मेरा निश्चित मत है कि कदाचित कोई काम नहीं हो सके। तो श्रीमन्, मैं अपनी उन पुरानी बातों को दुहराते हुए कटौती के प्रस्ताव को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। (तालियां)

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि मुझे समय मिले क्योंकि ५ मिनट माननीय जायसवाल जी ने मांगे तो वे २० मिनट तक बोलते रहे आपने कुछ नहीं कहा। जब आपने जल्दी खत्म करने को कहा तो उन्होंने १ मिनट मांगा और उनके १ मिनट का मतलब ८ मिनट से हुआ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने समाप्त तो कर दिया।

श्री चरण सिंह—

आप मुझसे ये आशा करते हैं कि मैं २५ मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूं। क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पक्ष से किसी ने नहीं बोला है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे बोलने के लिये ३ बजे तक का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि आप लोगों ने कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय किया है कि पहली वोटिंग ढाई बजे होगी यानी मतदान ढाई बजे होगा और दूसरा मतदान ५ बजे होगा ।

श्री महीलाल--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति के निश्चय के अनुसार मतदान का समय बढ़ाकर ३ बजे कर दिया जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति तो सर्वसम्मति से निश्चय करती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा समिति में यह प्रश्न उठा था और मैं इसी राय का था कि वोटिंग ५ बजे ही रखी जाय किन्तु माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने कहा कि वोटिंग ढाई बजे और ५ बजे भी रखी जाय । इस प्रस्ताव को सरकारी पक्ष ने भी मान लिया था ।

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो मैं २.२५ पर ही समाप्त कर दूं । किन्तु मैं यह जानकारी हाउस को देना चाहता था कि सभी बातों पर प्रकाश डाल सकूं किन्तु इतने समय में नहीं दे सकूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट के सिलसिले में कुछ कहूं, जो आम बातें इस सदन में उठाई गयीं हैं उनका जवाब देना चाहता हूं । कल यहां पर मेरे किसी मित्र ने यह कहा था कि अधिकारीगण विधायकों के साथ अच्छा बरताव नहीं करते हैं । मुझे इसका दुख है । आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बारे में शिकायत मिली है । मैंने उनका जवाब तलब किया था और जबानी भी कहा था कि विधायकों के साथ सम्मानपूर्वक बरताव होना चाहिये । अगर कहीं अन्य भी इस प्रकार की शिकायत है तो इस सिलसिले में मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और डिपार्टमेंन्टल आफीसर्स का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं **उनके साथ आदरपूर्ण** बरताव किया जाय । दूसरी बात यह है कि कल श्री कृष्णचन्द्र शर्मा ने इस बात का जिक्र किया था कि ललितपुर सब डिवीजन को पूरा जिला का स्टेटस दे दिया जाय । इनकी दृष्टि में यह मांग जायज हो सकती है लेकिन उसकी आबादी केवल साढ़े तीन लाख है । पर्वतीय जिलों में तो बाद दूसरी है । वहां दूर-दूर आबादी होने के कारण बड़े इलाके होते हैं लेकिन अगर मैदान में भी इतनी छोटी आबादी के लिये जिला बनायेंगे तो सोचने की बात है कि प्रशासन का व्यय कितना बढ़ जायगा और कहां तक वह मुमकिन होगा । हमारे यहां तो बहुत सी तहसीलें साढ़े तीन लाख की आबादी की है । उस मांग के साथ जो भावना है, उसके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है लेकिन यह वित्तीय दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से मुमकिन न होगा ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने यह सवाल उठाया कि पेंशनों में बहुत देर होती है । ठीक है । मैं समझता हूं कि जिस दिन बजट पेश हुआ था,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरणसिंह]

उस दिन मेरे सहयोगी का जो बजट भाषण हुआ था, उसमें यह चीज मौजूद थी। शायद उन्होंने उसको ध्यान से पढ़ा नहीं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने उसको पढ़ने के बाद कहा था ।

श्री चरण सिंह—

जितना मुमकिन हो सकता था, वह गालिबन उसमें दिया हुआ है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने यही निवेदन किया था कि उससे पूरा काम नहीं चलेगा । आप उसको देख लें ।

श्री चरण सिंह—

कुछ है तो । आज की अपेक्षा तो बेहतर है । हम और आप यही हैं, अगर कुछ और हो सकता होगा तो उसको भी देख लेंगे ।

मेरे एक मित्र ने कहा कि सेल्स टैक्स का बकाया बहुत है। माना, लेकिन माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य के अलावा और कोई सज्जन यदि इस सवाल को उठाते तब तो कोई बात थी। आपको इस बात को नहीं उठाना चाहिये था । क्योंकि आपने जिस दिन चार्ज लिया था उस दिन सेल्स टैक्स का बकाया था २३,६५,००,००० रुपया था और जिस दिन चार्ज दिया वह २७ करोड़ ५९ लाख था ।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नियुक्तियों के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि अक्तूबर, ६९ में लोक सेवा आयोग से कोई परीक्षा हुई और जो लोग वहां से एप्रूव हुए उनकी नियुक्ति नहीं की गई और दूसरे लोगों की नियुक्तियां रुपया लेकर की जा रही हैं मैंने उसकी तहकीकात की । ऐसी बात नहीं है । इम्तहान जरूर हुआ था लेकिन २ अभ्यर्थियों द्वारा रिट हो जाने के कारण लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर अमल न हो सका। इस समय उसके विस्तार में मैं नहीं जा सकता क्योंकि समय कम है। ट्रांसपोर्ट विभाग का जब अनुदान आयेगा तो मेरे सहयोगी उस पर प्रकाश डालेंगे । अतः जो बख्शी साहब ने कहा वह सही नहीं है।

एक मेरे मित्र बरेली के खड़े हुए और उन्होंने बहुत सी इन्डिविजुअल बातें कहीं कि फलां थाने में यह हुआ और फलां में यह हुआ । हुआ होगा । मैं उससे इंकार नहीं करता। मैंने कभी यह दावा नहीं किया और न कोई गवर्नमेंट ऐसा दावा कर सकती है कि उसका कोई कर्मचारी कोई गलती करेगा ही नहीं । लेकिन अगर किसी राज्य कर्मचारी की कोई गलती है और अगर माननीय सदस्य उसको गवर्नमेंट के नोटिस में लाते हैं और अगर गवर्नमेंट उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती, तब तो एक बात भी है । वे किसी काम से किसी एस० पी० के पास गये और उनसे उनकी कुछ बातचीत हुई । अब अगर एस० पी० से पूछा जाय तो दूसरा पक्ष भी सामने आ सकता है हो सकता है माननीय मित्र के नालेज में सारे वाक्यात भी न हों। अगर कोई ऐसी बात है तो वे हमें बतलायें । मैं उसकी इन्क्वायरी करा लूंगा और अगर दोषी पाया गया तो उसको सजा दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मित्र ने यह भी कहा कि गालिबन हमारे कोई मिनिस्टर ऐसी जगह जाकर ठहरे, जो अवांछनीय व्यक्ति थे, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। मैं मानता हूं कि कभी-कभी ऐसी गलती हो जाती है लेकिन बद किस्मती यह है कि यह परम्परा

बहुत दिनों से पड़ी हुई है और मैं तो बहुत प्रोटेस्ट करता रहा हूं। अब सारी कहानी मैं क्या गाऊं, लेकिन किसी ने सुन के नहीं दिया। एक मेरे मित्र मिनिस्टर थे। बाद में और बडी रिस्पांसिबिलिटी हुई। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने मना किया कि फलां आदमी पर केस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी ने कहा कि हम उसके यहां नहीं जायेंगे मगर खाना खाने गये। लेकिन वह नहीं माने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट और एस० पी० और डी० सी० सी० के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी लौट कर चले आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिये लेकिन यह होता रहा है। फिर भी अगर हमारे किसी साथी से गलती हुई है तो मैं सारे सदन से माफी मांगता हूं और कोशिश हमारी यह होगी कि इस तरह कोई अवांछनीय व्यक्ति के यहां हमारे सहयोगी न ठहरें, बल्कि इसका हम जिक्र आपस में कर भी चुके हैं।

जायसवाल साहब ने कहा कि पैटर्न आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन पुराने का पुरना ही है। यह बात सही है, लगभग वही है। लेकिन अगर वह मुझे कोई रचनात्मक सुझाव दें, वह हों या जनसंघ के कोई साथी हों, माननीय मित्र मेरे सामने बैठे हैं, मैं अभी कह सकता हूं कि मैं अपने सहयोगियों के सामने उनकी बात को विचार करने के लिये प्रस्तुत करने को तैयार हूं। ढाचे में किस तरह से तब्दीली की जाय अगर माननीय मित्रों के पास कोई कांस्ट्रेक्टिव सजेसन्स हों मुझे खुशी होगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने यह निवेदन किया था कि जिस तरह से प्रान्त में राजधानी में एक पंचायत है जो अपने अधिकार क्षेत्र में टैक्स लगा सकती है....

श्री चरण सिंह—

वह मुझे मालूम है आपकी चौखम्भा राज की बात। चौखम्भा राज कोई नई बात तो नहीं है। (श्री अनन्त राम जायसवाल के फिर बोलने की कोशिश करने पर) आप मुझे बोलने दीजिए। मुझे २० मिनट मुश्किल से मिले हैं। मुझे मालूम है कि लफ्ज बड़े प्यारे हैं एस० एस० पी० दोस्तों को—चौखम्भा राज, गांव पंचायत, जिला परिषद् और उत्तर प्रदेश के स्तर पर और संघ के स्तर पर। ठीक है। आज चौखम्भा राज तो हो रहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर.....

श्री चरण सिंह—

मैं बैठने के लिये तैयार नहीं हूं। आप माननीय मित्र से दरख्वास्त करें कि वह बैठ जाएं और मुझे बोलने दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अगर वही चौखम्भा राज है तो डेमोक्रेसी का कोई जानने वाला डूब कर मर जायेगा इस परिभाषा से।

श्री चरण सिंह—

अच्छी बात है, मर जायेगा तो मर जाए। कोई बात बताइए न। वह तो दुनिया भर में चौखम्भा राज है। कोई नई बात हो तो बताइए। आप अमरीका में जाएं, रूस में जायें विलेज इन्स्टीट्यूशन्स और उसके ऊपर और इन्स्टीट्यूशन्स हैं। लेकिन कोई नई बात नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

एक आश्वासन मैं मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं। क्या आप इस कल्पना को कार्य रूप में बदलने के लिये कोई इस तरह की कमेटी बनायेंगे या लोगों को इनवाइट करेंगे जो आपको सजेशन्स दे सकें?

श्री चरण सिंह---

मैं अभी आपको दावत दे रहा हूं कि आप मुझे कोई रचनात्मक सुझाव दीजिये। मेरी दावत अभी समझ लीजिये लेकिन चौखम्भा राज कहने से कोई काम नहीं चलेगा। अब पूरे दस मिनट इसमें उन्होंने ले लिये।

इलेक्ट्रिसिठी बोर्ड के चेयरमैन के बारे में उन्होंने बात कही। मेरी राय उस इंजीनियर के बारे में बहुत अच्छी है। गलती हो सकती है लेकिन मैंने जानबूझ कर कोई गलत काम किया हो तो दूसरी बात होती। हैवी इलेक्ट्रिकल्स के तमाम इंजीनियर्स ने जैसा सर्टिफिकेट उनको दिया है वैसा उन्होंने हिन्दुस्तान में किसी को नहीं दिया है। मैंने आपके पास वैसे ही इत्तला के लिये वह भेज दिये थे। आपने वापस कर दिया। आपने मुझे खत लिखा है कि यह गलत है। ठीक है। अब मैं उसको देख लूंगा। मैं तो यही यकीन दिला सकता हूं कि मैंने जानबझ कर गलत आदमी को अप्वाइन्ट नहीं किया है। दुनिया भर की मुझे नालेज नहीं हो सकती। अगर आप मुझे कोई वैसी बात बतायेंगे जिससे बदनीयती साबित हो तो मैं उसकी नियुक्ति पर पुनर्विचार करने को तैयार हूं।

(श्री उपाध्यक्ष के बार-बार मना करने पर भी श्री अनन्त राम जायसवाल बीच-बीच में बोलते रहे)

(श्री जगन प्रसाद रावत तथा श्री राजमंगल पांडेय खड़े हुए और बोलने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष---

आप सब शान्त रहें। लोकतंत्र में अगर विरोधी पक्ष ने सवाल उठाया है और मुख्य मंत्री जी उसके जवाब में वक्तव्य देते हैं तो वह लोकतंत्रीय नहीं हो सकता जो उस जवाब के रास्ते में आये।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)-

व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप मुख्य मंत्री जी की बात सुन लीजिये। उसके बाद जो आपको गलत मालूम हो, जो आपको पसन्द न आए उसके संबंध में....

श्री बांकेलाल--

अगर वह गाली देने लगेंगे तो क्या हम सुनेंगे? वह गुस्से से बात करते हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

जब आपको अवसर मिलेगा तो आप कहें, लेकिन वह जवाब दे रहे हैं तो यह परम लोकतंत्रीय होगा कि आप सारे जवाब को सुनें।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय जायसवाल और बांकेलाल ये हथियार बने हुए हैं मुख्यमंत्री जी के और इस तरह से आप उनकी मदद कर रहे हैं, उनको सहायता पहुंचा रहे हैं कि वह कोई जवाब न दें जितने कि सवाल यहां उठाये गये हैं। तो यह लोकतंत्र के विरुद्ध होगा। उसका कुछ ढंग होना चाहिए... उनको आपको सुनना पड़ेगा।

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---

क्या आपने कोई विशेषाधिकार दे रखे हैं उनको ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं उससे आप सहायता पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को।

श्री चरणसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जासवाल जी जिस वक्त तकरीर कर रहे थे मैं बिल्कुल खामोश रहा और बिल्कुल नहीं बोला और जब मैं बोल रहा था, मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा था, तो आप तीन बार नहीं चौथी बार खड़े हुए। मैं दो बार बैठ गया। मैंने कहा कि मेरे पास समय कम है, बोलने दीजिये मैं ईल्ड करने के लिये तैयार नहीं हूं। जहांतक मैं ने सुना है उन्होंने कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर वह कहते हैं कि यह नहीं कहा है तो बात ठीक है और अगर कहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, आपसे कि वह अपने अलफाज वापस लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने "झूठ" शब्द कहा है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, यह मैंने कहा है लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि एक शब्द है "सच" और जो सच नहीं है उसको कहा जाता है "झूठ"। जो झूठ होगा उसको झूठ कहा जायेगा और जो सच होगा उसको सच कहा जायेगा। तो मान्यवर इसमें कौन सी असंसदीयता हुई। मान्यवर, सच को सच कहते हैं झूठ को झूठ कहते हैं, ईमानदार को ईमानदार कहते हैं और भ्रष्ट को भ्रष्ट कहते हैं, इनके लिये ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो मान्यवर इसको जरा आप सोचें। अगर कहना है कि यह चीज झूठी है या यह आदमी झूठ बोल रहा है तो आप ही बता दीजिये हम क्या कहें। आइन्दा के लिये हम सुधार लेंगे।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

श्रीमन् माननीय सदस्य बार-बार अपने कहे शब्द को दोहरा रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनसे इसको वापस करावें और उनसे माफी मंगवायें।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि झूठ को झूठ कहा जाय या न कहा जाय, सिर्फ एक बात है। अब तो शब्द को वापस लेने का सवाल पैदा हो गया है। तो श्रीमन, पहले आप हमको सुन लें तब कहें। सिर्फ इतना कहना है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

उपाध्यक्ष महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है। २० मिनट मुख्य मंत्रीजी को बोलने के लिये दिये गये थे, वह खत्म हो गये। अब ढाई बजे वोटिंग कैसे होगी। इसको तय कराईये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये, मैं बैठ भी गया उसपर भी चीफ मिनिस्टर साहब को नाराजगी है।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

श्रीमन्, जो जायसवाल साहब ने कहा है उससे सदन का अपमान हुआ है। मैं इसको लिखित दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय जायसवाल ने जो जवाब दिया है उसमें यह नहीं कहा है कि हमने यह कहा है या नहीं कहा है।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपसे यही पूछा था कि अगर वह कहते हैं कि नहीं कहा है तो ठीक है। अगर उन्होंने कहा है और आप कहते हैं कि ठीक है तो अब मैं भाषण करने के लिये तैयार नहीं हूं और मेरे भाषण की कोई जरूरत नहीं है। अब आप कृपाकर वोट करा लें।

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष—

जो संशोधन है मैं पेश करता हूं। श्री लक्ष्मी रमण आचार्य का संशोधन है कि सम्पूर्ण अनुदानों के अधीन मांग की राशि घटा कर एक-एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४०,०८,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २६,२७,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १० सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५८,२४,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९७०-७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मागों पर मतदान—अनुदान संख्या १— १६७ राज्य आबकारी, अनुदान संख्या ५—अन्य कर—और शुल्क, अनुदान संख्या १०— सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या ११—अयुक्त और जिला प्रशासन, अनुदान संख्या १५—पुलिश, अनदान संख्या ४०—राजनीतिक पेशन तथा भत्ते तथा अनुदान संख्या ४५—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,५३,२३,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपथित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०,४२,९८,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४०—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३१,३१,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,८१,८९,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन

न्याय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १३ न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५७,८१,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, इस अनुदान को पेश करते हुये कोई विशेष चर्चा या भाषण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय से लेकर सिविल और फौजदारी के जितने कर्मचारी, न्यायाधीश हैं उनके खर्चे का प्राविधान है। इसमें कुछ नई बातें अवश्य शामिल की गई हैं जिनमें जो टेम्पोरेरी या अस्थायी लोग हैं उनको स्थायी बनाने के लिये प्राविधान है। दूसरे जो जिले के पुस्तकालय हैं उनकी ग्रान्ट बढ़ाने का प्राविधान है। तीसरे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें जो पुस्तकालय हैं उनको भी धनराशि दी गई है ताकि वे भी अपने यहां पुस्तकों को बढ़ा सकें। चौथी बात यह है कि आज तक हिन्दी की रूलिंग्स के लिये कोई प्राविधान नहीं था। अब हर न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हिन्दी में रूलिंग्स करने के खर्चे के लिये प्राविधान किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

सुनने में नहीं आ रहा है, कृपया आप लोग शान्त होकर बैठ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

उस प्राविधान के लिये जो कि न्याय प्रशासन से सम्बन्धित है, न्याय प्रणाली से सम्बन्धित है वह सार्वजनिक निर्माण के अनुदान में है और उसको तीन मदों में बाटा गया है। एक मद तो वह जिसमें जो कि बिल्डिग बनाने के लिये जो सुविधा दी गई है। सबसे नई बात तो यह है कि इस वक्त कोर्ट रूम्स बहुत कम हैं उसके लिये इसको रखा गया है। अभी तक हमारे जुडीशल आफिसर्स के रहने के लिये कोई प्राविधान नहीं था और अब उसके लिये २० लाख रुपये की धनराशि को मंजूर किया गया है। यदि उनके सिविल कोर्ट में कोई जमीन है तो वहां आफिसर्स के आवास के लिये मकान बना दिये जायें। सबसे ज्यादा कठिन समस्या जो चर्चा का विषय है वह यह है कि मुकदमों का निर्णय होने में बहुत देर होती है और उसके लिये सरकार चिन्तित है और उस पर विचार कर रही है। इस तरफ सरकार ने हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के जो जजेज हैं उनकी बढ़ोत्तरी की है और उनकी संख्या ३० तक कर दी गई है और १३ जजेज ऐडीशनल मुकर्रर कर दिये गये हैं।

श्रीमन्, मुकदमों का एक्युमुलेशन कम करने के लिए कुछ और कार्य किया गया है। संशोधन बिल पेश करके १० हजार से २० हजार की सिविल की अपीलें जो पेन्डिंग थीं उनको जिला जज को स्थानान्तरित कर दिया गया है। जो अपीलें केवल फैसले के लिए पड़ी हैं उन्हें छोड़ दिया गया है। सबार्डीनेट कोर्टस् में भी कुछ फौजदारी का काम ज्यादा बढ़ गया है। जब से जुडीशल आफीसर्स हाईकोर्ट के मातहत कर दिये गये है तब से फौजदारी का काम ज्यादा हो गया है। उन मुकदमों को जल्दी निर्णय करने के लिये शासन की ओर से ४० मुन्सिफ, जिनको मैजीस्टीरियल पावर्स दी गयी है, मुकर्रर कर दिए गए है और सन् ६९ में जिन ६० मुंसिफों का सलैक्शन हो चुका है केवल करैक्टर रोल वेरीफिकेशन होना है, वह भी कुछ दिनों में कार्य करने लगेंगे। इसके अलावा सन् ७० में ७५ मुंसिफों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन सलैक्शन करे। इस तरह से जुडीशल आफीसर्स के काडर के बन्द होने के बाद मुंसिफों को जो मैजीस्टीरियल पावर्स दे दी गयी है उनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ाकर इस कार्य में प्रगति की जाएगी। मुकदमों के एक्युमुलेशन में जो कारण हैं उनमें यह भी है कि कुछ सी० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० में भी तब्दीली की जरूरत है। उसके लिए ला कमीशन मुकर्रर किया गया है जो इस बात की जांच करेगा कि क्या तब्दीली की जाय।

हिन्दी के स्तेमाल में भी प्रगति हुई है। अभी तक उच्च न्यायालय में हिन्दी में बहस की आज्ञा नहीं थी। राष्ट्रपति की सहमति लेकर अब कोई एडवोकेट सिविल या क्रिमिनल में हिन्दी में बहस कर सकता है। एफीडेविट भी हिन्दी में दाखिल किये जा सकते हैं और रिटिन स्टेटमेंन्ट्स वगैरह भी हिन्दी में हो सकते हैं। जहां तक सबार्डीनेट् कोर्टस् का सवाल है, सन् ४७ से ही अधिकतर हिन्दी का प्रयोग होने लगा था। लेकिन जो जजमेन्ट्स और आदेश थे वह अभी तक अंग्रेजी में हुआ करते थे। अब सरकार ने २ अक्तूबर, गांधी जयन्ती के अवसर से लागू कर दिया है कि एक साल की सजा जिस कोर्ट से होनी हो उसमें जुडीशल आफीसर हिन्दी में ही फैसला लिखें और मुन्सिफ और खफीफा दो हजार की डिग्री तक हिन्दी में ही फैसला लिखें। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, उसके लिये विजीलेन्स है और उसमें कार्यवाही होती है। कई जज रिवर्ट कर दिए गए हैं। तो यह जो अनुदान है इसमें कोई ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसे पास करने की कृपा करें।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि न्याय प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय

नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। चूंकि न्यायालयों में हिन्दी के पूर्ण रूप से प्रयोग की नीति सरकार नें स्वीकार नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, ला एडमिनिस्ट्रेशन के लिये यह आवश्यक है कि जो न्याय करने वाले हैं वह स्वतन्त्रता पूर्वक अपने विचार व्यक्त कर सकें। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह न्याय सस्ता हो और सुलभ हो। जहां तक न्याय प्रशासन की बात है उस सम्बन्ध में मैं ला कमीशन की रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूं। जो उन्होंने न्याय प्रशासन के बारे में कहा है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि :--

"We think it necessary to call attention to an important matter with regard to the promotion of Judicial Officers. It appears that some time ago the High Court recommended the promotion of certain Civil and Session Judges for the grade of District and Sessions Judges and at the same time pointed out that the case of three particular officers had to be kept over for consideration. The three officers had not sufficient experience of criminal work having been taken out of regular judicial work and employed in the Secretariat for a number of years. It was therefore stated that their capacity in this regard would not be assessed and their fitness for promotion determined. But, nevertheless, these officers were promoted. This is far from satisfactory and pending as it does to transfer the allegance of judicial officers from the High Court to the Secretariat deserves to be depricated. We have earlier made appropriate recommendation to prevent such contingencies."

कमीशन ने यू० पी० के बारे में यह कहा है कि हाईकोर्ट ने यह सिफारिश की थी इन ३ अधिकारियों का परमोशन कर दिया जाय और कुछ अधिकारियों को रोक लिया जाय लेकिन हाईकोर्ट के खिलाफ यहां सेक्रेटेरियट ने किसी को परमोशन नहीं दिया। इस सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं ऐसा नहीं किया जा सका।

मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं कि फैजाबाद में जी० एस० शाहिद थे पिछली संविद सरकार के जमाने में हाईकोर्ट ने लिखकर दिया था कि इनका परमोशन कर दिया जाय लेकिन आज पता नहीं चला कि इनको परमोशन क्यों नहीं दिया गया। उनके खिलाफ कोई चीज भी नहीं थी और कोई कारण भी नहीं था लेकिन मौजूदा मुख्य मंत्री जी ने उनको परमोशन नहीं दिया। प्रश्न यह है कि जब कार्य पालिका इस तरह से हस्तक्षेप करेगी तो किस तरह से न्याय लोगों को मिलेगा। दूसरे मुबारक अली एडीशनल कमिश्नर थे उनके लिये भी हाईकोर्ट ने सिफारिश की थी लेकिन उनको भी परमोशन नहीं दिया गया और न कोई कारण बताया गया। एक कारण समझ में आता है और यह हो सकता है कि उनके प्रति कोई भेद भाव रहा होगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर यह शकल रही तो प्रजातन्त्र इस प्रदेश में खतरे में पड़ जायगा। अगर न्याय प्रशासन के अधिकारियों की नियुक्ति पोलिटिकल विचार से की गई तो प्रजातंत्र चल नहीं पायेगा। वह भी राजनीति में उतर आए तो प्रजातंत्र मैं समझता हूं नहीं रह पायगा। उसकी सारी जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर होगी।

मुख्य मंत्री जी बार-बार यहां पर यह दुहाई देते हैं कि स्वच्छ प्रशासन लायेंगे लेकिन वह स्वच्छ प्रशासन कहां है। जब हाई कोर्ट अपने अधिकारियों के बारे में यह सिफारिश करते हैं आप उसको मानते नहीं हैं तो कैसे स्वच्छ प्रशासन आयेगा। हाई कोर्ट के जज या डिस्ट्रिक्ट जज को आप ट्रिब्युनल में बिठा देते हैं तो उनको लालच देते हैं कि अगर हमारी मर्जी के मुताबिक तुम काम करोगे तो आगे चलकर हम तुमको फायदा देंगे। यह चीज नहीं होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त बार मेम्बर्स की नियुक्ति पोलिटिकल कंसीडरेशन से होती है। वह मैरिट पर होनी चाहिये। अगर मैरिट पर नहीं होती है तथा बार अच्छा नहीं है तो अकेले बेंच कुछ नहीं कर सकती है। बेंच और बार का चोली दामन का साथ है। इस संबंध में ला कमीशन

[श्री विश्व नाथ कपूर]

ने जो रिपोर्ट दी है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ला कमीशन का कहना है कि जितने अप्वाइन्टमेंट्स हों वे प्योरली मेरिट के बेसिस पर हों और वे पोलीटिकल और राजनैतिक कन्सीडरेशन्स से न किये जाएं लेकिन अफसोस है कि हर जिले में प्रदेश के स्तर पर सारे अप्वाइन्टमेंट्स महज राजनैतिक कारणों से हो रहे हैं। हमारे न्याय मन्त्री जी स्वय बैकवर्ड क्लास के हैं तो वे बताएं कि क्या उन्होंने किसी डी० जी० सी० या असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट की जगह किसी हरिजन का अप्वाइन्टमेंट किया है ?

एक सदस्य—

मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जिन जज के प्रोमोशन का वह जिक्र कर रहे हैं उनको जस्टिस ग्रूम ने अपने जजमेंट में झूठा करार दिया है, उन्हें यह मालूम है ?

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं तो आपको चुनौती देता हूं कि जो चीज हो वह आप सदन की मेज पर रख दें। आप जरा सुन लें, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी जूडीशियरी स्वतंत्र नहीं होगी तब तक न्याय व्यवस्था टीक नहीं हो सकती। इस संबंध में मेरा सुझाव है और मैं सरकार के प्रतिनिधियों से कहूंगा कि वह आल इंडिया बेसिस पर एक जजेज का पेनल बनाएं और हाई कोर्ट के जजेज का ट्रांसफर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को किया जाय। इस तरह से जो न्यायपालिका में भी आज राजनीति का वातावरण चल रहा है और जो यह कुर्सी और सत्ता की लड़ाई हो रही है और यह जो लोग कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं इससे बचने के लिये यह जरूरी है कि जजेज का ट्रांसफर इन्टर स्टेट लेविल पर हो।

इस संबंध में यह भी ध्यान देने की बात है कि चीफ जस्टिस और जजेज के अप्वाइंटमेंट में मुख्य मंत्री भी सलाह देते हैं। यह सिस्टम समाप्त होना चाहिये और इसमें मुख्य मंत्री का कोई हाथ नहीं होना चाहिये तभी हम जूडीशियरी को इनडिपेंडेंट रख सकेंगे। इसके अलावा आप अपने एग्जीक्यूटिव आफिसर्स, यानी कलेक्टर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आदि के रहन-सहन को देखें और उनके मुकाबले में मुंसिफ, जजेज आदि के रहन-सहन को देखें तो आप पायेंगे कि इनका रहन-सहन उतना अच्छा नहीं है जैसा कि इन एग्जीक्यूटिव अफसरों का रहता है। इसका मुख्य कारण एक ही है कि आपके कार्यपालिका के यह अधिकारी भ्रष्टाचार में लगे हैं और जूडीशियरी वाले उससे दूर हैं। इसलिये इन लोगों को एफीशियन्ट और इमानदार रखन के लिये यह जरूरी है कि उनके वेतन में वृद्धि हो ताकि वह अच्छे स्टैन्डर्ड स रह सकें और वे इन-फीरियारिटी फील न करें। जूडीशियल आफिसर्स और जूडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को आपने न्यायपालिका अलग करने के बाद से हाई कोर्ट के अन्डर में किया है, यह ठीक है लेकिन यह मुंसिफ भी मैजिस्ट्रेट हैं इसलिये इन दोनों कैडर को अलग न रखा जाय और एक में ही मर्ज कर दिया जाय जिससे एक यूनिफार्मिटी पालिसी में रहे और दोनों तरह के लोग एक सा ही फील करें। अगर यह कैडर अलग-अलग रखे जायेंगे तो ला एडमिनिस्ट्रेशन और न्याय प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इसके अलावा दूसरी चीजों पर अब मै आ रहा हूं वह यह है कि न्याय सस्ता होना चाहिये। इस संबंध में मेरा निश्चित मत है कि यह सरकार न्याय के मामले में भी व्यापार कर रहा है। इस संबंध में मैं ६९–७० के कुछ वार्षिक आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। जो आप ने आय दिखाई है जूडीशियल स्टांप, कोर्ट फीस आदि और वकालत नामे से उसकी स्टाम्प के हेड में डाला गया है और जुरमानों को दूसरी मद में डाल दिया गया है और इनको जोड़कर फिगर इस तरह से आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में सन् ६७–६८ में कुल ४,९८,१७,२०७

रुपया रखा गया और ३,२४,५८,१६७ रुपया कोर्ट फीस स्टाम्प आदि से मिला। वह आपने स्टांप रख दिया। ला एडमिनिस्ट्रेशन में रखा था १,७३,५९,१४० रुपये। इसी तरह १९६८-६९ में एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के हेड में १,७०,८३,५७४ रु० रखा था और स्टैम्प हेड में ३,४९,१७,२५० रु० रखा था। इस तरह से ५,२०,००,८२४ रु० टोटल खर्च आता है। १९६७-६८ में ४ करोड़ ९८ लाख आय है और ५ करोड़ ३० लाख खर्च है। इसी तरह से १९६७-६८ में स्टैम्प से ३,२४,५८,१६७ रु० की आय है और न्याय प्रशासन पर खर्च ४,९८,१७,३०७ है। इसको देखने से भी मालूम होता है कि हमारा न्याय प्रशासन भी सरकार द्वारा मुनाफा कमाने का एक साधन हो रहा है। इस वर्ष ३,१५,२८,३१८ रु० और ६१,९७,२७२ रु० है जो टोटल ३,७७,२५,५९० रु० आता है खर्च का। लेकिन आमदनी ५ करोड़ २० लाख रुपये की हुई। इसी तरह से ला कमीशन की रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं. . . .

श्री अध्यक्ष--

इसको साढ़े तीन बजे समाप्त होना है, साथ ही औरों को भी बोलना है इसलिये आप ३ बज कर १० मिनट पर समाप्त कर दें।

श्री विश्वनाथ कपूर--

इस पर बोलने के लिये मुझे कम से कम आधा घंटे का समय तो दे ही दें।

श्री अध्यक्ष--

आप ३.१० पर समाप्त कर दें। उसके बाद १०-१० मिनट का समय मिलेगा क्योंकि बहुत से लोग बोलने वाले हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर--

इंगलैंड, अमेरिका और जापान की बात भी कही जाती है। लेकिन वहां केवल एक ही चीज है। जब कि यहां उसके बिलकुल रिवर्स है। पहले जहां वकालतनामा में १२ आने का टिकट लगता था वहां अब ५ रुपये का टिकट लगता है। ५ रुपये वकालतनामे में लगता है। जहां लोअर कोर्ट में डेढ़ रुपया लगता था वहां अब ३ रुपये लगता है। नकल के लिये जहां पहले डेढ़ रुपये देना पड़ता था वहां अब ८ रुपये देने पड़ते हैं। डिक्लेअरेटरी सूट यानी अपने अधिकारों की रक्षा के लिये मुकदमा दायर करने के लिये जहां पहले साढ़े १२ रुपये कोर्ट फीस लगता था वहां अब ५० रु० लगते हैं तो हम कहां जा रहे हैं, क्या इस तरह से न्याय सस्ता हो सकता है? पहले आप सबने सुना है कि जहांगीर के यहां जब कोई इंसाफ के लिये जाता था तो घंटा बजा देने पर वह आ जाता था और तुरन्त अपना फैसला सुना देता था। राम-राज्य की कल्पना में है कि राम ने अपनी पवित्र सीता तक को महज न्याय के लिये छोड़ दिया। लेकिन यहां एक बड़ी अजीब सी बात है कि सिविल कोर्ट के दावे के कोर्टफीस के साथ ही साथ क्रीमिनल कोर्ट का भी खर्चा सरकार लेती है और इस तरह से हम एक उल्टी दिशा में ही जा रहे हैं।

इंगलैंड और अमेरिका के अलावा जापान का भी हमें पता है कि जापान में अगर ओरिजिनल कोर्ट (लोअर कोर्ट) में कोई फैसला हो गया तो वह आपसे पूछता है कि आप इस मुकदमे के फैसले से संतुष्ट हैं या नहीं। यदि आपने कह दिया कि नहीं, तो वह आपकी मिसिल को अपीलेट कोर्ट में खुद ही भेज देता है। सका नतीजा यह होता है कि न वकालतनामे की जरूरत पड़ती है और न अपील की जरूरत होती है और न नकल लेने की जरूरत होती। नकल लेने में भी यहां काफी टाइम लग जाता है और अपील करने के लिये दो तीन महीना समय मिला तो सारा समय नकल आदि लेने में ही निकल जाता है। अगर नकल मिल गई तो फिर वकालत-

[श्री विश्व नाथ कपूर]

नामा कोर्ट फीस और फिर अदालत से सम्मन मिला, पता नहीं वह तामील हुआ भी या नहीं। इस तरह से जहां सस्ता न्याय मिलने की बात कही जाती है वहां न्याय मिलने में डिले बहुत हो जाती है और जनता को सस्ता न्याय नहीं मिल पाता। सरकार बार बार दुहाई देती है कि हम गरीबों के हित के लिये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वास्तव में क्या यह बात सही है कि किसी गरीब आदमी को जल्दी और सस्ता न्याय मिल पाता है।

इसके अतिरिक्त मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मुकदमे के फैसलों में देरी होने का एक कारण और यह है कि यहां स्ट्रेंथ बहुत कम है। सन् ४७ में हाईकोर्ट में जजेज की संख्या १९ थी और इस वक्त ४२–४३ हैं। तिगुनी नहीं हुई है। १९४७ से लिटीगेशन में ६० गुनी वृद्धि हुई है लेकिन जजों की संख्या केवल ढाई गुनी बढ़ी है। अब जजेज को इलेक्शन पेटीशन भी देखने होते हैं और ओरिजिनल कोर्ट का भी काम करना पड़ता है जो कभी नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो पायेंगे कि डिले का यह भी कारण है। मैंने स्वयं १९४८ में एक मुकदमा सिविल जज के जहां दायर किया, १९६० में डिग्री मिली और अब ७० में जाकर हाई कोर्ट से छुट्टी मिली। तो जब २२–२२ साल एक-एक मुकदमें में लग जाते हैं तो कैसे शीघ्र न्याय मिल सकता है और कहावत भी है कि जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डिनाइड। प्रश्न यह पैदा होता है कि गरीब आदमी किस प्रकार से मुकदमा लड़ सकते हैं।

श्रीमन्, इन्हें इंगलैंड में और अमेरिका में आज फ्री लीगल ऐड मिलती है। जब आप अपना रेवेन्यू लिटिजेंट्स से ले रहे हैं यानी सिविल में या दीवानी में आप पैसा वसूल कर रहे हैं, तो गरीबों को आप न्याय नहीं दे सकते हैं। हम गरीबों को न्याय देंगे, यह केवल नारा मात्र रह जाता है। शायद कुर्सी पर रहने के लिये ही यह नारा दिया जाता है। कहते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में उनकी कोई इमदाद नहीं होती है।

मैं कुछ फीगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। १९६७ में आप देखें क्रिमिनल केसेज जो इन्स्टीट्यूट हुए वे १,०६,६७९ थे जो १९६८ में बढ़कर १,१०,४६८ हो गये। इसी प्रकार से सेशन कोर्टस में जो केसेज कमिट हुए उनकी संख्या भी निरन्तर बढ़ती रही। १९६८ में ८,५३९ केसेज सेशन्स कोर्ट में कमिट हुए जिससे स्पष्ट है कि ५१ परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई। १९६२ में यह वृद्धि केवश ५० परसेंट थी, १९६३ में यह ६५ प्रतिशत हुई, १९६४ में यह ७० प्रतिशत हुई और १९६५ में ७८ प्रतिशत हो गई। यह सब उत्तरप्रदेश की सरकार की एड-मिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस की रिपोर्ट में दी गई है। इस रिपोर्ट के पेज ८ पर लिखा हुआ है कि—

The Criminal work in Sessions courts continued to be heavy. The number of Sessions trials pending at the close of the year was 7,375 as against 7,571 at the end of the previous year. Adding the average institution for the last four years which comes 9,405 the total number of disposal will be 16,780. Sessions Judges have also to devote considerable time to the disposal of criminal appeals, revisions nd reference,s bail and miscellaneous criminal applications, civil suits, triable by a District Judge, Appeals and Revisions and Election Petititons regardng local bodies. Taking into account the average disposal of a sessions Judge as five cases per month and the fact that some of the cases will be disposed of by Assistant Sessions Judge (two cases per month the number of Sessions Judges required to dispose of sessions cases will be not less than 243."

आपके ४२ सेशन्स जजेज हैं और इतने मुकदमों के लिये कम से कम २४३ जजेज हों तब इन मुकदमों का निपटारा हो सकता है।

During the year under review only 170 Sessions Juges actually worked

इसके अनुसार आपके पास केवल १७० जजेज हैं। आगे आप देखें। इसमें कहा है—

To keep pace with the increasing rate of institution it will be necessary to increase the number of Sessions Judges by about 73. But the Government instead of increasing the number of additional courts are always inclined to reduce the number by abolishing the additional courts.

वहां तो अदालतों को बढ़ाने की बात है लेकिन उत्तर प्रदेश में समाप्त करने पर लगे हुए हैं।

इस सिलसिले में एक चीज कहना चाहता हूं कि १९६७ में मैजिस्ट्रेटों के यहां पेंडिंग केसेज की संख्या ७,८७२ थी जो अब १५,५४६ हो गई है। ये ६ महीने से ज्यादा के मुकदमें हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात को सोचें कि किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा गरीबों को राहत दिलवा सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो आती है स्पीडी न्याय की। वह हो कैसे सकता है। आप अखबारों में अक्सर पढ़ते होंगे कि दौरा जजेज हैं। दौरा जजेज हैं ही नहीं। न ही मोबाईल कोर्टस हैं। हां नाम दौरे जजेज जरूर हैं। हमारे एक मंत्री जी हैं। दौरा करते हैं। जन अदालत लगाते हैं। वहां अधिकारियों को बेइज्जत करते हैं। डराते हैं, धमकाते हैं और उनको डिमारेलाइज करते हैं। लेकिन मैं न्याय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप उस परंपरा को न मानियेगा। उस परंपरा में न आंयें तो अच्छा है। आप वकील रह चुके हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--
प्रैक्टिस तो करते हैं आप।

श्री विश्वनाथ कपूर--
जी हां, मैं प्रैक्टिस करता हूं।

मोबाईल कोर्टस की आवश्यकता क्यों थी। मोबाईल कोर्टस के होने से, जो मुकदमे छः २ महीने और साल २ लटक जाते हैं, वही दो दिन में निपट सकते हैं। मौके पर अदालत पहुंच जायेगी तो उनको नेचुरल जस्टिस का पता लग जायेगा। हम कहते हैं कि अदालत अन्धी होती है क्योंकि वह तो सबूत पर ही फैसला करती। अगर वही अदालत मौके पर जाय तो सही फैसला मिल सकता है। जाब्ता फौजदारी और जाब्ता दीवानी जो बनी हैं वे अंग्रेजों ने बनाई थीं। ये सैंकड़ों साल पुरानी हैं। अंग्रेजों का मक्सद था कि हिन्दुस्तान में हुकूमत करनी तो हिन्दू-मुसलमान और हिन्दुस्तानी जितने हैं सबमें फूट पड़ी रहे, एक न हो सकें। इसका सरल तरीका है कि ऐसे कानून बना दें जिससे ये दस दस साल और बीस बीस साल मुकदमात लड़ते रहें। इनमें सुधार की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मुकदमों में देर करना क्या है। एक आदेश एक अदालत ने किया। डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट में अन्तरिम रिवीजन उसका हो गया। वह चाहे क्रिमिनल हो या सिविल हो। नतीजा यह हुआ कि इस तरह वह दो तीन साल तक पड़ा रहा। अगर चार रिवीजन कर दिये गये तो वह मुकदमा दस बारह साल तक पड़ा रहता है। मेरा निवेदन है कि इस तरह का प्राविजन आप कर दें कि अन्तरिम आदेश के रिवीजन न होने चाहिए। अगर अन्तरिम रिवीजन नहीं होंगे तो मुकदमात में देर नही होगी। इसलिये अन्तरिम आदेश की निगरानी की कोई जरूरत नहीं है। इससे लिटिगैन्ट्स को सहूलियत होगी।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय दो मिनट रह गया है।

श्री विश्वनाथ कपूर--
पांच मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

पांच मिनट और ले लीजिए ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

एक बात इस संबंध में और कहना चाहता था कि ला-एडमिनिस्ट्रेशन को तीन भागों में बांटिये, जाब्ता, मकदमात और राय । ये जो लीगल रिमेम्बरेन्सर हैं, ये जो अधिकारी हैं ये सही राय और अच्छी राय नहीं दे सकते हैं । उसका हवाला मैं दे सकता हूं । अप्रैल, १९६८ तक १,००,३४७ मकदमों का फैसला हुआ । उसमें २३ प्रतिशत ही मुकदमे सरकार के पक्ष में रहे और ७३ प्रतिशत सरकार हार गई । आपके यहां अच्छे आदमी नहीं हैं । आप अच्छे लीगल प्रैक्टिशनर्स को ही एन्गेज कर लें, उनसे राय लें तो पोजीशन बनी रहे । बड़ी विडम्बना है । आपने एक आदमी का ओपीनियन ले लिया । उसने जो ओपीनियन दिया, मुकदमा लड़े । उससे क्या हुआ । इधर गवर्नमेंट का पैसा यानी जनता द्वारा टैक्स का पैसा बरबाद किया । इस परेशानी को आप रोक सकते हैं। आये दिन आप देखते होंगे कि सेक्रेटेरिएट के अधिकारियों की जो ड्राफ्टिंग होती है वह अल्ट्रा वायरस करार दे दी जाती है, क्योंकि सही ड्राफ्टिंग यह लोग नहीं कर सकते । यही काम अगर प्रैक्टिसिंग लाइयर्स से लिया जाय तो यह पोजीशन एराइज नहीं होगी ।

तीसरी चीज यह कि आप इनके जो प्रमोशन्स करते हैं वे भी अच्छे वकीलों में से किया करें। अगर अच्छे वकीलों को आप प्रोमोशन देंगे तो वे अच्छा काम कर सकेंगे । मुकदमों के संबंध में भी उन्हीं लोगों से राय लेना चाहिये, न कि उन लोगों से जिनको आप नियुक्त करते हैं । वे राजनीतिक दबाव के लोग होते हैं और सही राय आपको उनसे प्राप्त नहीं हो सकती । आपको यह नीति बनानी चाहिये कि प्रोमोशन आदि मेरिट पर ही किये जायेंगे । हाई कोर्ट का जज दोनों तरफ के वकीलों की बहस सुन कर ही अपना फैसला देते हैं । फिर क्या वजह है कि आप ऐसे लोगों से ही अपने मुकदमों की पैरवी नहीं कराते, उनसे राय नहीं लेते ।

जो आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं उन पर लखनऊ से पोलिटिकल प्रेशर पड़ता है । इस प्रेशर को कम करने के लिये यह जरूरी है कि उनको बिलकुल स्वतंत्र कर दिया जाय, एग्जीक्यूटिव से, उनको अलग रखा जाय । इन लोगों को भी जुडीशियरी को ही ट्रांसफर कर दिया जाय ।

पूर्व और पश्चिम की बड़ी चर्चा की गई । अब एक नई बात यह हो रही है कि हाई कोर्ट का भी बाइफर्केशन किया जा रहा है । चौधरी साहब के घर में एक उसकी ब्रांच खोली जा रही है । इसका असर यह होगा कि जुडीशियरी भी डिमारेलाइज हो जायेगी । मैं न्याय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस प्रोपोजल को कूड़े में डलवा दें । एक बड़ी इन्टरेस्टिंग बात माननीय न्याय मंत्री ने कही कि उन्होंने यह आदेश दिये हैं कि एक साल की सजा वाले केसेज का फैसला हिन्दी में लिखा जाय और ज्यादा वालों का फैसला अंग्रेजी में । इसका मतलब यह हुआ कि पहले अदालत को यह तय करना होगा कि उसको एक साल की सजा देना है या उससे अधिक की। यानी फैसला लिखने से पहले उसको यह तय करना होगा । यह क्या बात है ? सरकार के आदेश स्पष्ट होने चाहिये । जब राज्य भाषा हिंदी है तो आप यह स्पष्ट आदेश क्यों नहीं देते कि सभी फैसले हिंदी में ही लिखे जाएं । इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

(इस समय ३ बज कर १३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगवीर सिंह पीठासीन हुए ।)

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, मेरी जिन्दगी के २० साल जुडीशियरी में गुजरे हैं । मैंने बहुत से डिपार्टमेंट्स देखे हैं । मेरे दिमाग में अक्सर यह आता था कि अगर सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबिल

इन्डिपेंडेंट, आनेस्ट, कोई डिपार्टमेंट है तो वह जुडीशियरी है। इस पर जनता की आजादी और उसके फण्डामेंटल राइट्स निर्भर करते हैं। मगर सन् ५१ में जूडीसरी से अलग होने के बाद सन् ६७ में जब मैं हिन्दस्तान वापस होता हूं तो मैं देखता हूं कि हिन्दुस्तान में जूडीशियरी की हालत वैसी ही बिगड़ गई है जैसी अन्य मुहकमों की। मैं कभी मुंसिफ रहा हूं, कभी जूडीशियल अफसर रहा हूं और मैजिस्ट्रेट भी रहा हूं, लेकिन मैंने इस चीज को पहले कभी सोचा नहीं था कि जूडीशियरी के ऊपर कभी किसी का किसी किस्म का शक हो सकता है। लेकिन मैं कल ही अपने चीफ मिनिस्टर साहब की बात सुन रहा था और दिल ही दिल अफसोस कर रहा था जूडीशियरी भी अन्य दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह है, जिस पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता है, जिस पर ससपिशन होता है। यह किसकी वजह से है? जिस तरह से दूसरे अफसर अपने फायदे के लिए बहुत कुछ काम किया करते हैं, उसी तरह से जूडीशियरी के अफसर भी करन लग हैं। चूकि इस बिरादरी से मेरा भी ताल्लुक रहा है, इसलिए मुझे इससे इन्तहाई तकलीफ होती है।

मैं तो साफ बात करने का आदी हूं। मुझे इधर कुछ ऐसी बातें मालूम हुई, जिससे लोगों ने बड़े बड़े ऊचे जजों के ऊपर भी ससपिशन कास्ट किये। जिस बिरादरी से मेरा ताल्लुक रहा है, जिस बिरादरी को मैंने हिन्दुस्तान में इज्जतदार समझा था, हिन्दुस्तान के बाहर जाकर मैंने जिससे ज्यादा से ज्यादा ताल्लुक रखने की कोशिश की, वे जज ही थे और जब मुझे अपने जजेज के बारे में यह चीज मालूम होती है तो मुझे बेइन्तहा रंज होता है। लेकिन सोचने की बात है कि जिस प्रकार की पहले जूडीशियरी होती थी अब नहीं है? पहले जजों को हम जायन्ट्स कहा करते थ अब के जजों को हम पिगमीज समझते हैं, जो ठीक भी है। इसकी क्या वजह है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं ब्रिटिश जमान में जूडीशियरी में दाखिल हुआ था। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि ब्रिटिश शासन की जो चीज हमको सबसे ज्यादा पसन्द आती थी, वह यह थी कि वे जूडीशियरी में इटरफेयर नहीं करते थे और सबसे ज्यादा जो काबिले नफरत चीज डेमोक्रेसी की १९४७ के बाद मुझे मालूम हुई है वह यह है कि जुडीशियरी में इंटरफेयर शुरू हो गया है। वह किस तरह से? मैं बहुत सी बातें खुद जानता हूं और यदि कोई साहब मुझे चैलेंज करनेकी कोशिश करेंगे तो मैं कहूंगा कि वे मेरे सामने लीगल रिमेम्ब्रेसर की कुछ फाइलें लाए, मैं उसे दिखाऊंगा।

पहली चीज जो इसे प्रेश करने वाली है, जिसने जुडीशियरी की इटीग्रेटी को चोट पहुंचाई है, जिसने पब्लिक में उसकी रिस्पेक्ट को कम किया है वह यह है कि एक्जीक्यूटिव ने बहुत ज्यादा जुडीशियरी में इटरफेयर करना शुरू कर दिया है। यह कभी किसी चीफ मिनिस्टर का या किसी एक्जीक्यूटिव हेड का काम नहीं होना चाहिए कि कौन आदमी जज होने के काबिल है या नहीं?

क्या यह असलियत नहीं है कि मख्य मंत्री ही यह तय करते हैं कि कौन सख्श हाईकोर्ट का जज बनाया जाए, या नहीं कभी मुख्य मत्री तय करते हैं कि जिले मे लोग जज बनाए जांय। वह तय करते हैं कि स्टैंडिग कांउसिल जो है वह बहुत ही एबुल है जज हो जाना चाहिए और वह जज मुकर्रर कर दिया जाता है। कभी वह तय करते हैं कि लीगल रिमेम्ब्रेंसर का आफिस स्टेपिंग स्टोन है और लीगल रीमब्रेशर हाईकोर्ट का जज जरूर होना चाहिए और वह हो जाता है। मैंने इन तमाम बातों का खूब तजुर्बा किया। बहुत से लोग जिस वक्त हाईकोर्ट के जज यहां से होकर गये थे तो मेरे दोस्त बैठकर सोचते थे कि उसमें क्या खूबी थी कि उनको हाईकोर्ट का जज बनाया गया। समझ में नहीं आता था और आखिर मे इसी नतीजे पर पहुंचते थे कि हाई कोर्ट जज इसी वास्ते हुए हैं कि अप्वाइंटिंग अथारिटी के खुशामद के जरिये से बहुत करीब हो गये थे। मुझे मालूम है नाम नहीं लूंगा।

एक वाकया है बनारस हाईकोर्ट के जज का। १९४७ मे मैं लीगल रिमैम्ब्रेंसर डिपार्टमन्ट मे था। १९४७ मे चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के साहब जादे को बनारस हाईकोर्ट का

[श्री मस्तफा कामिल किदवई]

जज मुकर्रर किया गया १५ दिन के अन्दर मर्जर हुआ और बनारस स्टेट के यू० पी० केडर के सिविल एन्ड सेशन्स जज बनाए जाते हैं। ये सिविल ऐंड सेशन्स जज साहब जुडीशियल आफिसर्स से सीनियर हो जाते हैं, उनमें ऐसे लोग थे, जो उनको मेरे खयाल में दस साल तक ला पढ़ा सकते थे लेकिन सिविल ऐंड सेंशस जज हो कर वे उनसे सीनियर हो जाते हैं। वे इस तरह सीनियर हुए और अब हाईकोर्ट भी पहुंच गए हैं। क्या यह वाकया नहीं है। जो साहब इनकार करें मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। यहीं लीगल रेमेम्ब्रेंसर डिपार्टमेंट से लोग ऐसे जज मुकर्रर किए गए जिन लोगों ने अपने से काबिल डिस्ट्रिक्ट जजेज को सुपरसीड किया हालांकि एबिलिटी में वह इसके अहल नहीं थे कि दूसरा सुपरसीड करें। जुडीशियरी में चीफ जस्टिस साहबान की हमेशा यह ख्वाहिश हो सकती है कि उनके पास काबिल से काबिल जज आए लेकिन उनकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने पाती एक्जीक्यूटिव का प्रेशर होता है और गलत आदमी जज मुकर्रर हो जाते हैं। मैं आपके जरिये मिनिस्टर आफ जस्टिस से कहूंगा कि मिनिस्टर होना आसान है। मिनिस्टर होने के वास्ते इतनी एबिलिटी की जरूरत नहीं है लेकिन हाई कोर्ट का जज होने के वास्ते बिलकुल एबिलिटी की जरूरत है? यह मुल्क के साथ नाइन्साफी है, जुडीशियरी के साथ बिट्रायल है अगर नाकाबिल आदमी हाईकोर्ट जज मुकर्रर किए जाते हैं। आप स्टेंडिग काउंसिल अप्वाइंट करते हैं, काबिलियत की बिना पर नहीं अप्वाइट करते। जो मेरे हम सिन् हैं वह जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऐडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेज बहुत कम हुए हैं, जो जजेज मुकर्रर हुए वे इमीनेंट लायर्स थे।

जस्टिस विश्वेश्वरनाथ गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं हुए, वजीर हसन कभी गवर्नमेंट ऐडवोकेट नहीं हुए, डाक्टर काटजू गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं हुए राधाकृष्ण कभी गवर्नमेंट एडवोकट नहीं हुए, इकबाल अहमद कभी गवर्नेमेंट एडव केट नहीं हुए ये लोग हाईकोर्ट जजज हुए और हाईकोर्ट को चमकाया। अब आप करते यह है कि पहले किसी ब्रीफलस काउन्सिल स्टेंडिग काउंसिल मुकर्रर करते हैं और साल दो साल के अन्दर उसे हाईकोर्ट पहुंचा देते हैं। दूसरी चीज जो मैं इस सिलसिले में अर्ज करूगा मैं चाहूंगा कि हमारे कलीग्ज इसको अच्छी तरह से समझ लें कि हाई कोर्ट का जज होने के लिए जब तक काबिलियत क्राइटेरियन नहीं होगा तब तक हाईकोर्ट में काबिल आदमी नहीं पहुंच सकते और न हाई कोर्ट की वह इज्जत हो सकती है जो पहले थी मैं नाम नहीं लूंगा। क्या यह वाकया नहीं है कि आपके जजेज ने अपने भाइयों को जज बनवाया? क्या यह वाकया नहीं है कि उनके भाई साहबान में बिलकुल कोई काबिलियत नहीं थी, बार में कोई पोजीशन नहीं थी, थोड़े ही दिन जज होने के बाद उन्होंने अपने भाई साहबान को जज करा दिया। वह हाईकोर्ट जिसमें इस तरह के आदमी जजेज मुकर्रर किये जाते हैं कैसे उम्मीद कर सकती है कि उस हाईकोर्ट की वही इज्जत हो जो पहले हाईकोर्ट की थी। लिहाजा मैं बहुत दस्तबस्ता मिनिस्टर आफ जस्टिस से कहूंगा और मेम्बर्स आफ दि लेजिस्लेचर से सहायता चाहूंगा कि काबिलियत सिर्फ हाईकोर्ट में जज बनने का क्राइट्रेरिन हो और कोई दूसरी चीज नहीं इक्जीक्यूटिव का इन्टरफियरेंस बिलकुल बन्द होना चाहिये। जजेज की रिकमन्डेशन पर जुडीशियरी में हाईकोर्ट के जजेज का तकर्रूर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ बदाखिलात का अखितयार होना चाहिए न कि इक्जेक्यूटिव का। कोई वजह नहीं है कि किसी ए० बी० सी० को जो कि ला से वाकिफ न हो या यदि वाकिफ हो भी पर एबेलिटी न हो, उसको जजी पर मुकर्रर न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई---

श्रीमन्, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं रोज-रोज नहीं बोलता हूं। तो श्रीमन् दूसरी चीज मैं अपने मिनिस्टर फार जस्टिस से कहूंगा और वह यह है कि इसांफ

जल्द से जल्द होना चाहिए। मेरे पास इसका सबूत है कि इन्साफ में बहुत देर होती है। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप बाराबंकी मेरे साथ चलिय। वहां आप देखेंगे कि ९-९ महीनों से आदमी जेल में वहां सड़ रहे हैं। उनका केस कोर्ट में क्यों नहीं आया। कहा जाता है कि शिनाक्त की वजह से देर हो रही है। शिनाक्त में खुद ही देर की जा रही है इन मुल्जिमों ने पुलिस पर हमला किया था। वे ९ महीने से जेल में सड़ रहे हैं और पुलिस अदालत में इंसाफ से पहले उनको सजा दे रही है। इस प्रकार का केवल यही केस नहीं है। बराबर इस प्रकार के केसेज होते हैं। कोर्ट्स में महीनों पेशियां हुआ करती हैं। उस इन्साफ से क्या फायदा है जिससे इन्साफ मांगने वाला और इन्साफ पाने वाले दोनों तबाह हो जाय। इसके लिये जरूरी है कि मिनिस्टर फार जस्टिस न सिर्फ यह देखें कि कितने पुराने केसेज पड़े हुये हैं बल्कि वह जिलों में भी जाकर देखें कि कितने दिनों के मुल्जिम जेलों में पड़े हैं।

मान्यवर, मेरा दूसरा प्वाइन्ट यह है और मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि मुमकिन है कि आपके पास कोर्ट्स की कमी है। यह इसलिये कह रहा हूं जैसे चौधरी चरणसिंह का विचार है। कहना तो नहीं चाहता था किन्तु जो बात दिमाग में आती है उसे जरूर कह देता हू। तो मैं समझता हूं कि अभी भी हिन्दुस्तान में बहुत काफी लोग मौजूद हैं जो जुडीशियरी में, ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में आनरेरी तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। आपके पास रिटायर्ड आई० ए० एस० हैं रिटायर्ड जजेज हैं उनसे आप काम ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप इनको पेन्शन की एवज में थोड़ा बहुत दो-चार घंटे रोजाना उनसे काम लें तो आपका काम अच्छी तरह से चल सकता है।

श्रीमन्, तीसरा प्वाइन्ट मेरा यह है कि यहां पर पीपुल्स कोर्ट की बात कही गई। यह पीपुल्स कोर्ट मेरे दिमाग में नहीं आता है। मैं कोर्ट्स से वाकिफ रहा हूं। मगर ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस को इतना चीफ बना दिया गया है कि वह किसी आदमी को फौरन सुने और फौरन उस पर जजमेंट दे दे। यह ठीक नहीं है। यह तो एक बड़ा गलत काम हो रहा है और पीपुल्स कोर्ट बिल्कुल बन्द होना चाहिए। इंसाफ इंसाफ के वास्ते होना चाहिए सियासी नुक्ते नजर से नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ। आप कृपया बैठें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं माननीय न्याय मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। एक बात सही है और मैं समझता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जी भी उससे इंकार नहीं करेंगे और वह यह है कि जब तक हम जनतंत्र के हामी हैं, हमें इस बात की गारन्टी करनी होगी कि जो व्यक्ति इस देश में रहते हैं, उनके हृदय में यह विश्वास हो कि उनको न्याय मिल जायगा। उसका फेथ जुडीशियरी पर बना रहना चाहिये। यह इतनी बड़ी बात है जिसका होना जनतंत्र की सफलता के लिये बहुत आवश्यक है। जिस दिन आम नागरिक को न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रहेगा, वह निडर नहीं रहेगा, अपने कार्य को सही रूप से नहीं कर पायेगा। इसलिये यह आवश्यक है कि हम न्याय पालिका को इतना स्वतंत्र बना दें कि प्रत्येक व्यक्ति वह अनुभव करने लगे कि न्याय मिल पायेगा। उसको यह विश्वास हो जाय कि अगर मैं अपना कर्त्तव्य पालन करूंगा, सही बात करूंगा तो मुझे सुरक्षा मिलेगी। जिस प्रकार से सदन के अन्दर पीठासीन व्यक्ति सदन में हमको सुरक्षा देते हैं, उसी प्रकार से न्यायपालिका के प्रति भी हमारी भावना होनी चाहिये।

यह ठीक है कि किसी माने में जुडीशियरी सेपरेट हो गयी है, कार्यपालिका अलग है। मैं मानता हूं कि बहुत अंशों में वे दोनों अलग-अलग हैं किन्तु बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जिनको

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

और माननीय मंत्री जी को ध्यान देना अत्यावश्यक है। उदाहरण के लिये बहुत से ऐसे मुकदमें हैं जो सिटी मजिस्ट्रेट या एस० डी० एम० के यहां ट्राई होते हैं--जैसे आर्म्स ऐक्ट, एक्साइज, एडल्टरेशन, ऐसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७, ११७, १०९ और ११० के मुकदमे। आप देखेंगे कि धारा ३२३ का मुकदमा जिसमें २-४-६ दिन की सजा होती है वह जुडीशियल मजिस्ट्रेट के यहां जायगा लेकिन आर्म्स ऐक्ट का मुकदमा जिसमें १-२ साल की सजा होती है वह सिटी मजिस्ट्रेट के यहां जायगा। आजकल एक रवैया यह हो गया है पुलिस कप्तान अगर किसी से नाराज होता है तो उसका मुकदमा जुडीशियल मजिस्ट्रेट के यहां न जाकर दूसरी जगह जाता है। या तो उसके यहां छुरा निकल आयेगा या चाकू, पिस्तौल कोई बरामद हो जायगा और उसको हवालात में बन्द कर दिया जायगा और कुछ नहीं तो शराब की बोतल ही निकल आयेगी। जब आपने जुडीशियरी को अलग किया तो इन मानों में भी उसको अलग कर दीजिये। तब वास्तव में लोगों को न्याय मिल सकेगा।

और फिर आज भी जुडीशियल आफिसर किसी न किसी माने में एक्जीक्युटिव से इन्फ्लुएंस होता है, चाहे उनके ट्रांसफर का सवाल हो, चाहे उनके ग्रेड का सवाल हो। यही बात है कि जुडीशियल आफीसर्स यह मांग कर रहे हैं कि उनको मुंसिफ वाला केडर दिया जाय लेकिन सरकार उसको नहीं मानती। मैं चाहता हूं कि जुडीशियल आफीसर्स पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिये। उनके ट्रान्सफर, करेक्टर रोल स्थानीय डी० एम० द्वारा देखे जाते हैं। अगर जुडीशियल आफीसर्स यह महसूस करेंगे कि उनका करेक्टर रोल या उनकी बदतरी किसी भी तरह से डी० एम० या कमिश्नर के हाथ में है अथवा गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के हाथ में है तो श्रीमन्, वह न्याय करते समय हिचकेगा। मैं ऐसे मामले जानता हूं जहां जुडीशियल मजिस्ट्रेट्स पर दबाव डाला गया है।

इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि पुलिस की जो प्रोसीक्यूशन की एजेन्सी है उसको भी अलग कर दिया जाय। मैं चाहता हूं कि पुलिस में प्रासीक्यूशन की ब्रान्च अलग हो, इन्वेस्टीगेशन की ब्रान्च अलग हो। अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमें न्याय देने में बहुत ही ज्यादा सफलता मिल जायगी। श्रीमन्, जो ये प्रीवेन्टिव सेक्शन्स हैं इनके बारे में अब मैं कुछ कहूंगा। इनमें कुछ ढील देना चाहिये। मैं जानता हूं कि सेन्ट्रल ऐक्ट्स हैं अतः आपके हाथ बंधे हैं लेकिन आप इतना जरूर आदेश दे सकते हैं अपने प्रदेश में कि इनका जो दुरुपयोग होता है वह न हो। १०९ धारा ऐसी है जो प्रैक्टिसिंग लाइयर्स हैं वे जानते हैं कि आला नकब, एक बीड़ी, एक मोमबत्ती और एक दियासलाई, ये चार चीजें हर आदमी के पास मोहय्या हो जाती हैं। एक दिन मैंने एक कोर्ट के अंदर पेश आला नकब के ऊपर से जो कागज उतारा तो उसके नीचे तीन साल पहले के किसी मुकदमे का नम्बर लिखा था। तो वह आला नकब वहां जमा हो जाता है और सुबह दूसरे केस के लिये भी पेश हो जाता है और तीसरे केस के लिये भी वही पेश हो जाता है। एक दाड़ी वाले जुडीशियल मैजिस्ट्रेट थे। उनको दफा १०९ के अन्दर पकड़ कर के थाने ले आये। वह तो किसी ने पहचान लिया तो बच गये वरना एक मैजिस्ट्रेट १०९ के अन्दर बन्द हो जाते।

एक बात कही गयी कि हमारे प्रदेश के अन्दर सस्ता न्याय हो। बहुत दिनों से एक मांग है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के अन्दर हाईकोर्ट की एक बेन्च खोली जाय। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। इसलिये नहीं कि वहां पर बेन्च बना देने से कोई जुडीशियरी का सेपरेशन हो जायगा। मेरे माननीय मित्र जो इस पक्ष से बोले मैं उनसे अपना मतभेद प्रकट करना चाहता हूं। इससे जुडीशियरी का बंटवारा नहीं होगा। इससे तो हम काम को बांट देंगे। मैं तो कहना चाहता हूं कि देहरादून में भी आप एक हाई कोर्ट की बेन्च बनवायें क्योंकि गढ़वाल और दूसरे पहाड़ी जिलों के लिये मेरठ और इलाहाबाद भी उतनी दूर हैं। लेकिन मैं इसके लिये बजिद नहीं हूं। मगर पश्चिमी जिलों में से किसी में आप बेन्च बनायें।

जहां तक सस्ते न्याय की बात है, सस्ता न्याय आज नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट फीस बढ़ती चली जा रही है। एक गरीब आदमी आज तक चहरी के अन्दर मुकदमा नहीं लड़ सकता। कत्ल के मुकदमें में तो सरकारी वकील देने की व्यवस्था है लेकिन सभी कत्ल के तो मुकदमें नहीं होते और भी बहुत से मुकदमे होते हैं। एक आदमी पकड़ लिया गया, परेशान किया जाता है। अगर उसके पास पैसा नहीं है वकील को तथा कोर्ट फीस देने के लिये तो वह मुकदमा नहीं लड़ सकता। और हमारा प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड का और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का इतना लम्बा मार्ग है कि आप देखेंगे कि ५०–५० दरख्वास्त एक-एक मुकदमे के अन्दर लगी हुई हैं। यह बात सही है कि बाप मुकदमा करता है तो उसका फल उसका बेटा या बेटे का बेटा पाता है। तो प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। कोर्ट फीस को कम करने की आवश्यकता है। मोबाइल कोर्ट्स आप बनाइये जिससे मौके पर जा कर तुरन्त न्याय हो जाय। मैं समझता हूं कि अगर किसी मौके पर मैजिस्ट्रेट जायेंगे तो न तो पुलिस झूठे गवाह बना सकती है और न डिफेन्स ही झूठे गवाह बना सकता है। मैं समझता हूं कि इससे न्याय सही होगा और जल्दी होगा।

मैं दो, तीन बातों की तरफ और आपका ध्यान खीचूंगा और बहुत कम समय लूंगा। हाईकोर्ट के बारे में भी इतना कहना है कि वह ऐसी जगह है जिसके बारे में हम यह कहा करते थे कि हाई कोर्ट के अन्दर अगर आदमी पहुंच जायगा तो उसको न्याय मिल सकेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बात गलत हो लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले साल देहरादून के जज, ऐडमिनिस्ट्रेटिव जज दो–दो महीने मसूरी और बदरी–केदार की यात्रा करते हैं, जजेज कोर्ट का सारा काम रुक जाता है और इतना ही नहीं, उनकी खातिर तवाजे के लिये हर एक जज को रुपया देना पड़ता है और अगर कोई जज रुपया नहीं देता तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव जज मौके के ऊपर उस जज का ट्रांसफर कर देते हैं। यह देहरादून का वाकया है। मैं कहता हूं कि इसकी जांच कर के देखिये कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव जज, देहरादून ने २–२ महीने दौरा किया और वहां पर आराम के साथ रहे। अगर हाई कोर्ट के जज यह करने लगे तो साधारण मजिस्ट्रेटों की क्या बात होगी।

मैं और बातें जानता हूं। हाईकोर्ट के जज हैं। उनके सुपुत्र प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कोई एतराज नहीं है, करें। लेकिन जब लोअर कोर्ट्स में जाकर प्रैक्टिस करते हैं तो सेशन जज समझता है कि अगर अपील में बहस कर दी तो मेरे सामने क्या चारा रह गया। तो ऐसी सब प्रैक्टिसेज को समाप्त करना चाहिए। अगर कुछ ऐसे कदम बढ़ाये जायं कि हाई कोर्ट्स के जो जजेज हैं उनके कंडक्ट पर थोड़ी सी निगाह रखी जायगी तो ज्यादा अच्छा होगा। हाई कोर्ट के जजेज की तनख्वाहें बढ़ायी जाय। आप कहेंगे कि वे काफी हैं फिर भी बढ़ाने की बात है। वह इसलिए कह रहा हूं कि बार से जो अच्छे-अच्छे लाइयर्स हैं वह बेंच में जाना पसन्द नहीं करते। वह सोचते हैं कि १०-१५ हजार की प्रैक्टिस है वह खत्म हो जायगी, जज बनकर क्या करेंगे? अगर उनकी तनख्वाह बढ़ायेंगे तो अच्छे लाइयर्स वहां जाना पसंद करेंगे।

कुछ जजेज का अपाइन्टमेंट होता है। जब वह अपनी नौकरी खत्म करते हैं, रिटायर होते हैं तो सरकार उनको कोई न कोई जाब दे देती है। ऐसा काम दे देती है कि उनको सोचना पड़ता है कि नौकरी के दौरान में सरकार को खुश रखो। उससे नौकरी के बाद अच्छी जगह मिल जायगी। अगर हम यह तय कर दें कि जजेज के रिटायरमेंट के बाद कोई भी पिक्यूनरी पोस्ट नहीं मिलेगी जिससे उनको कोई फायदा हो तो जुडीशियरी की इंडिपेंडेंस और बढ़ेगी।

दूसरी बात यह है कि जूडीशियल आफिसर्स ने मांग की है कि उनका कैडर मुंसिफ के कैडर में मिलाया जाय और ए० डी० एम० (जे०) की ए० डी० एम० (ई०) के बराबर तनख्वाह होनी चाहिए, समान ग्रेड होना चाहिए और अधिकार होने चाहिए। क्योंकि दोनों की क्वालिफिकेशन एक जैसी हैं। दोनों की तनख्वाहों में अन्तर बहुत ज्यादा है। उनको

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

समान करना आवश्यक है। एक और मांग ए० डी० एम० (जे०) की है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर की पोस्ट पर उनका प्रोमोशन होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। १५-१६ असि टेंट कमिश्नर्स में से केवल ३ ए० डी० एम० (जे०) आज तक प्रोमोट किये गये हैं.... (लाल बत्ती होने पर) मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। मुझे लाल रंग से बड़ा डर रहता है, क्योंकि कम्युनिस्टों से लड़ना पड़ता है। आप तो न दिखायें। तो यह एक आवश्यक बात है जो होनी चाहिए।

तीसरी चीज यह है कि ऐडवोकेट्स की जो इनरोलमेंट फी है उसमें आपने रियायत की है, लेकिन वह पूरी ५०० की फीस समाप्त हो ताकि एक गरीब का बच्चा भी वकील बन सके और अपना काम कर सके।

इसके अलावा यह जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट की बात कही जा रही है, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। अगर आपन इसको रिवाइव किया तो फिर दोबारा वह लोग आ जायेंगे जो सत्ता को प्रसन्न करेंगे और न्याय नहीं हो पायेगा और पक्षपात होगा।

अन्त में मै कहना चाहूंगा कि हिंदी की बात कही गई है। हिन्दी के लिये जो कदम सरकार ने उठाए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, परन्तु इसमें और भी आवश्यकता है। जो रूलिंग्स हैं उनका अनुवाद होना चाहिये। डी० जी० सीज० का अप्वाइन्टमेंट है, उसको मेरिट पर करके उसके लिये सीनियर लाइयर्स लीजिये। पहले उनके पीछे का रिकार्ड देखिए, इंकम टैक्स के रिटर्न को देखिए। हम लोग सब दोषी हैं जो सिफारिश करते हैं, लेकिन अगर आप तय कर देंगे कि कोई सिफारिश नहीं की जायेगी तो अच्छे वकील, डी० जी० सी० अप्वाइन्ट होंगे और अच्छा प्रशासन मिल सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं अभी स्वामी जी का मधुर लेक्चर सुन रहा था और जितने सजेस्शन उन्होंने दिये हैं उनके हिसाब से इस बजट की मांग २ करोड़ ५७ लाख की है, लेकिन उन सजेशन्स को पूरा करने के लिये कम से कम तीन, साढ़े तीन करोड़ हो जानी चाहिये, पर एक रुपये पर ही उसे आधारित कर दिया, यह देख कर मुझे जरा आश्चर्य हुआ। इसके पहले विश्वनाथ कपूर जी बोल रहे थे जिन्होंने बड़े खूबसूरत अन्दाज में आजकल के हाईकोर्ट जजेज की एफिशिएन्सी और अप्वाइन्टमेंट पर, तरीकों पर और जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स के बिहेवियर पर और किस तरह से पोलिटिकल प्रेशर से कितना कामकाज किया जाता है इस पर बड़ी खुबसूरती से तबसिरा किया। मान्यवर, मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह "खुदरा फजीहत, दीगरा नसीहत" वाली बात कुछ अच्छी नहीं मालूम पड़ती। बस एक साल पहले इन तमाम शिकायतों को लेकर मैंने बोलने की कोशिश की थी तो मुझे सदन छोड़ना पड़ा।

हमने यहां कर्त्ता-धर्त्ताओं को देखा जिनके हाथ में गवर्नमेंट की बाग थी। उन्होंने जजेज के एप्वाइन्टमेंट इसलिये किये हैं कि वह वहां जाकर उनको पोलिटिकल मामलों में मदद कर सकें। मैजिस्ट्रेट्स इसलिये नियुक्त किये हैं कि वह वहां जाकर लोगों को हैरेस कर सकें। क्या आपने अखबारों में नहीं पढ़ा है कि जो सुरक्षा के जिम्मेदार हैं उन्होंने हाईकोर्ट में जा कर जजेज का स्वागत किया है? अगर यह बात एक साल पहले कही गई होती तो ज्यादा अच्छा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता। अफसोस तो इस बात का है कि कट मोशन पेश करने वाले सदस्य को हाउस के अन्दर होना चाहिये ताकि जो कहा जाय उसको सुनें। मैं तो कहूंगा कि—

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।

मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से सुझाव आए हैं उनके हिसाब से माननीय न्याय मंत्री जी को अपने बजट को और बढ़ाकर रखना चाहिये था इसलिए कि यह आवश्यक है आज के टाइम में। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी को कुछ मजबूरी रही हो जो उन्होंने बजट में कम रखा है लेकिन जो बातें सामने आई हैं वह इतनी जरूरी हैं कि जब तक इनको पूरा न किया जायगा लोगों को तसल्ली क साथ इंसाफ नहीं किया जा सकता। मान्यवर, आज हम अफसरों की खुशामद की वजह से हर वह काम करते हैं जो वह चाहते हैं। मान्यवर, आज देहातों की जनता रोजाना परेड करती है, उससे वकील मेहनताना ले लेते हैं, उसका काम नहीं होता है और वह लौट जाते हैं,। हमें कोर्ट्स को हेडक्वार्टर पर शिफ्ट कर देना चाहिये ताकि वहां लोगों को सुविधा मिले। इस बात में क्या ऐतराज है। अगर इसमें १ या २ करोड़ रुपया खर्च करके राहत दे सकें तो इसमें क्या परेशानी है। अगर राहत दें तो उनको परेशानी है जो बड़े-बड़े लाइयर्स हैं इलाहाबाद में बैठ कर मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच खोलने पर ऐतराज करते हैं। ये कहते हैं कि वहां नहीं जाना चाहिये। इससे जनता को दिक्कत होगी। इसका किसी को ऐहसास है या नहीं कि आज दफा १०९, ११० के केसेज हो रहे हैं, ११७, १०७ के केसेज हो रहे हैं। ये आदेश जाते हैं कि उनके पास शराब बरामद करो, गांजा बरामद करो और उनको मुजरिम बनाओ। क्या आज हमारे मंत्री जी नहीं सोचते कि क्या जरूरी है? क्या आप नहीं कह सकते कि ५० परसेंट मुजरिम बनाने की जिम्मेदारी हमारी हुकूमत पर है?

यह बहुत बड़ा अन्याय है। मैं आपके जरिये से न्याय मंत्री जी से, प्रार्थना करूंगा कि इन बातों पर खासतौर से कानून बनाने की कोशिश करें। दूसरी बात मान्यवर, मैं आपकी और न्याय मंत्री जी की नोटिस में यह लाना चाहता हूं जैसा कि विश्वनाथ जी कपूर ने कहा कि ७० परसेंट केसेज छूट जाते हैं। मान्यवर, चाहे रेप का केस हो, डकैती का केस हो या कत्ल का केस हो जब तक रुपया नहीं मिल जाता मुलजिम पकड़ा नहीं जाता। इस ओर कोई न कोई कदम उठाना जरूरी है। और जब आप यह कदम उठावेंगे तो पैसे की ज्यादा जरूरत होगी। आपने रुपये की मांग थोड़ी रक्खी है अगर आप ज्यादा रखत तो आपको इन कामों में ज्यादा सहूलियत होती। हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप लोग मुखालिफत इसलिये कर रहे हैं कि दूसरे लोग पैसा मांग रहे हैं। लेकिन मान्यवर, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यह सबसे पहली गवर्नमेंट है जिसने इंडिया भर के अन्दर ला कमीशन सबसे पहले मुकर्रर किया।

मान्यवर, यह भी सही कदम है कि आपने मुंसिफ को १०,००० और जज को बीस हजार तक की पावर दे दी। वरना इसमें बड़ा खर्चा लोगों का दौड़ने में होता था। एक बात इस सिलसिले में और अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट के पद हैं इनको हरगिज न रखा जाय। यह दलाल अपने पैदा कर देंगे और उससे बड़ी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पैदा होगा। इनसे गवर्नमेंट भी बदनाम हो जायेगी। इस बात को मान्यवर, कभी न सोचें कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाये जाने चाहिये। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कभी भी इस बात की कोशिश नहीं की कि अच्छे काम करते। मान्यवर, यह बात हमारे विरोधी पक्ष के भाई विश्वनाथ कपूर जी ने बताई कि खर्चा बढ़ गया, लिखाई बढ़ गई, स्टाम्प बढ़ गये। जिस तरह से वह वकीलों के हित में यह बात करते हैं कि मेरठ में हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिये, उन्होंने जनता के हित की बात नहीं की कि वकील जिसको सवा रुपये फीस मिलती थी वह आज ५०० रु० लेता है और उसको इतनी ज्यादा फीस नहीं लेनी चाहिये। इसके बारे में भी कभी पाबन्दी लगाने की सोचते कि वकीलों का मेहनताना कम हो ताकि उनसे

[श्री चन्द्र भान शर्मा]

गरीब और अमीर दोनों फायदा हासिल करते। वकील होने के नाते यह उनके पैरोकार की तरह यहां उनके इन्टरेस्ट को वाच करते हैं लेकिन जनरल मास के लिये कभी ऐसी बात नहीं करते। श्रीमन्, रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट हमारे ऊपर एक बड़ा अभिशाप है, डी० एस० ओ० बहुत भ्रष्ट है अगर उनको मकान मालिक से पैसा मिल जाय तो खाली करा देंगे नहीं तो नहीं करावेंगे। डी० एस० ओ० जैसे बेईमान किस्म के अफसर को इतनी ताकत न दे और लोगों के ऊपर उनको छुरी चलाने से रोकें। इन शब्दों के साथ मैं इस ग्रांट का सपोर्ट करता हूं और कहूंगा कि यह चीजें आप ले आवें और ज्यादा रुपया लेकर आप सूबे का भला करें।

श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)---

मान्यवर, विरोधी पक्ष की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उस प्रस्ताव का पक्ष मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ देर में मिलता है तो इसके अर्थ हैं कि इंसाफ नहीं मिला। मान्यवर, मैं अपने स्वयं के अनुभव से बता रहा हूं कि सन् १९५५ में मुन्सिफी अदालत से जो फैसले हाई कोर्ट गये हैं उनकी अपीलें अभी तक वहां पर विचाराधीन पड़ी हैं। सन् १९५३-५४ में जो रिट पिटीशन्स सिविल साइड सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट को गई हैं उनका सम्मन तक अभी जारी नहीं हुआ है। लोगों की अब यह धारणा बन गई है कि अगर सिविल कोर्ट से कोई केस हाई कोर्ट को गया तो उसका फैसला कभी नहीं होगा और आम जनता को इससे निराशा ही मिलती है। अभी सुझाव आये थे कि हाई कोर्ट की एक बेंच मेरठ में खोली जाय और अगर जरूरत हो तो एक बेंच गोरखपुर में भी खोल दी जाय और अगर यह नहीं हो सकता है तो जितनी संख्या इस समय हाई कोर्ट में जजेज की है उसकी दूनी तो जरूर कर दी जाय कुछ ही दिनों के लिये सही, ताकि जो अपीलें वहां पर पेंडिंग हैं उनका निपटारा शीघ्र ही हो जाय। इसको अवश्य ही हो जाना चाहिये।

एक बात और है नीचे की जो अदालतें हैं उनके मुन्सिफ को ले लें, उनके वेतन में उनके काम को देखते हुए बहुत बड़ी कमी है। उनको काम करने का जितना कोटा दिया गया है उसको देखते हुए यह वेतन बहुत कम है। उनके काम की दृष्टि से आप इसको देखें तो आपको मालूम होगा कि उनका वेतन बहुत कम है। साथ ही हाई कोर्ट का जज कितने मुकदमों का निर्णय करता है और क्या कोई उस पर पाबन्दी है? उस पर काम की कोई पाबन्दी नहीं है। जहां तक यह बात है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय, उनकी तनख्वाह तो पहले ही ज्यादा है। और अगर बढ़ाना ही है तो नीचे की अदालतों के स्तर पर आपको यह विचार करना चाहिये। कुछ मुकदमें सिविल साइड के पंचायती अदालतों में भी होते हैं। वहां पर अब ५०० रु० तक के मुकदमें होते हैं। सिविल साइड का यह अधिकार न्याय पंचायतों को दिया गया है। क्या यह न्याय पंचायतें सिविल साइड के मुकदमों को अच्छी तरह से कर रही हैं? मेरा तो यह विचार है कि वहां पर काफी भ्रष्टाचार है और न्याय पंचायतों से कम से कम सिविल साइड के मुकदमों के फैसले करने का अधिकार छीन कर सिविल कोर्ट को दे देना चाहिए।

जैसा कि अभी न्याय मंत्री जी ने कहा कि कुछ फैसले हिन्दी में लिखे जायेंगे परन्तु अभी तक जहां पर इसको किया जाना चाहिय वहां पर भी इसको करने की चेष्टा नहीं की जा रही है। न्याय पंचायत अपना फैसला हिन्दी में करते हैं लेकिन जब सिविल कोर्ट में वे जाते हैं तो अंग्रेजी में ही उसको किया जाता है और हिन्दी में वे अपने फैसले को नहीं लिखते हैं। उनके निर्णय की प्रतिलिपि न्याय पंचायत को भेजी जाती है जहां पर हिन्दी कापलसरी है और अंग्रेजी में कोई चीज समझने में उनको दिक्कत है। जहां सरपंच और पंचमण्डल के सदस्य अंग्रेजी जानते ही नहीं। इसी तरह से क्रिमिनल कोर्ट से जो धारा १४६ में रेफरेंस होते हैं उनमें भी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो हिन्दी को ज्यादा से ज्यादा अदालतों में लागू किया जाय। सिविल साइड में जितने इजलास हैं वह हिन्दी में निर्णय करें। दो हजार की मालियत और एक साल तक की सजा वालों के लिये यह किया गया है कि हिन्दी में फैसला करेंगे। लेकिन इससे हिन्दी

और अंग्रेजी साथ-साथ चलेगी । हमने अभी तक यह देखा है कि जहां हिन्दी और अंग्रेजी दोनों साथ-साथ चलती हैं वहां अंग्रेजी सबल हो जाती है । लोग अंग्रेजी में ज्यादा लिखते हैं । इस तरह से हिन्दी का आदेश कागज में ही रह जायगा और सिविल कोर्ट में ज्यादा काम हिन्दी में नहीं होगा, यह मेरी आशंका है ।

सिविल कोर्ट के जजों या मुंसिफों के रहने के लिये अभी तक सरकार की तरफ से इमारतों का कोई निर्माण नहीं किया गया है । यह कहा गया कि कुछ किया जायगा । उसका स्वागत है । प्रतापगढ़ जिले के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं । वहां एक नई सिविल कोर्ट बनी है । तीन एकड़ जमीन वहां है । वहां मुंसिफों और जजों के लिये इमारत का निर्माण किया जाय तो अच्छा होगा । श्रीमन्, ऐसा लगता है कि जिसको झूठ बोलना हो वह इजलास में जाय । न्यायालय झूठ बोलने का स्थान बन गया है । लोग गांव में रहते हैं तो झूठ बोलने में हिचकिचाते हैं लेकिन इजलास में खूब झूठ बोल रहे हैं । लेकिन आज तक झूठ बोलने के लिये कितने लोगों को तम्बीह की गई इसको देखा जाय तो बहुत नगण्य संख्या होगी । आज लोगों का विश्वास इजलास से उठता जा रहा है । सब समझते हैं कि इंसाफ नहीं होगा । गरीब समझता है कि पैसे वालों को ही न्याय मिल सकता है । यह भावना घर करती जा रही है । इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । किसी गरीब के लिये इंसाफ पाना बड़ा कठिन काम हो गया है । फौजदारी या कत्ल के मामलों में तो जो अभियुक्त वकील नहीं कर सकता है उसमें सरकारी वकील करने का कुछ नियम है लेकिन सिविल साइड में ऐसा नहीं है । सिविल साइड में भी बहुत से गरीबों पर मुकदमा दायर किया जाता है, उनकी जायदाद निकल जाती है लेकिन पैसे की कमी के कारण वह अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं । इसके बारे में यह मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकारी मुकदमों के लिये वकीलों की व्यवस्था की गई है उसी प्रकार से कम से कम एक नमूना तो रखा जाय, एक एक्सपेरीमेन्ट किया जाय कि सिविल साइड में जिले में कम से कम एक-एक वकील सरकार ऐसा नियत करे जो गरीबों की तरफ से मुकदमे की पैरवी करे । ऐसे लोग तो हैं जो किसी तरह से कोर्ट फीस दे देते हैं, लेकिन वकील की फीस बड़ी कठिन समस्या है । क्रिमिनल साइड में जो बड़े-बड़े डकैती और कत्ल आदि के केसेज होते हैं उनमें जो आदमी वकील नहीं कर पाता उसके लिये तो सरकारी वकील की व्यवस्था है लेकिन सिविल साइड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिये यह सरकार अनुभव के आधार पर एक-एक वकील हर एक जिले में नियुक्त करने की व्यवस्था करें ।

मैं एक दो बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं । जितने भी प्रिसाइडिंग आफिसर्स हैं मुंसिफ से लेकर हाई कोर्ट के जजों तक इनके बारे में कोई आचार संहिता होनी चाहिये । हम यह देखते हैं कि जज या मुंसिफ बहुत से लोगों से मिलते हैं और उनके यहां दावत खाते हैं । सबसे अपना रिश्ता कायम करते हैं । इस प्रकार से वकीलों को या दूसरे लोगों को बुलाने से यह भ्रम पैदा हो जाता है कि यह पक्षपात करते हैं । इसलिये इस प्रकार की कोई आचार संहिता हो जाय कि किसी क्लब या बार में या किसी प्राइवेट आदमी के यहां य दावत न खाया करें । इस बारे में अनेक शिकायतें रहती हैं कि इस तरह से उनके साथ पक्षपात किया गया । तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

मैं अपने जिले प्रतापगढ़ का उदाहरण देना चाहता हूं । वहां पर क्रिमिनल साइड में गवर्नमेंट काउन्सल की जगह खाली हुई । उसमें जो नियुक्ति हुई, ऐसे आदमी की हुई कि मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट काउन्सिल होने के पहले केवल दो मुकदमें किये थे और उन दोनों में कन्विक्शन हुआ था । इसके विपरीत जिनको २० वर्ष का अनुभव था उनकी नहीं हुई क्योंकि कोई राजनीतिक दबाव नहीं था । पता लगाया तो यह मालूम हुआ कि जो कलेक्टर हैं जिले में वह रोटरी क्लब में जाते थे वहां पर मिलते थे और वह मुंसिफ और बड़े अफसरों को दावतें दिया करते थे । जो उनको घुमाने के लिये अपनी गाड़ी दे दिया

[श्री नयराम यादव]

करते हैं तो ऐसे लोगों की सिफारिश कलेक्टर कर दिया करते हैं। इसलिये मैं न्याय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह खुद वकील रहे हैं इन सब बातों को जानते हैं। तो वह इस बात को देखें कि जितने भी प्रत्याशी हों उनमें जो काबिल हो उनको यहां बुलाकर प्रश्न पूछे जाए। जान्ता दीवानी और फौजदारी के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की जाय। जो मैरिट पर सही मालूम हो उसकी नियुक्ति की जाय। किसी सिफारिश के आधार पर या दबाव के आधार पर नियुक्त नहीं करना चाहिये। मेरिट के आधार पर ही उनकी नियुक्ति तय होनी चाहिये। ऐसे आदमियों की नियुक्ति होनी चाहिये जो मेरिट पर आते हों। बस यही मुझे निवेदन करना था।

*श्री पन्ना लाल (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, न्याय विभाग का जो अनुदान माननीय मंत्री महोदय ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज उस तरफ से और दीगर तरफ से कुछ बातें ऐसी कही जा रही हैं जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज जो अनुदान रखा गया है वह बहुत ही कम रखा गया है न्याय को देखते हुए क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आज जज और मुंसिफों के लिये और दूसरे विभाग के लोगों के लिये जो मकान या भवन निर्माण का रुपया रखा गया है वह ठीक ही है क्योंकि अक्सर उन लोगों को मकान नहीं मिलता है और इन्सपेक्शन हाउस में लोग पड़े रहते हैं। आज जो यह रुपया रखा गया है वह ठीक ही रखा गया है। आज जो सरकारी वकीलों के बारे में कहा जा रहा है कि उनका राजनैतिक दबाव के कारण नामिनेशन होता है या चुनाव होता है यह बिलकुल ही गलत है।

राजनैतिक दबाव के कारण कोई चुनाव सरकारी वकीलों का नहीं होता। हम देखते हैं कि जिला जज और जिला मैजिस्ट्रेट जो इन लोगों के चुनाव के लिये नाम भेजते हैं वे ऐसे आदमी होते हैं जो उनकी खुशामद में रहते हैं और हमेशा उनकी अगल-बगल रहा करते हैं, उन्हीं के नाम वह लोग भेजा करते हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि अगर आप इन सरकारी वकीलों के जो नाम आते हैं चाहे क्रिमिनल के हों या सिविल के हों, उनमें अछूत के लड़कों के शायद एक आध नाम केवल नाम मात्र को भले ही मिल जाएं बाकी उनकी तरफ कलेक्टर और जिला जज कभी ध्यान ही नहीं देते, न उनमें बैकवर्ड ही आयेंगे कभी, उनमें आयेंगे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिये, मुसलमान और मुसलमानों में भी अंसारी और जुलाहों के नाम नहीं आयेंगे। अगर जिलाधीश...

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आप एक नाम भूल गये पृथ्वीनाथ सेठ का।

श्री पन्ना लाल—

जायसवाल जी उस श्रेणी में आ जाते हैं इसीलिये शायद उन्हें बुरा लग गया। तो मैं कह रहा था कि सरकार को तो सब तरफ देखना चाहिये और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहिये, जिनके पास कोई सोर्स सिफारिश नहीं है उनको भी आगे बढ़ाने का ध्यान रखा जाना चाहिये।

जहां तक मुकदमों का मामला है हमारे मंत्री जी स्वयं वकील हैं क्रिमिनल के और उनका बहुत अच्छा ज्ञान है और वह जानते हैं कि सरकारी वकील को कैसे काम करना चाहिये। जिला जज और कलेक्टर ने ऐसे-ऐसे नाम भेजे जिनके नाम पहले कट गये हैं और जो दोषी व भ्रष्टाचारी रहे हैं और किसी की सिफारिश की बिना पर फिर दोबारा उनका नाम भेज दिया गया और उधर के बैठने वाले जब इधर थे उन्होंने उनकी फिर ३ साल के लिये सिफारिश कर दी लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिर नोट गया कि ३ साल का तो नहीं हो सकता क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का अरोप है तो फिर उन्होंने कहा कि एक साल के लिये ही कर दिया जाय और वह हो गया। इस तरह से राजनैतिक दबाव की बात चलती है, ऐसा नहीं है वह समझते हैं और वह स्वयं वकील हैं क्रिमिनल के और जानते हैं कि वकील किस प्रकार से क्या-क्या करते हैं। एक कमेटी बनाई गई है जो कि वकीलों के चयन का काम करेगी, उस में एल० आर०, एडवोकेट जनरल और मंत्री महोदय हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि एडवोकेट जनरल का जिले के वकीलों से क्या संबंध है, वह क्या जाने कि ५४ जिलों का कौन वकील ईमानदार है, अच्छा बुरा कैसा है, अगर इलाहाबाद या हाई कोर्ट की बात होती तो उनकी जानकारी हो सकती थी, इसी तरह से एल० आर० साहब की भी, जजों और मुंसिफों का मामला होता तो कुछ जानकारी हो सकती थी लेकिन जिले में उन की भी वकीलों के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो सकती। इसलिये इन दोनों का इस कमेटी में रखना उचित न होगा। मैं मंत्रिमंडल से और मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह कमेटी जो बनाई गई है वह पुराना प्रोपोजल अलग किया जाय और मंत्री महोदय खुद इसमें निर्णय लिया करें।

जहां तक अदालतों में रिश्वत की बात है तो रिश्वत की बात तो अब करना ही बेकार है क्योंकि वह तो अब खून में पेबस्त हो चुकी है, चाहे इधर वालों की सरकार रहे या उधर वालों की सरकार रहे वह कीड़े तो खून के साथ शरीर में गहरे पहुंच गये हैं। जब कभी कोई पकड़ा भी जाता है तो हम आप सिफारिश करते हैं और नाजायज दबाव डालते हैं और मुकदमा विदड्रा कराते हैं, इस तरह से वह छूट जाते हैं और उनको पनाह मिलती है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी का एक आदेश निकला जिससे हम एम० एल० ए० लोगों को बड़ी पनाह मिली। वह आदेश यह है कि कोई भी सरकारी अधिकारी यदि किसी एम० एल० ए० से सिफारिश करायेगा और उनके जरिये कोई रिकमेंडेशन पहुंचावेगा तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जायगी। उससे हमें बड़ी राहत मिली। वरना हालत यह थी कि हर आदमी को पकड़कर सरकारी आफिसर ले जाता था और उनकी सिफारिश करने के लिये मंत्रियों के पास जाना पड़ता था। मैं तो उनसे साफ कह देता था कि मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह से पहले दारुलशफा में जहां ७५ परसेंट सरकारी आफिसर चक्कर लगाते थे वहां अब वह बन्द हो गया। अब नाममात्र के लिये केवल वे ही लोग जाते हैं जो कि उनसे सम्बन्धित हैं। तो मैं कहता हूं कि इस तरफ ध्यान रखा जाय।

इसी तरह से न्याय मंत्री को मैं एक सुझाव आपके द्वारा देना चाहता हूं। वह सुझाव यह है कि जितने सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको आप हेड क्वार्टर पर रखें और तमाम मुंसिफों को जुडीशियरी और क्रिमिनल केस करने की पावर देनी चाहिये। साथ ही एक मुंसिफ आप अपने तहसील के हेड क्वार्टर पर रखें। क्योंकि जितने तहसील के आदमी हैं वे सब हेडक्वार्टर पर नहीं जाते हैं जिससे वहां कोई इन्तजाम नहीं होता है। अगर एस० डी० एम० तहसील के हेड क्वार्टर पर रहेगा तो सारा इन्तजाम पूर्ण रूप से रहेगा। तहसीलदार की नकेल रहेगी और थानेदार की नकेल भी रहेगी और देहात के गरीब आदमी जिनको बाहर दूर जाना पड़ता है उनको भी वहां आसानी से न्याय मिल सकेगा। इसके लिये अगर आप अधिक रुपया बढ़ाना चाहें मुन्सिफ के रहने के लिये क्वार्टर वगैरह बनाने के लिये तो वह ज्यादा अच्छा है और साथ में मुन्सिफों की तादाद भी बढ़ावें। उनके रहने के लिये भवन वगैरह बनाने के लिये और पैसा खर्च हो जाय तो वह अच्छा है लेकिन उससे गरीबों को राहत मिलेगी। इस तरह से बहुत-सी चीजें ऐसी हैं जो करी जा सकती हैं।

आज कल का जो रवैया है,जहां तक हाईकोर्ट की बात है,जैसे हम यह कहते हैं कि तहसील हेडक्वार्टर पर एस० डी० एम० और मुन्सिफ रहे वैसे ही मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट की बेंच भी मेरठ में रहे। सारे प्रदेश का रुपया लेकर उसे इलाहाबाद में ही केन्द्रित न किया जाय। इलाहाबाद के वकील जो इतनी उधम मचा रहे हैं, वे यही चाहते हैं कि सारा पैसा उन्हीं के पास

[श्री पन्ना लाल]

रख दिया जाय । आज हालत यह है कि सहारनपुर और उत्तर काशी के लोगों को भी लखनऊ पार कर इलाहाबाद जाना पड़ता है । नैनी ताल का आदमी काठगोदाम से लखनऊ आकर फिर इलाहाबाद जाय, इसलिए जो भी बेंच हो वह जनता की सहूलियत के लिहाज से कायम किया जाय । इस के लिए कोई राजनीतिक प्रभाव व दबाव न डाला जाय । हमारे पुराने मुख्य मन्त्री ने इस सुझाव को मान भी लिया था, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वह पूरा नहीं हो सका । तो जो भी काम किया जाय वह जनता के फायदे के लिए किया जाय । अगर जनता के फायदे के लिए कुछ पैसे भी खर्च करना पड़े तो वह कोई बुरी बात नहीं है । इन चन्द शब्दों के साथ मैं न्याय मन्त्री महोदय ने जो अनुदान रखा है और रुपये की मांग कर रहे हैं, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं । और यह बहुत कम अनुदान है, अगर वे इस से दुगुना अनुदान भी मांगें तो हम देने के लिए तैयार रहें, लेकिन उस से जनता का फायदा होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं न्याय मन्त्री का समर्थन करता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अधिष्ठाता महोदय, यह न्याय प्रशासन जनतन्त्र की आधारशिला होता है और इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने भारत जैसे देश में न्याय प्रशासन को हर प्रकार के दबाव से पूर्ण स्वतंत्र बनाया है । हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, उस के नीचे हाई कोर्ट और उस के नीचे जिले के सारे जिला जज और उस के तमाम कर्मचारी हैं । दरअसल, आज, अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग जो यहां, विधान सभा में या संसद में हैं, हम में एक रिवाज-सा होता जा रहा है कि नेशनलिज्म या राष्ट्रीय स्तर की बातें हों, चाहे वे पालिटिकल पार्टी की हों, चाहे वे क्षेत्र की हों उन में ह्रास हो रहा है । चाहे क्षेत्रीय बात की भावना हो वह चमक में आ जाती है । क्षेत्र के नेतृत्व को सिद्ध करना पड़ता है । हम लोग चाहे उधर के हों या इधर के हों वे बातें कहते हैं लेकिन ठन्डे दिल से मैं निवेदन करूंगा कि आज हमारे देश में वही हालत राजनीतिक पार्टियों की हैं । जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं, उनका ह्रास होता जा रहा है । आज वह पार्टी, नेशनल पार्टी देश के स्तर में गुड कन्डक्ट और अच्छा कल्चर पैदा करने की बात करेगी जो केरल में, काश्मीर में, बंगाल में आसाम में और गुजरात में भी हो ।

न्याय प्रशासन को देखकर कभी-कभी मुझे बड़ा दुःख होता है । जजेज के प्रति आज वे भावनायें नहीं हैं जो कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के प्रति हैं । वे चूंकि हमारे पास रहते हैं, चाहे आप की सरकार हो या हमारी सरकार हो, इस लिए वे अपनी सर्विसेज के सम्बन्ध में ज्यादा सुख सुविधा को करवाने में सफल सिद्ध हो जाते हैं लेकिन जजों के बारे में निवेदन है कि जब हाई कोर्ट कलकत्ता में थी, तो जजेज के चलने की रोड भी अलग थी, जिस पर उन के अलावा और कोई नहीं चलता था ताकि जनता से उन का सम्पर्क न हो जाय । उसका मतलब यह था कि जजेज को पब्लिक से नहीं मिलना चाहिये । उस का आधार क्या था ? वह यह था कि उसका स्टैन्डर्ड ऊंचा हो और वह पब्लिक कन्टैक्ट में न आने पावे । आज जाहिर है कि हाई कोर्ट के जजेज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज अपने में ऐसी हीन भावना महसूस करते हैं कि उन को वह सम्मान सरकार की ओर से और जनता की ओर से प्राप्त नहीं होता है जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स को होता हैं या जो सरकार के प्रशासन के लोगों को मिल जाता है ।

माननीय, मैं कोई टीका नहीं करना चाहता हूं केवल सुझाव देना चाहता हूं । यह बात सही है कि हाई कोर्ट के जजेज को नियुक्त एक समिति करती है जिसमें केन्द्रीय गृह मंत्री भी होता है, चीफ जस्टिस होता है और माननीय मुख्य मंत्री होते हैं । मेरा सुझाव है कि इनको नियुक्त करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट बाडी होनी चाहिए और दूसरे, जिस प्रदेश का वह जज हो उस प्रदेश में उसकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए । छोटे-छोटे जो हमारे कर्मचारी होते हैं, उनको उनके जिले से बाहर नियुक्त किया जाता है लेकिन जो जजेज होते हैं जैसे हाई कोर्ट के जजेज उसी प्रदेश में आ जाते हैं और अगर कहीं प्रोमोशन भी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया । जजेज के

एप्वाण्टमेंट पर, मुझे माफ करेंगे जो वकील लोग हैं, कि वकीलों में से भी जजेज आने लगे हैं चाहे आप निन्दा ही करें, उसमें तरफदारी जरूर हो जायगी। मैं नहीं समझता हूं कि आप हाई कोर्ट के जजों को सिविल कोर्ट के जजेज में से ही क्यों नहीं लेते हैं ? वे शायद पी० सी० एस० से चुन कर आते हैं और वकीलों में से जिनकी प्रैक्टिस १० या १५ साल हो जाती है, लिए जाते हैं। मान्यवर, मुझे अब सुनने में आया है कि हाई कोर्ट के जज तो वकीलों में से लिए ही जाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुना है, जजेज की बात कुछ ऐसी ही होने वाली है।

मैं उसे समझता हूं कि हिन्दुस्तान के न्याय-प्रशासन में वह दुर्भाग्य का दिन होगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट मे जिसमे जनता की असीम आस्था है, इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे। हम जो यहां पर आदेश करते हैं और वे आदेश जब जनता के विरुद्ध पड़त हैं तो वह न्याय प्रशासन का सहारा लेती है। उनको फंडामटल राइट के अनुसार रिट दायर करने का अधिकार होता है। कभी-कभी उनके पक्ष में फैसला होता है। इससे उनको सन्तोष हो जाता है। लेकिन आज वह चीज यहां भी होने जा रही है। एक बात मैं न्याय मंत्री जी से कहूंगा। न्याय मंत्री जी मेरे दोस्त हैं। अगर आपकी राय वही है जजेज के सम्बन्ध में तो मैं ताईद करता हूं। वह राय अपनी बनाये रखिये। हाई कोर्ट के जजेज का ट्रान्सफर होना चाहिये। हाई कोर्ट के जजेज यद्यपि इतने बड़ जज होते हैं लेकिन फिर भी आज के वातावरण में--राजनैतिक वातावरण में--उससे अगर वे बेचारे गलत काम नहीं करते तब भी कोई न कोई आदमी लगा देते हैं, यह वंशीधर पांडेय ने कह दिया या किसी ने कह दिया। तो इसीलिये हाई कोर्ट के जजेज की ट्रान्सफर की बात कम से कम दूसरे सूबों में हो।

एक बात मैं निवेदन कर दूं कि हमारे देश में कितने सूबे थे और आज राजनैतिक हविश को पूरा करने के लिये छोटे-छोटे राज्य बनने लगे। छोटे-छोटे राज्य ऐसे बन जो कि उत्तर प्रदेश की तहसीलों से भी छोटे हैं। नागालैण्ड और मेघालय बन गये। तो ऐसे-ऐसे राज्य बनने लगे कि इनसे केन्द्र कमजोर हो जायेगा। केन्द्र को इसीलिये फेडरेल सिस्टम में यूनीटेरी पावर दिया गया है। केन्द्र की सत्ता को मजबूत रहना चाहिये क्योंकि उससे देश में सेंसेशन नहीं होगा। आज इसी हाउस में दो-तीन सदस्य जब क्षेत्रीय भावना के अन्तर्गत कह रह थ कि अगर हमारे यहां यह डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हमारा क्षेत्र प्रदेश से अलग हो जायेगा। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ठंडे दिल से सोचें कि हिन्दुस्तान के कितने टुकड़े करना चाहते हैं। पांच सौ, छः सौ रियासतों को तोड़ कर सरदार पटेल ने इस देश को एक किया। आप चाहते हैं कि १०-१५-२० वर्ष के अन्तर्गत इसमें १०, १५ और १८ सूबे नागालैण्ड और मेघालय की तरह और हो जायं और पचास राज्यों के पचास चीफ मिनिस्टर हो जायंगे। ठीक बात है। अढ़ाई सौ मिनिस्टर भी हो जायंगे।

लेकिन मैं कड़ी निन्दा करना चाहता हूं ऐसे व्यक्तियों की जो सूबे के बटवारे की बात करते हैं इस आधार पर कि उनका क्षेत्र प्रदेश में उपेक्षित रहा है। हमारे कई साथी कहते हैं कि हाई कोर्ट का डिवीजन कर दो। अगर ऐसे इन्स्टीटयूशन्स की डिसन्ट्रेलाईजशन की बात कर दी है तो ये इन्स्टीटयूशन्स खराब हो जायेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट जजेज की पावर्स बढ़ा दीजिये जिससे हाई कोर्ट के परव्यू में जाने वाले जो मुकदमें हैं वे डिस्ट्रिक्ट में ही तय हो जायं। आप मेरठ में डिस्ट्रिक्ट जज को पावर दे दीजिये कि जो ८० प्रतिशत मुकदमें इलाहाबाद हाई कोर्ट जात है व मेरठ में ही तय हुआ करें। आज कई हजार मुकदमे पड़े हुए हैं जो कई वर्षों में नहीं हो सकते। अभी मेरे एक साथी ने कहा कि उन्होंने ४८ में मुकदमा दायर किया और सन् ७० में उसका फैसला हुआ। यह तो वही कहावत है कि बाप मुकदमा दायर करे, बेटा पैरवी करे और नाती फैसला सुन। इसलिये इस बात की मै निन्दा करता हूं और घोर विरोध करता हूं। आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन की बात होती है कि मेरठ में एक बेंच खोल दी जाय मैं तो कहता हूं कि लखनऊ की बेंच को भी तोड़ देना चाहिये। इलाहाबाद का ही एक हाई कोर्ट इलाहाबाद में हो। क्षेत्रीयवाद की भावनाओं से इस प्रदेश की नींव कमजोर होगी और इस प्रदेश का न्याय-प्रशासन कमजोर होगा।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय जी, मैंने मंत्री महोदय के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है। उन्होंने अपने भाषण में मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच खोलने के विषय में कोई अपनी नीति सदन के सामने नहीं रखी। वैसे कहने के लिये मंत्री जी सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने के पक्ष में हैं, किन्तु वह कैसे मिल सकेगा? जब तक हाई कोर्ट की दूसरी बेंच आप नहीं खोलते, न्याय कैसे शीघ्र मिलेगा? आज भी ६० हजार मुकदमें जिनमें करीब ३० हजार क्रिमिनल के होंगे, ऐसे हैं जो हाई कोर्ट मे पेंडिंग पड़े हुये हैं। आज न्याय जल्दी नहीं मिल रहा है। लोग मर जाते हैं और न्याय नहीं मिल पाता। न्याय सस्ता मिले, जल्दी मिले, जो पेंडिंग वर्क है वह समाप्त हो इसके लिये आवश्यक यह था कि सरकार इस बात की घोषणा करती कि वह मेरठ में या पश्चिमी अन्य किसी जिले में हाई कोर्ट की बेंच खोलने जा रही है। मैं तो मेरठ में ही चाहता हूं, वैसे अन्य किसी जिले में भी खोल सकते हैं। राष्ट्रपति माननीय गिरि ने भी अपने भाषण में कहा था कि हिन्दुस्तान में सस्ता न्याय देना चाहिये। उन्होंने यहां तक कहा था कि जनता को मुफ्त सलाह भी मिलना चाहिये। नानावती के केस में २०-२५ हजार रुपया सरकार ने दिया ताकि वे अपना केस लड़ सकें और कानूनी सलाह ले सकें। सरकारी वकीलों की सलाह जनता को मुफ्त उपलब्ध होनी चाहिये।

न्यायालयों की देखभाल भी हाई कोर्ट के द्वारा होनी चाहिये। समय की भी पाबन्दी होनी चाहिये ताकि मजिस्ट्रेट लोग समय से आयें और समय से जायं। अन्त में मैं फिर यह कहूंगा कि हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में खोलने के लिये माननीय मंत्री जी सदन में स्पष्ट घोषणा करें। यह भावनाओं का प्रश्न है, तर्क का भी। अगर जल्दी कोई फैसला इस सम्बन्ध में नहीं किया गया तो अंजाम दूसरा भी हो सकता है। मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

पीठासीन महोदय, मैं माननीय किदवई साहब को विशेष कर धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वही बातें कही हैं जो मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव के संबंध में कही हैं। अन्य माननीय सदस्यों ने भी वही सुझाव रखे हैं जो मैंने कहे हैं। एक बात का मैं अवश्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वे नीचे की अदालतों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये क्या करना चाहते हैं। मैं आपके समक्ष २१ जुलाई, १९६७ की कार्यवाही से, उस समय के न्याय मंत्री के कुछ शब्द पढ़ना चाहता हू। यह शब्द माननीय यादव जी के हैं जो माननीय चरण सिंह जी की पार्टी के हैं और जो उस समय संविद सरकार में न्याय मंत्री थे। उनका कहना है—"भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया गया। इस प्रदेश में मातहत अदालतों की कार्यवाही आदि से सारा प्रदेश अवगत है। शासन की ओर से भ्रष्टाचार दूर करने के लिये सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं।" मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार कौन से कदम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये उठा रही है। केवल भाषणों से और कोरे नारों से काम चलने वाला नहीं है। स्वच्छ प्रशासन की बात कही जाती है, लेकिन मैं उस पैराग्राफ को पुनः पढ़ना चाहता हूं—"भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया गया। इस प्रदेश में मातहत अदालतों की कार्यवाही आदि से सारा प्रदेश अवगत है। शासन की ओर से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं।" लेकिन आज ३ वर्ष हो गये, कुछ दिन प्रेसीडेन्ट का रूल भी रहा, मगर आज तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाये हैं। मैं चाहूंगा न्याय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण करें।

(इस समय ४ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके अतिरिक्त जो बेंच की बात की गई है कि मेरठ में एक बेंच खोली जाए। मैं समझता हूं कि उन लोगों ने ला कमीशन की रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है और वे साथी इस चीज को कह रहे हैं जिन्हें ला का कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इतना ही क्यों हाई कोर्ट्स की बेंचें हर जिलें में और तहसील-तहसील में खोल दी जाए (व्यंग से) या जैसे डिप्टी डाइरेक्टर (चकबन्दी) घूमते

हैं वैसे ही हाई कोर्ट्स की बेंचें घुमा दी जाएं, तो क्या हर्ज है ? इससे सस्ता न्याय होगा । लेकिन वे सदस्य यह नहीं सोचते कि अगर बेंच ४--६ जगह पर खोल दी गईं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा ? ला कमीशन में अनुभवी और योग्य जज होते हैं, उनकी योग्यता का यदि सम्मान नहीं किया गया तो प्रदेश के लिए ठीक नहीं होगा। इनकी राय है कि हाई कोर्ट का डिसेन्ट्रालाईजेशन नहीं होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए । लखनऊ में भी एक हाई कोर्ट की बेंच है, लेकिन उसकी रेपूटेशन इलाहाबाद के बराबर नहीं है। यहां के बेंच को उतना अधिक अनुभव नहीं है कि जितना इलाहाबाद के पुराने हाई कोर्ट के जजों को है। हाई कोर्ट का फैसला पूरे प्रदश क लिए नजीर का काम करता है। जब नई बेंच के पास एक्सपीरिएंश नहीं होगा तो उनका काम ठीक नहीं होगा ।

इसके बाद एक शब्द मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि न्याय मंत्री जी सस्ता न्याय 'की बात करते हैं। इसकी मांग सभी तरफ से की गई है। इसके लिए सरकार कोई मोबाइल कोर्ट्स का आदेश दे दें तो बहुत अच्छा होगा । यदि अधिक नहीं तो कम से कम तहसील हेडक्वार्टर पर जाकर १--२ कर दें।

इन शब्दों के साथ मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि वे मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज सस्ते और शीघ्र न्याय के सुझाव दिये हैं। इसको मैं भी मानता हूं कि जिस न्याय में देर होती है उसमें इंसाफ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसके कारण क्या हैं ? इसके मान्यवर, दो ही कारण हैं या तो कोई प्रोसीजर की कमी है या जजों की कमी है। हमारे माननीय सदस्यों ने अलग-अलग सुझाव दिये हैं। यह बात सही है कि अपने प्रदेश या देश में सी० पी० सी० या सी० आर० पी० सी० या जो और ऐक्ट्स हैं, उनमें कुछ खामियां हैं, जिनकी वजह से बहुत देरी होती है। मसलन सेशन कोर्ट में तमाम सेशन के मुकदमे होते हैं, तो उसकी सर्विस जो होती है, वहां से सम्मन कमिटिंग मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। कमिटिंग मैजिस्ट्रेट पुलिस कनसर्न्ड को दे देता है। पुलिस नहीं चाहती है कि मुकदमा पेश करे तो जज के सामने कोई चारा नहीं है कि उस फैसले को शीघ्र कर सके। मेरे कहने का मकसद यह है कि ट्रायल कोर्ट के हाथ में प्रोसेस सर्वर की अथारिटी होनी चाहिये। दूसरे, सिविल में भी कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि प्रोसीजर में कुछ कमी है, इतना लम्बा प्रोसीजर है कि सिविल केसेज में कई साल लग जाते हैं। मैं उनकी राय में इस बात से सहमत हूं, सिविल कोर्ट में कोई फैसला होता है तो जजमेंट के वक्त फरीकैन को बुलाएं, और जिसके खिलाफ फैसला हुआ है उससे पूछें कि आपको अपील करनी है या नहीं। अगर कहता है कि करनी है तो कोर्ट फीस जमाकर दे ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

जब माननीय मंत्री जी मानते हैं कि प्रोसीजर में डिफेक्ट है....

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह प्रोसीजर के डिफेक्ट्स हैं लेकिन माननीय सदस्य को ज्ञान नहीं है कि यह प्रोसीजर, सी०पी०सी०, सी० आर०पी०सी सैन्ट्रल ऐक्ट्स हैं। इससे यू०पी० गवर्नमेंट का कोई कुसूर नहीं है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट से चेंज हो सकते हैं यहां से चेंज करने का सवाल ही नहीं होता। इसी प्रोसीजर को देखने के लिये सरकार ने ला कमीशक अप्वाइंट किया है जो विदेशों की न्याय प्रणाली को देखेगा और प्रोसीजर की तब्दीली पर भी ध्यान देकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशन भेजने की कोशिश की जायगी कि सेंट्रल ऐक्ट्स को भी तब्दील किया जाय। जहां तक जजों को बढ़ाने

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]
का सवाल है उससे कुछ दिक्कत दूर हो सकती है लेकिन जैसा माननीय सदस्यों नें कहा जजों का पांच गुना या चार गुना बढ़ा देने से यह समस्या दूर हो सकेगी इस से मैं समहत नहीं हूं। प्रैक्टिकल बात यह है, कि जो प्रैक्टिस करने वाले सभी मानदीय सदस्य जानते हैं कि हर जिले में चाहे हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, दो चार वकील सीनियर हो जाते हैं बाकी सब जूनियर हो जाते हैं। अगर हम जजों को तादाद दस के बजाय ५० भी कर दें तो नतीजा यह होगा कि हर मुलजिम उसी वकील को करेगा जो क्रिमिनल प्रैक्टिस में टाप पर है। उसके पास एक दिन में दस–दस बीस–बीस अपीलें होती हैं। नतीजा यह होता है कि दो एक अपील वह कर पाता है और बाकी अपीलों में उसके जुनियर्स जाते हैं, उनके सीनियर्स के मुलाहिजे से तारीख बढ़ा दी जाती है।

दूसरा नतीजा यह होता है कि वह तैयारी नहीं कर पाते। जब सीनियर के पास १५–१५, २०–२० अपीलें होती हैं तो नतीजा होता है कि वह तैयारी नहीं कर पाता। नतीजा यह होता है जब कोई अपील तैयार नहीं की तो हाई कोर्ट में जा कर पूरी फाइल रीड करने लगता है। एफ०आई० आर० रीड करता है, स्टेटमेंट रीड करता है। इससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। तो यह जो प्ली है कि हाई कोर्ट में जजेज की तादाद बढ़ा देने से एक्युमुलेशन नहीं होगा, यह खयाल गलत है। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे, जजेज को बढ़ा देना ऐसी रेमेडी नही है कि शीघ्र न्याय मिलने लगे।

श्रीमन्, हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि जुडीशियरी में इन्टरफियरेंस है। मैं समझता हूं कि कांस्टीट्यूशन और विधान के अनुसार जुडीशियरी इन्डिपेन्डेन्ट है। किसी ट्रांसफर, एप्वाइन्टमेंट या पोस्टिंग के बारे में गवर्नमेंट का कोई इन्टरफियरेंस नहीं होता है और हाईकोर्ट के जजेज का भी क्रिटिसिज्म कांस्टीट्यूशनली राष्ट्रपति या वहां के चीफ जस्टिस को ही इसका अधिकार है। लेकिन फिर भी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि जुडीशियरी में आचार संहिता होनी चाहिए। मैं समझता हूं कुछ ऐसे केसेज हैं जो कि मैं इस माननीय सदन के सामने कहना चाहता हूं कि आचार संहिता आप कड़ी से कड़ी बना दीजिये। जब जजेज रिटायरिंग रूप में जाते हैं या लन्च में जाते हैं तो वे उस दरवाजे से जाते हैं जहां से पब्लिक खड़ी रहती है। और अन्दर जाकर पब्लिक के सामने साधारण बात करते हैं। बाहर क्लर्क कहता है कि हमारे वकील को जज ने बुलाया। इसके लिये आप क्या आचार संहिता बनायेंगे।

हमारे कुछ सदस्य लोग जो कि प्रैक्टिस करने वाले हैं वे आर्गूमेंट में समझ लेते हैं कि फैसला क्या होने वाला है। फैसला होता है कि १० हजार रुपये तय हुआ है पब्लिक ने दिया है और वह हमारे वकील साहब की जेब में चला गया है। इसके लिये क्या आचार संहिता होनी चाहिये। इसके लिये यह है कि हमारे जो प्रैक्टिसिंग लाइयर हैं उनका चरित्र ऊंचा होना चाहिये। मैं मानता हूं कि जुडीशियरी में करप्शन है। किन्तु जुडीशियरी में करप्शन कराने वाले कौन हैं ? जुडीशियरी में करेप्शन करने वाले जजेज नहीं हैं। जब जजेज किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहां किसी को नहीं पहचानते हैं किसी को नहीं जानते हैं किन्तु हमारे जो वकीलों की टीम है वह जाकर अपने जजों को ले जाते हैं और जबरदस्ती ले जाते हैं। पब्लिक के ऊपर असर डालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमारी उनसे बड़ी भारी दोस्ती है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं प्रोटेस्ट लौज करता हूं। मान्यवर, यहां ऐसी बात कही जाय जो इस देश और प्रदेश के एक बड़े भारी तबके के विरुद्ध हो, ठीक नहीं है। न्याय मंत्री जी इस समय यहां पर हैं। .....

(व्यवधान)

मैं जानता हूं कि न्याय मंत्री जी स्वयं उस पेशे से सम्बद्ध हैं। इस प्रकार की चीज सारे प्रोफेसन के लिये कहना किसी न्याय मंत्री को शोभा नहीं देता। मैं उनके दिल की बात नहीं जानता हूं और मैं यह भी नहीं जानता हूं कि वे कहां तक सही हैं किन्तु जनरेलाइज करना एक न्याय मंत्री को शोभा नहीं देता है।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहला तो यह है कि क्या न्याय मंत्री जी स्वयं वकील हैं ? दूसरा यह कि हम लोगों ने भी यहां पर जुडिशियरीज के बारे में कहा किन्तु जनरलाइज नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्यों नें जनरलाइज किया। मेरा कहना है कि जुडीशियरी करप्ट करने में कुछ सदस्यों का हाथ है।

(व्यवधान)

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

देखिये। बात यह है कि यह मैंने नहीं सुना कि सब वकील यही काम करते हैं। आपने कहा कि कुछ थोड़े से वकील ऐसे होते हैं जो इस तरह से काम करते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, बराबर मैं इस बात को कहता हूं कि बार एसोसियेशन के कुछ सदस्यों, जिनका मैं नाम नहीं लेता हूं, का इसमें कंट्रीब्यूशन है करप्शन में।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्षमा करें, मंत्रि मण्डल के कुछ सदस्य भी जुडीशियरी को करप्ट करते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस प्रदेश के समस्त वकीलगण और बार एसोसियेशन को जिस प्रकार यह कंडेम कर रहे हैं यह सही है कि इनके ऐसे वकील ही भ्रष्ट करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह आप व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

जिस प्रकार का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, एक मंत्री भी यहां बोलने नहीं पायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

माननीय सदस्यों को जुडीशियरी को भ्रष्ट करने का जब अधिकार है तो मुझको भी उसकी सफाई में यह कहने का अधिकार है कि करप्शन कैसे शुरू होता है। माननीय सदस्य जिस वक्त जुडीशियरी को करप्ट कहते हैं उस वक्त मैं उसकी सफाई में यह कहता हूं कि इसके करप्शन का कारण क्या है और कहां से शुरू होता है। हाई कोर्ट में अगर कोई जज करप्ट है तो उसके लिये विजिलेन्स है और जब किसी जज के खिलाफ शिकायत आती है तो विजिलेन्स सेल में वह जाती है। ऐसे कई केसेज हुये हैं जिनमें जजेज का रिवर्शन हुआ है, डिसमिसल हुआ है और सुपर-सेशन हुआ है। तो क्या मैं यह आशा करूं, मैंने कई जगह अपने भाषण में कहा है कि अगर कोई बार एसोसियेशन यूनानिमसली यह रेजोल्यूशन पास कर दे कि इस जज के खिलाफ फलां-फलां शिकायत है तो गवर्नमेंट उस पर गौर करेगी। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई बार एसोसियेशन कभी यूनानिमसली यह रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता है कि कोई जज ऐसा है क्योंकि उसमें से खुद प्रोत्साहन देने वाले होते हैं। हर दफा मैं कहता हूं कि रेजोल्यूशन भेजिये हम विजिलेन्स में भेजेंगे। तो श्रीमन्, भ्रष्टाचार की बात कहां आती है। जब हम सबको भ्रष्टाचारी कहते हैं तो हम अपने सेल्फ को देखें।

(व्यवधान)

आजकल आदत क्या है लोगों की। हम चाहे जितने भ्रष्ट हों लेकिन हम भाषण यह देंगे कि हमारे बराबर भगवान राम के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। चाहे जो कानून बने लेकिन अगर हमारा चरित्र उठा नहीं है, हमारे भाषण देने वालों का चरित्र उठा नहीं है तो यह करप्शन दूर नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

जहां तक हाईकोर्ट के बेन्च का सवाल है, हमारे आचार्य जी के कुछ साथी जो कि सिन्डीकेटी कहलाते हैं उन्होंन कहा कि चौधरी साहब अपने जिले की वजह से मेरठ में बेन्च खुलवाना चाहते हैं। मैं पहले अपने वक्तव्य में यह बता चुका हूं कि यह आश्वासन हमारे पहले मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त ने दिया था कि मेरठ में एक बेंच खोलने की आवश्यकता है लेकिन कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसको नहीं खोल पा रह हैं।

मैं माननीय बंशीधर पांडेय जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उस समय माननीय गुप्ता जी को क्यों नहीं रोका था। उनसे कहते कि वे ऐसा कमिटमेंट न करें। जहां तक चौधरी साहब का संबंध है उन्होंने मेरठ में बेंच खोले जाने के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है।

श्री बंशीधर पांडेय---

गुप्ता जी के न्याय मंत्री कौन थे? आप थे, मैं नहीं था?

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी इस तरफ से कोई बोलने के लिये खड़ा होता है तो उधर के कुछ लोग खड़े होकर चिल्लाते हैं और इस तरह से करने लगते हैं। इस प्रकार से हुआ तो यह हाउस चलने वाला नहीं है। तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है, तुम्हारे नेता को हम कुछ नहीं समझते।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

अध्यक्ष महोदय जी, उनको आप रोकिये।

श्री बंशीधर पांडेय––

(व्यवधान)

इन लोगों को आप रोकिये ।

श्री कृष्णानन्द राय––

अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

आप कृपा करके बैठें ।

(व्यवधान)

श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)––

अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवराज सिंह जी पर कन्ट्रोल कीजिये । वे हमेशा इसी प्रकार से खड़े हो जाते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय––

अध्यक्ष महोदय, जब हम कोई चीज आपके सामने रखना चाहते हैं तो उधर के १०–५ आदमी गालियां देने लगते हैं और हम लोगों को आतकित करते हैं। इस प्रकार स हाउस नहीं चलेगा। या तो सदन कायदे से चलेगा अथवा नहीं चलेगा । हम लोग विरोधीदल में हैं, ये सरकार में हैं। उनके पास पुलिस और फौज है लेकिन विधानसभा में अगर वे इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो हम भी उनको बोलने नहीं देंगे । माननीय शिवराज सिंह मंत्री हैं वे ८–१० आदमियों को उकसाते रहते हैं । आप सदन चला नहीं पा रहे हैं । अगर वह हमें इस तरह से आतंकित करते रहे तो सदन चल नहीं सकता ।

श्री अध्यक्ष––

अब मैं संशोधन उपस्थित करता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय––

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने मेरा नाम लिया, जरा सफाई करना चाहता हूं । मुझे एक मिनट का समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष––

कहिये ।

श्री बंशीधर पांडेय––

स्वामी प्रसाद जी मेरे बड़े दोस्त रहे हैं । उन्होंने गुप्ता जी और सिंडीकेट का नाम लेकर कुछ कहा । वह मेरे दोस्त थे जबकि कांग्रेस डिवाइडेड नहीं थी । मैं उस बात में जाना नहीं चाहता था लेकिन आपने न्यौता दिया है कि उस कंट्रोवर्सी में चलूं । अगर वह चरित्रवान होते तो जिस गुप्ता जी के चरणों में वह बैठते थे.....

(व्यवधान)

मैं कहता हूं कि जितने मंत्री हैं सब गुप्ता जी के चरणों की धूलि अपने मस्तक में लगाते थे ।

श्री अध्यक्ष––

एक मिनट हो गया ? आप बैठें ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५७,८१,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मैं सूचना देता हूं कि आज जो प्रश्न उठाये गये हैं. . . . टाइम के लिए मैंने कह दिया था माननीय नित्यानन्द जी को, उनका कहना था कि ६ बजे तक बैठें और उठें नहीं बीच में और लोग कहते रहे बीच में जैसा पहले था और मैं सुनता रहूं । तो मैंने स्वीकार कर लिया है । ६ बजे तक आप लोग बैठेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

हम देख रहे हैं श्रीमन्, कि नियम ५१—५२ के प्रश्न के सम्बन्ध में जब हम कुछ कहते हैं तो आप भाग जाते हैं, तो आप भाग नहीं जायेंगे जैसे कि कल भाग गये थे ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मेरा ५१—५२ पर. . . . . .

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

आप बांकेलाल जी को एक घंटा बोलने दें ताकि उनका अरमान पूरा हो जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर यहां से कोई अव्यवस्था होती है तो इनसे बैठाने के लिए कहता हूं, बैठने के लिए कहता हूं । वह इसलिए जो गवर्नमेंट होती है उससे हमेशा कहा जाता है कि अनुशासन बनाये रखना उनका काम है और यह भी वह व्यवस्था कायम करें । इंगलैन्ड में मैंने देखा कि जिस वक्त कोई अव्यवस्था का प्रश्न उठाया किसी ने, तो अध्यक्ष कहते है कि यह मेरी ड्यूटी है, मुझे सिखाइये मत ।

मैं कहूंगा कि आप क्यों शोर करते हैं । यह मेरा काम है कि मैं उनको बैठाऊं । अगर मैं आपसे लड़ने को कहूं तब आप लड़िये लेकिन अगर मैं नहीं कहता हूं तो आप शान्ति से बैठें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, शिवनाथ तिवारी जी ने कल आपको लिखित सवाल दिया था । सदन आज चार दिन के लिये उठ रहा है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

जायसवाल जी, इसके बारे में बात चीत हो गई है । इसमें जो प्रोग्रेस होगी आपसे बता दूंगा । इसमें उन्होंने नैनीताल के बारे में सूचना दी है । इसमें बहुत से विषय हैं जो बहुत पुराने हैं और आज तक के विषय रखे हैं ।

मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत जो प्रश्न स्वीकार किये हैं वह २ हैं। एक तो श्री गिरजा शंकर तिवारी का है, बाराबंकी की मसौदा चीनी मिल के बन्द होने के बारे में हैं। इसको मैंने स्वीकार किया है। इसमें पहली जून को वक्तव्य देंगे। दूसरा है श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी का प्रश्न, जिला हरदोई, ग्राम बछापुर में श्री हरिद्वारी लाल द्वारा पुरानी दुश्मनी के कारण श्री दुलारे बालमीकी की हत्या के सम्बन्ध में, इसमें वक्तव्य पहली जून को देंगे। इसके बाद एक वक्तव्य है जो माननीय राम प्यारे जी ने कहा है। यह बहुत जरूरी है इसलिये मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है ३ जून के लिये। यह मिर्जापुर जिले के दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज क्षेत्रों में पेय जल की कमी के सम्बन्ध में है। बाकी मैंने स्वीकार नहीं किये हैं।

नियम ५१ में जो स्वीकार नहीं किये हैं उनमें एक श्री नित्यानन्द स्वामी जी का है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महेश जोगी को ऋषिकेश में अध्ययन केन्द्र खोलने के बारे में। दूसरा है श्री मोती लाल देहलवी तथा अन्य सदस्यों का कानपुर जिले के मडौली गांव में श्री अगनू द्वारा हरिजनों क घर जलाने के सम्बन्ध में। तीसरा श्री शमीम आलम का है उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में आर० एस० एस० की सरगर्मियों तथा महाराष्ट्र के साम्प्रदायिक दंगों को दृष्टि में रखते हुये इस प्रदेश की सरकार द्वारा सतर्कतात्मक क्या कदम उठाये गये हैं के विषय में। चौथा श्री जगदीश गांधी का है नेशनल इन्टर कालेज, लखनऊ में इस वर्ष परीक्षार्थियों को पूर्व सूचना दिये बगैर एल० टी० प्रवेश की परीक्षा का समय ८ बजे प्रातः से ७-४० पर किये जाने के सम्बन्ध में। पांचवा प्रस्ताव श्री राम लखन सिंह तथा अन्य का है, श्री राम लाल उपाध्याय को जो दिनांक २० मई, १९७० को बस्ती से एक ट्रक से लखनऊ आ रहे थे, अयोध्या कोतवाली के पास दो ट्राफिक पुलिस के सिपाहियों ने ट्रक रुकवा कर मारा और उनके १८ रु० छीन लिये। पुलिस को रपोर्ट की गई परन्तु वह कार्यवाही नहीं कर रही है, उसके संबंध में है। छठा प्रस्ताव श्री प्यारे लाल शर्मा तथा अन्य सदस्यगण का है, आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध न किय जाने के फलस्वरूप छात्रों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार तथा कालेजों में पुलिस और सशस्त्र पुलिस लगाने के विषय में। इस पर पहले चर्चा हो चुकी है। इसके बाद एक श्री गोविंद सिंह नेगी, श्री रियासत हुसैन तथा श्री शिवानन्द नौटियाल का है आगरा में क्रांतिकारी नवयुवक हिन्दु संगठन द्वारा साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पर्चे बांटने के विषय में।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

पुलिस के जुल्म विद्यार्थियों पर हो रहे हैं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

(व्यवधान)...आपने उसको भी स्वीकार नहीं किया इस लिये प्रस्ताव दिया.... (व्यवधान)... शान्ति और व्यवस्था भंग होने की बात है। (व्यवधान)... आज मैं अपनी बात कहूंगा आखिर हम लोगों की भी जिम्मेदारी है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष—

(व्यवधान)....नियम ५१ में रख देंगे। .... (व्यवधान)....

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

(व्यवधान)...आप तिथि बतला दें।

श्री अध्यक्ष—

आप जब चार रोज बाद आवेंगे मैं आपको तिथि बतला दूंगा।

श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी ऐसा महसूस होने लगता है . . . (व्यवधान) . . . कि आप अपनी बुजुर्गियत की वजह से सवालों की गभीरता को देख नहीं पाते । . . . . . (व्यवधान) . . . कभी कभी इससे मन में शंका होने लगती है । आप पक्षपात तो कर नहीं सकते । लेकिन आप जो हम लोग सवाल करते हैं उन पर आप गौर नहीं करते । मैंने एक नियम ५१ के अन्तर्गत कल दिया था फर्रुखाबाद में किसानों की सैकड़ों गांव की फसल सूख रही है और हजारों किसानों ने शिकायत की है . . . . (व्यवधान) . . . उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ । आप नियम ५१ के वक्तव्य दिलाने के लिये स्वीकार करने की कृपा करें । . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक ही मैं स्वीकार कर सकता हूं ।

श्री महरम सिंह—

आपने उसकी अहमियत नहीं समझी । आज हम लोगों ने आयुर्वेदिक और यूनानी के विद्यार्थियों की हड़ताल के बारे में दिया है (व्यवधान) . . उसे भी आपने स्वीकार नहीं किया है . . (व्यवधान) . . मेरा निवेदन है कि आप सेक्रेट्री साहब को निर्देश कर दें कि वह आपको अन्डर लाइन करके गंभीरता बता दिया करें नहीं तो लाखों लोगों का नुकसान होता है ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल ३ महीने से चल रही है । मंत्री जी ने कहा था कि उनकी मांगों को स्वीकार कर लेंगे। ११ तारीख से परीक्षाएं होने वाली थीं । ३,५०० विद्यार्थियों का प्रश्न है । उनके कारण उनके अभिभावक, गार्जियन्स सब बहुत परेशान हैं । मैंने निवेदन किया था कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से नियम ५२ के अन्तर्गत आप दो या ढाई घंटे की बहस को स्वीकार कर लें ताकि यहां पर वादविवाद हो सके और जिससे मसला तय हो सके जो बहुत जरूरी है । यह उन विद्याथियों का सवाल है जिन पर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है । आप इसको नियम ५२ में स्वीकार कर लें ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मैंने भी नियम ५२ में एक प्रस्ताव १७ सदस्यों के हस्ताक्षरों से दिया था जिसमें सभी पार्टी के लोग हैं । उनके इक्जामिनेशन्स नहीं हुए हैं, वह सड़कों पर पड़े हैं । वे विद्यार्थी हैं । आप कल को कहेंगे कि वे लोग दंगा करते हैं इस कारण इस पर आप दो या ढाई घंटे की बहस को स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष—

उस दिन एक सुझाव आया था जो पोस्टपोन्ड इक्जामिनेशन्स हैं उनको समय बढ़ा देने के लिये । उसकी तारीख मंत्री जी बढ़ा देंगे ।

श्री मोहन लाल कपूर—

एजीटेशन अभी तक चल रहा है और अगर बहस का मौका नहीं दिया तो हो सकता है कि वे लोग भूख हड़ताल कर दें ।

श्री बांके लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल दफा ५१ में गांधी किसान इन्टर कालेज, खड्डा के अध्यापकों को २७, २८ महीनों से वेतन नहीं मिला है । आज भी उस बारे में आपने कोई सूचना नहीं दी ।

बहुत ही विषम वातावरण पैदा हो गया है। छोटे २ वेतन पाने वाले वे अध्यापक हैं और उनकी हालत दयनीय है और कैसे उनका गुजर बसर होगा। आप कृपा कर शिक्षा मंत्री जी से उनका वक्तव्य दिलवा दें।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कल दफा ५१ में एक प्रश्न दिया था जिसमें ग्राम अतवा में बिजली के करेंट से आग लगने से ३२ घर बिलकुल ही जल कर खाक हो गये हैं और करीब डेढ़ लाख रुपये की सम्पत्ति की क्षति हुई है। मैं मान्यवर, आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर आपका क्या निर्णय हुआ इसकी जानकारी अभी नहीं हो सकी आप कृपया इस पर चर्चा करने के लिये इसको अनुमोदित कर दें। क्योंकि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ही आज वहां पर ३२ घर जल गये, लोग बेघरबार के हो गये, एक आदमी जलकर मर गया, कितने ही जल गये, एक बैल जल मरा। लोगों के पास केवल एक ही वस्त्र है उनके पास अन्न नहीं है। मैं चाहता हू कि आप कृपा कर इसकी अनुमति दें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, दफा ५१ में कहीं डकैती होती है, या किसी की बीबी को कोई भगा कर ले जाता है उसको आप स्वीकार कर लेते हैं। मैंने उस प्रस्ताव के साथ २ इश्तेहार की प्रतियां भी लगा दी थीं। क्या लिखा है उस इश्तिहार में, कृपया उसको पढ़े? उसमें लिखा है कि मुसलमानों या तो हिन्दू बनो या हिन्दुस्तान से अलग हट जाओ। तमाम हिन्दू कम्युनिटी के लिये कहा गया है कि मुसलमानों को पीट-पीट कर भगा दो। श्रीमन्, अभी भिवाण्डी के दंगे की तस्वीर आपके सामने है। बनारस और इलाहाबाद में जो हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने है। (व्यवधान) इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। माननीय बहुगुणा जी ने एक पत्र इस संबंध में यू० पी० सरकार को लिखा था। मैं इसको दफा ५२ में देना चाहता था लेकिन मुझे मालूम था कि बजट चल रहा है, आप दफा ५२ में नहीं लेंगे। इसलिये दफा ५१ में दिया।

श्री अध्यक्ष—

आपका विषय जारी रहेगा। आप फिर भेज दीजिए।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैंने आयुर्वेदिक कालेज के बारे में दिया था.....

श्री अध्यक्ष—

उसकी बात तो हो गई।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, गोविंद सिंह जी ने जिस ओर ध्यान दिलाया उसके संबंध में मैं मुख्य मंत्री जी के पास उनकी सी० आई० डी० के द्वारा भी तो सूचना आई होगी....

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको बता दिया था कि मैंने उनको लिख दिया है कि शीघ्र मंगा कर सूचना सदन को दे दें।

श्री रियासत हुसैन—

दूसरा दफा ५२ का आयुर्वेदिक और यूनानी कालेज के.....

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि यहां पर एक बात हो गई। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी ने वायदा किया था कि हम विचार करेंगे। आप लोगों ने कहा कि इम्तहान पोस्टपोन कर दीजिए और इस बीच में प्रयत्न किया जाय कि हड़ताल तुड़वा दी जाय और.....

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, हड़ताल की बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था...

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

श्रीमन्, आधा घंटा हो गया।

श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैंने भी एक दफा ५१ की नोटिस दिया था। (व्यवधान) एक आदमी अयोध्या में पुलिस द्वारा मारा गया। जो पुलिस रक्षा के लिये रखी जाती है उसने मारा है एक कार्यकर्त्ता को और लूटा। रिपोर्ट लिखी गई। (व्यवधान) उससे कहा गया कि रुपया दे दो। दरोगा ने बुलाया और कहा कि रुपया दे दो। पुलिस इन्सपेक्टर साहब आये और कहा कि तुम रुपये देने पर फंस जाओगे और नहीं दिया। (व्यवधान) तो इस पर कृपाकर ध्यान दें।

एक सदस्य—

दफा ५१ में स्वीकार किया है उस पर कब वक्तव्य होगा ?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, आपने निर्णय लिया है कि नियम ५१, ५२ और ५६ शाम को पांच बजे के बाद लेंगे....

श्री महीलाल—

चार बजे के बाद।

श्री कृष्णानन्द राय—

आपने तो तय कर लिया है कि हमें बोलने नहीं देंगे। अगर यह करेंगे तो चरण सिंह जी भी नहीं बोलने पायेंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

सदन में कोरम नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, जहां तक मुझे संसदीय पद्धति का ज्ञान है, आपको तो मुझसे अधिक होगा, श्रीमन्, विरोधी दल के पास केवल मात्र अस्त्र होता है आवश्यक चीजों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का और वह है नियम ५१, ५२ और ५६ में। उसकी हालत यह है कि आपने कह दिया कि पांच बजे के बाद लिया जायगा। ५ बजे के बाद आप देखिए कि कोरम पूरा नहीं होगा। सारा सदन खाली पड़ा रहेगा। तो इतना बड़ा अधिकार जो इस सदन में हम लोगों को प्राप्त है उसका संरक्षण आप नहीं कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो नियम २०, २५ वर्ष से चला आ रहा था कि प्रश्नोत्तर के बाद इसको लिया जाय उस नियम को लागू कर दें यदि आप यह चाहते हैं कि यह सदन जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक बन सके। इस समय सदन में कोरम नहीं है। हालत यहां तक सदन में हो जाती है कि उधर से २०, २५

आदमी खड़े हो जाते है और हम लोगों को बोलने नहीं देते । इसलिये मेरा निवेदन है कि नियम ५१, ५२, ५६ की सूचनाओं के लिये जो नियम हैं उसको आप ४ बजे के बाद लागू कर दें और नहीं तो जो २० , २५ वर्ष से प्रथा चल रही थी उसको चलने दें।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न इस समय सामने हैं उसमें लोग दिलचस्पी रखते हैं, उसको आने दें ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

जो प्रश्न आपके सामने कृष्णानन्द राय जी ने उठाया उस पर आप फैसला दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

यह फैसला दे दिया था और टाइम की उनसे भी बातचीत हो गई थी । कृष्णानन्द राय जी भी राजी थे कि ६ बजे तक बैठा जाय और मुझसे भी उन्होंने बैठने को कहा था । तो ६ बजे तक यह समाप्त किया जाय । यह मेरा फैसला है इसके बाद जो फैसला होगा वह बाद को होगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

सुरेन्द्र विक्रम जी का काम अभी बाकी है उसको आप नहीं चाहते है ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस सारे मामले में यह सरकार बाधक हो रही है । आप सरकार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं । आप देख लीजिये कि इस सरकार की हालत यह हो गई है ।

श्री अध्यक्ष--

अब वक्तव्य होगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

२७ तारीख को जब यह सदन बैठेगा तब आप मुझे इस बात को उठाने की इजाजत दे दें ।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--

मैं आपके आदेश का पालन करता हूं । आप इस पर व्यवस्था दें कि यह आज प्रजातंत्र की सरकार है । सरकार के प्रशासन में अन्याय होता है प्रजा में तो उसको हम लोगों के माध्यम से इस सदन में रखा जाता है । आप देखिए कि आपके बायीं तरफ की बेंच सब खाली पड़ी हैं । यह सब क्या हो रहा है । ऐसे समय में वक्तव्य दिलाने से क्या लाभ है ।

श्री अध्यक्ष--

बजट का समय प्रश्नों के बाद से ५ बजे तक रहता है । उसके बाद सूचना के प्रश्न लिये जाते हैं ।

श्री बांके लाल --

आप प्रश्नों के बाद इन सूचना के प्रश्नों को लिया कीजिये ।

जिला बहराइच की पुलिस द्वारा सीतापुर के एक गांव के श्री सीताराम अहीर की बहू को पकड़ने तथा उनके भतीजे पर गोली चलाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप-मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जुडीशल मैजिस्ट्रेट बहराइच के न्यायालय में धारा ४९८ भा० द० वि० के अन्तर्गत दायर एक इस्तगासे के सिलसिले में जारी एक वारंट की तामील के लिये थाना हरदी जिला बहराइच के एक सब-इन्सपेक्टर चार सिपाहियों और कुछ अन्य लोगों के साथ दिनांक २९ अप्रैल, १९७० को लगभग १२ बजे दिन में ग्राम टिब्बा जिला सीतापुर पहुंचे। यह वारंट एक विवाहिता भगाई गई स्त्री के विरुद्ध था जिसका पिता पुलिस के साथ था।

पुलिस ने अभियुक्त सीताराम, जिसके घर में वह स्त्री थी, से वारंट के बारे में बताया तथा स्त्री को न्यायालय में हाजिर किये जाने की बात बताई। पिता के बुलाने पर स्त्री घर के बाहर आई और उसे वारंट दिखाया गया तथा हिरासत में लिया गया। स्त्री के साथ पुलिस दल तथा दल के अन्य लोग जब वापस चले और रास्ते ही में थे तो अभियुक्त के शोर मचाने पर गांव वालों ने इकठ्ठा हो कर पुलिस दल पर हमला कर दिया। सब-इन्सपेक्टर, चारों कान्स्टेबिल तथा अन्य कुछ व्यक्तियों को चोटें आयीं। पुलिस दल नदी के पास तक आ गया परन्तु गांव वालों ने पीछा नहीं छोड़ा। तब पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। पुलिस की गोली से कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। फिर भी उपद्रवी भीड़ ने हमला कर के पुलिस का रिवाल्वर, दो बन्दूकें व सभी कारतूस छीन लिये तथा सब-इन्सपेक्टर व दो कान्स्टेबुलों को पकड़ लिया। दो अन्य कान्स्टेबुल नदी में कूद कर तथा तैर कर उस पार पहुंचे और घटना की सूचना थाना हरदी पर दी तथा धारा ३९५/३९७/३०७/३३३/३४२/२२४ भा०द० वि० के अन्तर्गत सीताराम व १७ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।

सूचना मिलने पर थाना थानगांव जिला सीतापुर की पुलिस ने उसी रात मौके पर पहुंच कर सब-इन्सपेक्टर तथा दोनों कान्स्टेबुलों को छुड़ाया तथा सरकारी रिवाल्वर, बन्दूकें व कुछ कारतूस बरामद किया। सब-इन्सपेक्टर व सिपाहियों को बचाने व पता लगाने हेतु बहराइच का एक पुलिस दल भी रात में ही मौके पर पहुंचा था। चूंकि सीतापुर पुलिस ने कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी इसलिये बहराइच का पुलिस दल वापस चला आया। पुलिस ने ग्राम के किसी व्यक्ति को न पकड़ा, न मारा पीटा और न ही किसी के घर को लूटा। सीतापुर पुलिस ने इस वारदात के सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

इस घटना से ग्राम व आस पास के क्षेत्र में कोई तनाव उत्पन्न होने की सूचना नहीं है।

इस मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष जी, पुलिस का यह साधारण नियम है कि जब एक दरोगा वारन्ट गिरफ्तारी लेकर दूसरे जिले में जाता है तो जिस थाने में उनको गिरफ्तारी करना होती है वह पहले वहां की पुलिस को सूचना देते हैं और किसी दरोगा या सिपाही को अपने साथ लेते हैं, तो यह दरोगा जी जब सीतापुर आये तो उन्होंने थाने में गिरफ्तारी की सूचना दी और किसी लोकल दरोगा या सिपाही को साथ में लिया?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उन्होंने सीतापुर के थानेदार को सूचित नहीं किया था और इसीलिये उनसे पूछा गया है कि उन्होंने क्यों सूचित नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह बड़ी भारी अनुशासनहीनता है, मन्त्री जी ने कहा कि कोई चोट नहीं आई, सीताराम के भतीजे का इलाज जेल में हुआ और डाक्टर की राय पर दवा दी गई और इलाज हुआ क्या यह सही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह दो मुलजिम गिरफ्तार हुये थे, वह दोनों जेल में बन्दी हुये और इलाज हुआ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या गोली उनको लगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह जो रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि गोली नहीं लगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

निश्चित गोली लगी और इलाज जेल में हुआ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वही तो मैं कह रहा हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बहराइच जिले का यह थाना हरदी जहां के यह सब-इंसपेक्टर गये थे और सीतापुर जिले का यह थाना जहां का वह गांव है यह दोनों ही सरहदी थाने हैं तो जाने के समय क्या अपने थाने के थानेदार को रवानगी लिखाई और वहां के थाने को भी रवानगी लिखायी या किसी दूसरे को सूचना नहीं दी ? वह वारंट अदालत से किस तारीख को इश्यू हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वारंट ७-४-७० को इश्यू हुआ और हरदी थाने में इसकी सूचना २६-४-७० को पहुंच गयी थी।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी जो उन्होंने बतलाया कि भारतीय दण्ड विधान की धारा ४९८ के अन्तर्गत मुकदमा दायर हुआ और उसी सिलसिले में वारंट था, तो किसने मुकदमा दायर किया और किस तारीख को दायर किया और वारंट के लिये दरख्वास्त कब हुई, किस तारीख को वारंट बना और किस दफा का वारंट था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इतनी बड़ी सूचना के लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री रामलाल राही—

मुकदमा कब दायर हुआ और किस तारीख को वारंट बना ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

७—४—७० को वारंट चला, फिर एक और एप्लीकेशन खिलावन ने दे दी जिसमें लिखा था कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वहां सीतापुर की पुलिस कुछ करेगी। १४—४—७० को उसने एप्लीकेशन दी और २६—४—७० को हरदी थाने के एस० ओ० को वारंट दे दिया गया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, पुलिस का यह साधारण नियम है कि जब ड्युटी पर रहते हुए किसी कर्मचारी का कोई रिवाल्वर, बन्दूक या और हथियार छीन लिया जाय तो वह तुरन्त सस्पेंड कर दिया जाता है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? क्या वह दरोगा सस्पेंड कर दिया गया?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उसके सस्पेंशन की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि ७—४—७० को वारंट बना और १४ अप्रैल को दूसरी दरख्वास्त गुजरी और वह वारंट २४—४—७० को पहुंचा, तो यह कम्प्लीट जवाब नहीं है। मैं आपके माध्यम से केवल यह जानना चाहता हूं कि जब ७ तारीख को वारट ईश्यू हुआ तो वह किस तारीख को हरदी थाने में पहुंचा और १४ अप्रैल को एप्लीकेशन देने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

७ तारीख को वारंट जारी हुआ था धारा ९०[1] के अन्तर्गत कि उसे अदालत में हाजिर किया जाय।

श्री रामलाल राही—

किस धारा में वह वारंट था, धारा ९० में या १०० में और वह वारंट जमानती था या गैर जमानती था?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

धारा ९० के अन्तर्गत था और वह बेलेबिल था।

श्री रामलाल राही—

जब जमानती वारंट था तो क्या पुलिस वालों ने किसी आदमी को बतलाया कि लड़की के खिलाफ वारंट है और जमानती वारंट है इसलिये आप लड़की की जमानत करा लें और फलां तारीख को अदालत में हाजिर हो जांय?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, पुलिस ने किया था।

श्री रामलाल राही—

श्रीमन्, दफा ९० का जमानती वारंट था तो क्या पुलिस वालों ने इसे डायरी में लिखा था या नहीं?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

श्रीमन्, इतनी तफसील में जवाब नहीं दिया जा सकता है, तहकीकात हो रही है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि तहकीकात हो रही है तो यह कौन सी बात है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामलाल राही—

श्रीमन्, जहां तक मुझे इत्तिला है वारंट कोई नहीं था। पुलिस वाले गांव में लूट खसोट करने के लिये गए थे। गांव वालों ने इन लोगों को मारा और गोली चलाई। पुलिस वाले भाग आये। फिर बहराइच और सीतापुर की पुलिस वाले मिल कर गांव में आये और घरों में घुस-घुस कर गांव वालों को मारने लगे। औरतों की बेइज्जती की गयी। और उसके बाद वारंट की बात जो कही जा रही है यह बनायी हुयी बात है, जहां तक मुझे इत्तिला है।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं?

श्री राम लाल राही—

श्रीमन्, ऊपर जो मैंने कहा मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है?

श्री चरण सिंह—

हमारी सूचना में यह बात सही नहीं है। हो सकता है कि आपकी बात सही हो लेकिन सी० आई० डी० की इन्क्वायरी हो रही है।

(मुख्य मंत्री द्वारा श्री राम लाल राही से बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ये (मुख्य मंत्री जी) आपकी आंखों के सामने इस सदन के माननीय सदस्य को डांट रहे हैं।

श्री चरण सिंह—

हम कह सकते हैं, अपने आदमी को।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, अगर यह हालत है तो एक काम करा दीजिये कि इनको एक डंडा थमा दीजिये, उनके हाथ में जिससे हम लोगों को दुरस्त कर दें फिर सारे मामले ठीक हो जायेंगे, वरना . . .

श्री चरण सिंह—

ऐसे ही चलायेंगे। अगर आप हमको हटा सकें तो हटा दीजिये?

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं इस जिन्दगी में मुख्य मंत्री जी से डरने वाला नहीं हूं।

श्री चरण सिंह—

तो क्या हम डरने वाले हैं। (अत्यन्त शोर)

श्री कृष्णा नन्द राय—

श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय चौधरी साहब से अपील करना चाहता हूं कि जब हम इधर से बोलने के लिये खड़े होते हैं तो माननीय शिवराज सिंह जी ने २० आदमियों को जो संघटित कर रखा है, वे हूट करने की कोशिश करते हैं। यदि इन्हें लाठी दे दी जाय तो हमारी जवान बन्द कर दें ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

प्रश्न ही तो करना है। ये बीच में डांटने लगते हैं।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, किसी सदस्य के सम्बन्ध में जो खामोश बैठा हो, इस तरह के शब्द ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि शिवराजसिंह लाठी लेकर चलवायें। ये कार्यवाही का अंग बन गये हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि उनको कार्यवाही से निकालने की कृपा करें।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्री शिवराज सिंह १५–२० आदमियों को संगठित करके विरोधी दल को हूट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये इसी तरह करेंगे तो सदन में अशान्ति का वातावरण होगा। ये अपनी हरकतों को बन्द करें। ये मिनिस्टर हैं। इनको जिम्मेदारी से रहना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से.....

(शोर)

श्रीमन्, अगर यही हालत रहेगी तो हम वाक आउट करते हैं।

(श्री कल्पनाथ सिंह और श्री सुरेन्द्र विक्रम सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि वहां पर पुलिस वाले गये। गोली चली, मारा पीटा। मुख्य मंत्री ने यह फरमाया कि यह सही भी हो सकता है और सही भी नहीं हो सकता है। उत्तर स्पष्ट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा शान्ति से सुनें तो समझ में आ जायेगा।

श्री रामकुमार शास्त्री—

नेता सदन हमारे भी हैं। हमको जो जवाब देते हैं तो हमको भी कुछ अख्तियार है.....

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह कहा कि हमारी सूचना के अनुसार यह बात सही नहीं है। लेकिन सही हो सकती है माननीय सदस्य की सूचना है इसलिये उसकी सी० आई० डी० की जांच करवा रहे हैं। उनके पास अगर इस तरह की सूचना आई तो वे कैसे कह दें कि यह झूठ है। वे चाहते हैं कि सच्ची बात निकल आये।

श्री रामकुमार शास्त्री—

मेहरबानी करकें ऐसी स्थिति न पैदा करिये जिससे कशीदगी बढ़ जाय और जब माननीय सदस्य भाषण कर रहें थे तो बा-अदब हमारे चौधरी साहब मोहतरम, हमारे दोस्त हैं, को उस

तरह रोकना उनका मुनासिब नहीं था। मैंने खुद देखा आपके सामने और झूठ बोलने की बात नहीं है। कोई माननीय सदस्य भाषण कर रहे हों और उससे कोई राज मालूम होता हो तो...

(श्री रामकुमार शास्त्री भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री रामलाल राही—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री कह रहे थे कि मैं सारे मामले की जांच करवा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जो सूचना चाहता था वह सूचना मुझे नहीं दी गई है। इस विरोध में मैं वाक आउट करता हूं।

(श्री शंकर प्रसाद जायसवाल सदन त्याग कर चले गये)

नगर पालिका कासगंज द्वारा गांधीजी की मूर्ति हटाकर उस स्थान पर चार दुकाने बनाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

जिला मजिस्ट्रेट एटा ने सूचित किया है कि नगरपालिका, कासगंज में जल संपूर्ति योजना का कार्य चल रहा था। जिस सड़क पर गान्धी जी की मूर्ति है, वहां से जाने वाले पानी के नलों में पानी का रिसना (leakage) पाया गया था जिसकी मरम्मत होनी आवश्यक थी। जब खोदने का काम शुरू किया गया तो उसका असर आस-पास के क्षेत्र में भी आ गया और गांधी जी की मूर्ति के आधार (Pedastal) में भी कुछ दरारें आ गई जिसकी मरम्मत करना भी आवश्यक हो गया।

२—नगरपालिका कासगंज के एक सदस्य श्रीकृष्ण गुप्त ने बोर्ड को यह सुझाव दिया कि गांधी जी की मूर्ति वाले स्थान पर चार दुकानें बना दी जायें और मूर्ति को उन दुकानों की छत पर स्थापित किया जाय। बोर्ड ने २८ फरवरी, १९७० को यह सुझाव मानकर निर्माण कार्य दो सदस्यों सर्वश्री श्रीकृष्ण गुप्ता और राजबहादुर गुप्ता की देख-रेख में प्रारम्भ कर दिया। बाद में श्री राजबहादुर ने अपने को इस कार्य से अलग कर लिया। इस कार्यवाही की सूचना जिला अधिकारी को नहीं दी गई थी।

३—मार्च के तीसरे सप्ताह में आयुक्त आगरा मंडल ने कासगंज का दौरा किया। तब अधिकारियों को इस काम के बारे में बताया गया। यह देख कर कि इस मामले के बारे में कुछ अप्रियता की भावनायें हैं, जिला अधिकारी एटा ने अध्यक्ष, नगरपालिका, कासगंज से कहा कि इस निर्माण कार्य को रोक दिया जावे। बोर्ड ने इस सुझाव पर दिनांक १४ अप्रैल, १९७० को विचार कर के निर्माण कार्य रोक दिया। परन्तु गान्धी जी की मूर्ति के आधार (Pedastal) के निर्माण का कार्य जारी रखा। यह आशा है कि यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जावेगा।

४—जिला अधिकारी ने यह मत व्यक्त किया है कि गांधी जी की मूर्ति के स्थान पर चार दुकानें बनाने का सुझाव उचित नहीं था, क्योंकि दुकानों से एक उचित मूर्ति के आधार (Pedastal) का कार्य नहीं लिया जा सकता और इसके अतिरिक्त दूकानें बन जाने से आवागमन की कठिनाइयां भी उपस्थिति हो जातीं। लेकिन नगरपालिका का यह इरादा न था कि गांधी जी की मूर्ति को हटावें और उसे किसी प्रकार अपमानित करें। बोर्ड केवल आर्थिक फायदे की प्रवृत्ति से कार्य करता रहा और उस प्रस्ताव के उचित या अनुचित होने के बारे में ध्यान नहीं दिया। चार दुकानें बनाने का प्रस्ताव अब अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया गया है और अब इस विषय पर जनता में असन्तोष होने का कोई कारण नहीं है।

श्री तिरमलसिंह (जिला एटा)

क्या यह सही है कि इस नगरपालिका के चेयरमैन श्री काली चरन अग्रवाल के सुपुत्र श्री सुमन प्रकाश ने १९-२-७० की इसकी आधारशिला को तुड़वाया था ?

श्री अतीकुर्रहमान---

जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है कि आधार में कुछ दरारें पैदा हो गयी थीं, इसलिये उसकी मरम्मत के लिये कोशिश की गयी ।

श्री तिरमलसिंह---

श्रीमन्, सवाल का जवाब नहीं मिला । क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कलेक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है वह सही है, अगर सही नहीं है तो वे कलेक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान---

अगर माननीय सदस्य हमको बतायेंगे कि उसमें क्या गलती है तो उसके बारे में मालूम कर लेंगे क्यों कि मेरे लिये यह कहना कठिन है कि क्या सही है और क्या गलत है । मैं तो मालूम करके ही बता सकता हूं ।

श्री तिरमलसिंह---

क्या २२ तारीख को माननीय विद्युत् उप मंत्री महोदय कासगंज गये थे और उन्होंने स्वयं इस चीज को देखा है ? तो क्या उनसे माननीय मंत्री जी कोई स्पष्टीकरण दिलवाने की कृपा करेंगे, वे यहां सदन में मौजूद हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान---

जी हां श्री देशमुख साहब वहां गये थे, यह उन्होंने मुझे बताया था ।

श्री तिरमलसिंह---

क्या वहां माननीय देशमुख जी ने एक मीटिंग को सम्बोधित किया था ? क्या मंत्री जी माननीय देशमुख जी से कोई स्पष्टीकरण दिलवायेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान---

देशमुख जी से मैंने पूछा था, उन्होंने बताया कि वे वहां गये थे । लेकिन मीटिंग के बारे में मुझे पता नहीं कि सम्बोधित किया या नहीं ।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री देशमुख जी ने वहां जाकर इस संबंध में क्या देखा था ?

श्री अतीकुर्रहमान---

सिर्फ देशमुख जी ने नहीं, बल्कि चेयरमैन मुझ से खुद मिले थे और उन्होंने यह बात तसलीम की थी । और शायद सदस्य महोदय का यह मतलब है कि गांधी जी की मूर्ति वहां पर लटकी हुई थी तो तार में लटकी हुई थी ।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के एक ही स्थान पर जमाव होने पर)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है सदन के अन्दर जो चल रहा है क्या वह ठीक है ?

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक नहीं है कि ५-६ सदस्य एक स्थान पर खड़े होकर बातचीत करें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सदस्यों और मंत्री जी के अनुसार जिलाधीश की रिपोर्ट जो तथ्य से परे है, उसकी दुबारा कमिश्नर से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जिलाधीश की रिपोर्ट तो खामोश है, चेयरमैन तसलीम करते है, इसलिये मैं तसलीम करता हूं कि मूर्ति लटकी हुई थी। तो अब माननीय सदस्य किस बात की जांच कराना चाहते हैं ?

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या किसी व्यक्ति ने इस तस्वीर को बोरे में बंद करके वहां पर लटकाया हुआ था, इसकी उन्हें जानकारी है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

वह तस्वीर नहीं है। बल्कि स्टैच्यु है लाइज साईफ की। इसके बारे में चेयरमैन का कहना है कि उसको वह हटा नहीं सकते थे। इसलिये ऐसा हुआ। मैंने उनसे कहा बोर्ड के किसी कमरे में उसे रखा जा सकता है। बहुत आसानी से उसको रखा जा सकता है। उन्होंने कहा उसको हिलाना था, दूर ले जाना दुश्वार था, इसलिये बल्लियों वगैरह से उन्होंने वहां उसको लटका दिया था।

श्री जगवीर सिंह—

यह देखते हुये कि महात्मा गांधी की स्टैच्यु का इस तरह से अपमान हुआ है, क्या मंत्री जी उन व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं तो अपनी जाती राय रखता हूं कि इस तरह नहीं लटकाया जाना चाहिये था। लेकिन यहां पर अफसरान की राय है जैसा जिलाधीश ने कहा है, उनकी नीयत बुरी नहीं थी। इसलिये इसका प्रश्न नहीं उठता। यदि कोई ऐसी चीज को अपमानित करता है तो उसको कानून में सजा देने का प्राविजन है। नेशनल जज्बात को इस तरह से यदि कोई धक्का पहुंचाये तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन इसमें यह सवाल नहीं उठता।

श्री तिरमलसिंह—

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पानी की टंकी का उद्घाटन कब हुआ ? और आधार कब खुदवाया गया ?

श्री अतीकुर्रहमान—

यह तो मुझे नहीं मालम। लेकिन मैं सदस्यों के सवाल से यह समझता हूं कि पानी रिसने की बात ठीक नहीं है। फिर भी इस बात की सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से जांच कराई गई है कि वह वाकया सही है या नहीं।

श्री तिरमलसिंह—

यह जो रिपोर्ट आई है जिसमें पानी रिसना दिखाया गया है और क्या चेयरमैन ने कहा है कि श्री काली चरन अग्रवाल ने उसका उद्घाटन किया था, यह बात सही है या असत्य ? और वह म्युनिसिपल बोर्ड की है या दाऊदयाल जलेसरी की है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मुझ को यह मालूम है, उन साहब का नाम दिया हुआ है, जिन साहब का नाम दिया हुआ है उन्होंने अपने आर्डर से इस स्टैच्यु को बनवाया था और स्वर्गीय पुरुषोत्तमदास टंडन ने उसका उद्घाटन किया था। मुझे नहीं मालूम उनके पिता जी ने निर्माण करवाया था।

श्री सुखलाल पांडेय—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि श्री देशमुख जी इस मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं, उनसे रिपोर्ट ले कर माननीय मंत्री जी तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जो अब तक बातचीत हो चुकी है, मुझे आश्चर्य है, किस बात की रिपोर्ट वह चाहते हैं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जितने जवाब दिये हैं उन जवाबों से सम्मानित सदस्गों ने जो प्रश्न किये हैं—तिरमलसिंह जी ने कहा कि यह रिपोर्ट सही नहीं है—जितने जवाब पूछे गये, गोल कर दिया, मुझे जानकारी नहीं है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है, इससे साबित होता है कि कलेक्टर ने सरकार को धोखा दिया। जब महीलाल जी ने पूछा कि कमिश्नर से जांच करवायेंगे तो उत्तर दिया कि किस बात की जांच करवाना चाहते हैं। तो माननीय सदस्यों की सूचना को सही मान कर, और उसके आधार पर जो वास्तविक तथ्य नहीं आये हैं, उसकी जांच दोबारा करवा कर कलेक्टर ने जो गलत सूचना दे कर धोखा दिया है, कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

कलेक्टर की रिपोर्ट में जो अभी चैलेंज किया है तिरमल सिंह जी ने इस बात की तरफ इशारा किया, पानी का रिसना और पाइप लाइन जो गयी है उसको तसलीम नहीं करते हैं। मैंने अर्ज किया सुपरिन्टैंडिंग इंजीनियर, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर को लिखा गया है कि वह रिपोर्ट दें, ऐसा है या नहीं, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष—

६ बज गये।

श्री तिरमलसिंह—

एक प्रश्न और। मंत्री जी की रिपोर्ट में सूचना है कि किसी अधिकारी को इत्तला नहीं मिली। भारतीय क्रान्ति दल के प्रेसीडेंट रामप्रसाद और सेक्रेटरी अनन्तराम राही दोनों ने थाने में रिपोर्ट की और इतने आदमियों को इत्तला दी,-मूर्ति के टूटने और लाटकाने की-माननीय राष्ट्रपति महोदय, नई दिल्ली, श्रीमती प्रधान मंत्री महोदया, नई दल्ली, श्रीमान गृह मंत्री महोदय, नई दिल्ली, श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नयी कांग्रेस, नई दिल्ली, श्रीमान् महामंत्री, भारतीय क्रांति दल, नयी दिल्ली, श्रीमान् राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ....

श्री अध्यक्ष---

ज्यादा न पढ़िये ।

श्री तिरमलसिंह---

इन सब को सूचना दी गयी और इस रिपोर्ट में आया है कि किसी को सूचना नहीं दी गयी । वह रिपोर्ट कितने गलत आधार पर की गयी । जिस आदमी ने सरकार को गुमराह किया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अतीकुर्रहमान---

कलेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है,इस सम्बन्ध में तो दो रायें हो सकती हैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास एक अप्लीकेशन आयी थी उसमें लिखा हुआ है कि इस वाकये की रिपोर्ट की गयी, तो इस वाकये की जो रिपोर्ट की गयी उसमें पुलिस ने अपनी जानिब से कोई तफतीश की होगी । जहां तक लटकाने का सवाल है वह नजरिया का, नीयत का सवाल है, उन्होंने बदनीयती से और अपमानित करने के लिये किया है, तो उनकी नीयत का सवाल है । तफतीश के आगे जो कार्यवाही होगी पुलिस करती होगी उसके बारे में हमको सूचना नहीं है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि इस मूर्ति को दुबारा लगाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री तिरमल सिंह---

सवाल यह है कि संविधान के आर्टिकल ४९ में लिखा है कि कोई राष्ट्रीय स्मारकों का विनाश नहीं कर सकता है और अपनयन नहीं कर सकता है । ताजी रात हिन्द की दफाओं १५३ (ए) १२४(ए), ५००, २८७, २९५ के अन्तर्गत आते हैं.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री इसका जवाब दें ।

श्री अतीकुर्रहमान---

श्रीमन्, जैसा मैंने अर्ज किया कि यदि राष्ट्रीय सम्पदा को सदमा पहुंचाने की कोई कार्यवाही की जाय तो उसके लिये पीनल ला मौजूद है उसकी तफतीश हो सकती है और उस पर कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और २७ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५ मिनट पर बुधवार, २७ मई, १९७० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :

२२ मई, १९७०

नत्थी 'क'

(देखिए अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर।)

(Page 95 of the Report of the Fifth Finance Commission)

III—Additional Duties of Excise—

(1) (*a*) It would not be desirable to maintain the existing arrangements in regard to the levy of additional duties of excise on texiles, sugar and tobacco, unless the Government of India, after discussing the matter further with the State Governments, can arrive at a general agreement for the continuance of the present scheme with suitable modifications;

(*b*) While the arrangements are continued, the rates of duties may be made *ad valorem* as far as possible, and may be revised periodically so as to secure reasonable incidence having regard to the prevailing prices and the general level of sales taxes on similar items levied by the States ;

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२७ पर)

वर्ष १९६६-७० में व्यक्तियों या सहकारी समितियों को लीसा देने का ब्यौरा

क्रम सं०	नाम तथा पता	वर्ष १९६९-७० में दिये गये लीसे की मात्रा (क्विन्टल में)	रेट प्रति क्विन्टल (रू० में)
१	२	३	४
१—मेसर्स सैनिक रोजिन एण्ड टरपेंटाइन फैक्टरी, रानीबाग, जिला नैनीताल ..	७४६.४२	१४७.७३ (ढलान व्यय कम किया जायेगा)
२—मेसर्स नैनीताल रोजित एण्ड टरपेन्टाइन फैक्टरी, गरम पानी, जिला नैनीताल ..	९३३.०४	,,
३—मेसर्स कपूर इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी, जिला नैनीताल	१४९.३०	,,
४—मेसर्स हिमालय रोजिन एण्ड पेन्ट्स, काठगोदाम जिला नैनीताल	३७३.२८	,,
५—मेसर्स माहेश्वरी रोजिन फैक्टरी, काठगोदाम, नैनीताल	३७३.२८	,,
६—मेसर्स शिव लीसा उद्योग, चौकूनी, जिला अल्मोड़ा	१,४१३.४०	,,
७—मेसर्स ताकुला बिकास क्षेत्र, ग्राम स्वराज्य संघ गोपेश्वर, जिला अल्मोड़ा	७०८.७४	,,
८—मेसर्स महेन्द्र लाल साह संगमारा अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा	६११.८२	,,
९—मेसर्स लक्ष्मी विरोजा उद्योग चितई, अल्मोड़ा	६७२.००	,,
१०—श्री कश्मीरी लाल हिन्दू लीसा उद्योग मजरवाली जिला अल्मोड़ा	३७३.००	,,
११—श्री बिहारी लाल साह, कालिका स्टेट, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा	३७३.००	,,
१२—श्रीमती पुष्पा वर्मा, बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा	३७३.२८	,,
१३—श्री जे० एस० खत्री, थल जिला अल्मोड़ा ..	१३०४.७४	,,
योग ..	८,४०५.३०	,,
२—सहकारी समितियां—		
१—कोआपरेटिव रेजिन प्रोसैसिंग फैक्टरी, हलद्वानी	२२,३९४.००	९४.००
२—रानीखेत सहकारी समिति, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा	३,७३१.००	,,
३—गृह उद्योग सहकारी समिति, कोटद्वारा, जिला गढ़वाल	३,७३१.००	,,
योग ..	२९,८५६.००	..

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १३३ पर)

उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेन्ट (संशोधन) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलाएगा ।

यू० पी० ऐक्ट सं० ८, १९१९ में नयी धारा ६७ जी—जी का रखा जाना

२—यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ६७-जी के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

देयों और शास्तियों की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली

"६७—जी—जी—इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन व्यवस्थित वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शास्ति, क्षतिमूल्य, कर या शुल्क के रूप में ट्रस्ट को देय कोई धनराशि, जो इस अधिनियम के अधीन वसूली योग्य हों, अथवा जल-परिव्ययों या किसी भी अन्य परिव्यय या किराये या अधिमूल्य के रूप में अथवा ट्रस्ट द्वारा गृह-निर्माण या उसके सुधार के लिए दिए गए किसी ऋण के रूप में अथवा क्रयावक्रय पर बेचे गए गृहों के मूल्य के रूप में ट्रस्ट को देय कोई धनराशि, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।"

उद्देश्य और कारण

इस समय उत्तर प्रदेश में यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के अधीन स्थापित केवल एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अर्थात् गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है। उक्त इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को देय धनराशियां बड़ी मात्रा में बकाया हो गयी हैं। राज्य के अन्य सभी स्थानीय प्राधिकरणों को अपने देयों की धनराशि राज्य की शासन प्रणाली द्वारा मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के अधिकार दिए गए हैं, किन्तु अनवधानतावश इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को अब तक ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं। तदनुसार एक ऐसा उपबन्ध करने का प्रस्ताव है जिससे कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को देय धनराशि की वसूली मालगुजारी की बकाया के रूप में की जा सके।

अतीकुर्रहमान,
स्वायत्त शासन मंत्री।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १३६ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७०

छोटे क्षेत्र पतियों के पक्ष में मालगुजारी से छूट देने तथा उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

(२) यह प्रथम जुलाई, १९७० को प्रवृत्त होगा ।

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १ की धारा ३ का संशोधन ।

२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ में, खण्ड (८—क) के उप-खण्ड (क) में अंक तथा शब्द "६.२५ एकड़" के स्थान पर अंक तथा शब्द "४.६८७५ एकड़" रख दिये जायं ।

नई धारा २४७—ख का बढ़ाया जाना ।

३—मूल अधिनियम की धारा २४७—क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

कतिपय दशाओं में मालगुजारी देने के दायित्व से छूट

२४७—ख (१) धारा २४५, २४६ तथा २४७ में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे परिवार के, जिसके सदस्यों द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किसी कृषि वर्ष के प्रारम्भ पर भूमिधर या सीरदार के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल तीन सही एक बटे आठ एकड़ से अधिक न हो, प्रत्येक सदस्य को उस वर्ष के सम्बन्ध में देय मालगुजारी के दायित्व से छूट होगी ।

(२) किसी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य का किसी खाते में अंश, यह निश्चित् करने के प्रयोजनार्थ कि वह उपधारा (१) में उल्लिखित छूट का हकदार है या नहीं, ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जायगा जो नियत किया जाय, किन्तु कोई ऐसा अवधारण खाते से सम्बन्धित किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर बन्धनकारी नहीं होगा ।

(३) नियत प्राधिकारी, प्रत्येक गांव सभा सर्किल के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों की, जो उपधारा (१) में उल्लिखित छूट के हकदार हों, एक सूची, जिसमें ऐसे ब्योरे, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से किये जायेंगे, तैयार करेगा, और ऐसे दिनांकों के पूर्व प्रकाशित करेगा, जो नियत किये जायं ।

(४) उपधारा (२) के अधीन अंशों का अवधारण, किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए, इस धारा के प्रयोजनों के लिये अन्तिम होगा ।

(५) इस धारा के उपबन्धों के होते हुए भी, किसी खाते के लिये निर्धारित मालगुजारी अधिकार-अभिलेखों में पूरी-पूरी लिखी जायगी, और सभी प्रयोजनों के लिये, और विशेष रूप से, किसी सीरदार की दशा में, धारा १३४ के प्रयोजनार्थ, उसके द्वारा देय मालगुजारी समझी जायगी ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिये "परिवार" के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी अथा अवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं, हैं ।

धारा २९४ का संशोधन ।

४—मूल अधिनियम की धारा २९४ की उपधारा (२) में, खण्ड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(ककक) प्राधिकारी जो धारा २४७-ख में उल्लिखित छूट पाने के हकदार काश्तकारों की सूची तैयार और प्रकाशित करेगा, ऐसी सूची में दर्ज किये जाने वाले ब्योरे, सूची का प्रपत्र, उसके प्रकाशन की रीति, दिनांक जिनके पूर्व वह प्रकाशित की जायगी, रीति जिसके अनुसार तथा समय जिसके भीतर ऐसी सूची में दर्ज ब्योरे में किसी लुप्ति के या उसके विरुद्ध आपत्तियां की जा सकती हैं, और रीति जिसके अनुसार तथा प्राधिकारी जिसके द्वारा उन आपत्तियों का निस्तारण किया जायगा, और उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन अंशों का अवधारण करने से सम्बद्ध विषय," ।

धारा ३३७ का संशोधन ।

५—मूल अधिनियम की धारा ३३७ में, खण्ड (कक) निकाल दिया जाय ।

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के लिए यह विधेयक पुर:स्थापित किया जा रहा है जिससे राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रपतियों को, जिनको उत्तर प्रदेश में भूमि का कुल क्षेत्रफल तीन सही एक बटे आठ एकड़ से या, बुन्देलखंड में या इलाहाबाद, आगरा, इटावा और मथुरा जिलों के यमुना पार भागों में, और मिर्जापुर जिले के कुछ भागों में स्थित भूमि की दशा में, उक्त क्षेत्रफल के डेढ़ गुने से अधिक न हो, मालगुजारी देने के दायित्व से छूट देने के सम्बन्ध में अपने निर्णय को कार्यान्वित कर सके।

२--इस अवसर पर कुछ अन्य छोटे-मोटे संशोधन भी किये जा रहे हैं, जिन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है--

(क) उक्त अधिनियम की धारा ३३७ में, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४, १९६९ द्वारा उसमें संशोधन के पूर्व, यह व्यवस्था थी कि उक्त अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन निश्चित् क्षेत्रफल की गणना करने के प्रयोजनार्थ उक्त धारा में अभिदिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में दो एकड़ की गणना एक एकड़ के रूप में की जायगी, और इसी आधार पर धारा ३ (८-क) (क) में उक्त क्षेत्रों में "टुकड़े" की परिभाषा का तात्पर्य ६.२५ एकड़ से कम भूमि से था। बाद में, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४, १९६९ द्वारा उक्त धारा ३३७ में शब्द "२ एकड़ एक एकड़ के रूप में गिना जायगा" के स्थान पर शब्द "डेढ़ एकड़ एक एकड़ के रूप में गिना जायगा" रखे गये थे, किन्तु असावधानीवश, धारा ३ (८-क) (क) में आनुषंगिक संशोधन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस धारा में निर्दिष्ट क्षेत्रों में, ६.२५ एकड़ से कम भूमि "टुकड़ा" ही मानी जाती है। इस त्रुटि को दूर करने के उद्देश्य से, विधेयक के खण्ड २ द्वारा आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।

(ख) उक्त धारा ३३७ में, उसमें उल्लिखित अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ नैनीताल जिले के तराई और काशीपुर परगने का भी उसमें उल्लेख है। हाल के वर्षों में, इन दो परगनों में, कृषि उपज में हुई विशेष वृद्धि को ध्यान में रखते हुये, उन्हें बुन्देलखन्ड आदि के साथ अब पिछड़े क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसलिए उक्त धारा से संगत खण्ड निकाला जा रहा है।

चतुर्भुज शर्मा,
राजस्व मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७९ एल० ए०—१९७१—८४५ (हि०)।